प्रश्न–पत्र– पांचवा

कानून व्यवस्था

(अ) कानून व्यवस्था ड्यूटी

गश्त की परिभाषाः– पुलिस का वह हथियार सहित या रहित दल (जाब्ता) जो दिन/रात में किसी क्षेत्र विशेष में जनता के जान माल की सुरक्षा, अपराधों की रोकथाम, कानून व्यवस्था व शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं निगरानी के लिए सवारी/पैदल भ्रमण को मामूर किया जाता है, उसे गश्त कहते है।

(क) गश्त का महत्व–गश्त व्यवस्था से अपराधियों में खौफ व आमजन में विश्वास स्थापित होता है, प्रभावी गश्त से हल्का क्षेत्र में अपराधों एवं अपराधियों की गतिविधियों पर निगरानी रखकर अंकुश लगाया जा सकता है। अपराधियों को पकडने में गश्त का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। विशेष आयोजनों के दौरान असामाजिक गतिविधियों एवं अपराधों पर प्रभावी गश्त द्वारा अंकुश लगाया जा सकता है।

(ख एवं ग)गश्त के सामान्य सिद्धान्त एवं गश्त के दौरान ध्यान रखने योग्य बातेंः–

1.गश्त के दौरान पुलिस दल अपने सम्पूर्ण गश्त क्षेत्र का भ्रमण करेगा। भ्रमण के लिये कोई निश्चित मार्ग/समय को नही अपनाकर इसकों बदलते हुए भ्रमण करेगा।

2.गश्त के दौरान बीट क्षेत्र में यदि कोई धार्मिक/सामाजिक रूप या अन्य किसी कारण से कोई विवादित स्थल है तो वहॉ निगरानी रखते हुये गश्त करेगा।

3.गश्त के दौरान बीट क्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थलों जैसे मन्दिर/मस्जिद/गिरजाघर पर भी गश्त के दौरान निगरानी रखेगा एवं विशेष आयोजन होने पर भीड़ पर नियंत्रण एवं वाहनो की पार्किंग आदि सुनिश्चित करायेगा। इस हेतु अतिरिक्त जाब्ता प्राप्त करने की रिपोर्ट समय पर थानाधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

4.उपरोक्त बिन्दु संख्या 2 व 3 पर बताये गये स्थान पर गश्त/विशेष आयोजनों के दौरान किसी अवांछित गतिविधि की सूचना/संभावना हो तो तुरन्त सक्षम अधिकारियों को अवगत करायेगा।

5.गश्त के दौरान बीट क्षेत्र में रहने वाले हिस्ट्रीशीटर/आदतन अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखेगा। संदेह होने पर सक्षम अधिकारियों को तुरन्त अवगत करायेगा।

6.गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करेगा।यदि आवश्यकता हो तो उसके स्वयं की एवं सामान की तलाशी लेगा।

7.पूछताछ एवं तलाशी के दौरान शालीनता से व्यवहार करेगा। उचित शब्दों का इस्तेमाल करेगा। जैसे–(1)श्रीमानजी, आपका नाम पता क्या है, (2)आप कहाँ से आये है, (3)आप कहाँ व किस काम से जा रहे है, (4) आमजन की सुरक्षा के लिए आपकी व आपके वाहन की तलाशी ली जानी है।

8.पूछताछ के दौरान उत्तेजना में ना आये तथा अपना मानसिक संतुलन बनाये रखें।

9.आने जाने वाले व्यक्तियों/वाहनो का रजिस्ट्रेशन नम्बर अपनी गश्त डायरी में अंकित करेगा।

10. गश्त क्षेत्र में स्थित एटीएम, बैंक व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नियमित अन्तराल से गश्त करते हुये निगरानी रखेगा एवं सीसीटीवी आदि चालू हालात में है या नही, चैक करेगा।

11. गश्त के दौरान क्षेत्र में कुछ समय के लिये रूकने वाले स्थानों का चयन इस प्रकार से करेगा कि वहॉ से अधिक से अधिक एरिया पर निगरानी रखी जा सकें।

12. गश्त के दौरान चैकिंग अधिकारी के समक्ष अपनी गश्त डायरी पेश करेगा और उसमें नोट अंकित करवायेगा तथा कोई विशेष बात हो तो गश्त अधिकारी को अवगत करायेगा।

13.दिन के समय गश्त के दौरान गश्त क्षेत्र के सीएलजी सदस्यों/गणमान्य लोगों/वरिष्ठ नागरिकों से भी सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त करेगा एवं उनके नाम एवं मोबाईल नम्बर अपनी गश्त डायरी में अंकित करेगा।

(घ)गश्त का व्यावहारिक ज्ञानः–

1. रॉल कॉल में एच0एम0 गश्त हेतु बीट आंवटन कर बतायेगा तथा साथ में गश्त के उद्देश्य के बारे में ब्रीफ करेगा।

2. कानि0 जिसकी ड्युटी गश्त में लगाई गई है वह अपने गश्त क्षेत्र के सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करेगा।

उदाहरणार्थः–

(A) गश्त क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है।

(B) गश्त क्षेत्र रिहायसी इलाका है या बाजार है।

(C) गश्त क्षेत्र में कोई विवाद की विषयवस्तु (जमीनी, साम्प्रदायिक आदि) तो नही है। यदि हो तो इस स्थान पर किन–किन बातों का विशेष ध्यान रखना है।

(D) गश्त क्षेत्र में कोई हिस्ट्रीशीटर/हार्डकोर अपराधी रहता हो तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा व उसकी गतिविधियों की निगरानी करेगा।

(E) गश्त क्षेत्र में स्थित विशेष वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जैसे बैंक, एटीएम, मॉल, पैट्रोल पम्प आदि की सूची प्राप्त करेगा तथा इन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा आदि की व्यवस्था की जांच–परख करेगा व सुनिश्चित करेगा।

(F) गश्त क्षेत्र में भ्रमण पर जाने से पूर्व निर्धारित डायरी हैड कानि0 से प्राप्त करेगा जिसमें थानाधिकारी, पुलिस स्टेशन, पुलिस कन्ट्रोल रूम व उच्चाधिकारियों के टेलीफोन/मोबाईल नम्बर अंकित हो ताकि थाना एवं वरिष्ठ अधिकारियों को महत्वपूर्ण सूचना तत्काल रूप से दे सके।

(G) गश्त के दौरान संचार साधन जैसे वायरलैस सैट/मोबाईल अपने पास रखेगा। थाना एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कॉल करने पर अविलंम्ब जवाब देगा।

(H) गश्त के दौरान डण्डा/विसिल/टॉर्च आदि अपने साथ रखेगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग किया जा सके।

3. निर्धारित समय पर गश्त के लिये गश्त क्षेत्र में पहुॅचेगा। सशस्त्र गश्त के आदेश हो तो थाना/पुलिस लाईन से हथियार प्राप्त कर गश्त में जायेगा।

2- दबिश,घेराबंदी व तलाशी

दबिश (Raid)–अपराधियों की धरपकड एवं अपराध नियंत्रण में दबिश का महत्त्वपूर्ण योगदान है। इससे न केवल अपराध नियंत्रण होता है अपितु अपराधियों में भी भय पैदा होता है।

दबिश का अर्थ– दबिश का अर्थ होता है छापा मारना । जब कभी किसी जगह पर किसी अपराधी के होने की विश्वस्त सूचना हो या किसी स्थान पर कोई अपराध घटित होने की सूचना हो या किसी स्थान पर अवैध शराब, नशीले पदार्थ जाली नोट या किसी तरह की अन्य कोई गैर कानूनी वस्तु होने की सूचना हो या किसी माल की बरामदगी की जानी हो तथा ऐसी जगह पर तुरन्त पहुँच कर कार्यवाही की जानी हो तो पुलिस कर्मियों की टीम बनाई जाकर गुप्त रूप से तुरन्त पहुँच कर कार्यवाही की जाती है तब इस कार्यवाही को दबिश या रेड कहा जाता है।

दबिश के साधारण सिद्वान्त ः– दबिश बहुत ही सजग रूप से दी जानी चाहिए अन्यथा दबिश का उद्‌देश्य विफल हो जाता है। दबिश के निम्न प्रमुख सिद्वान्त हैंः–

टीम भावना–दबिश के दौरान पुलिस बल को टीम भावना का परिचय देते हुए कार्य करना चाहिए। समस्त पुलिस बल का सामूहिक प्रयास ही दबिश को सफल बनाता है। किसी एक व्यक्ति के प्रयासों से दबिश का उद्‌देश्य सफल नहीं हो सकता। पुलिस बल को एक दूसरे के साथ समन्वय बनाये रखना चाहिए।

जिम्मेदारी—दबिश के दौरान पुलिस टीम के प्रत्येक पुलिसकर्मी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। जिम्मेंदारी के स्पष्ट विभाजन से कार्यों में दोहरीकरण व पुनरावृत्ति नहीं हो पाती है और तलाशी सघनता से होती है।

उद्देश्य की स्पष्टता—दबिश का मुख्य उद्देश्य क्या है ? दबिश किस कारण से की जा रही है ? आदि बातें दबिश में शामिल पुलिस बल को स्पष्ट होनी चाहिए। उद्देश्य स्पष्ट होने से पुलिस बल में भटकाव की स्थिति नहीं रहती है।

शीघ्रता—दबिश के दौरान सभी कार्य शीघ्रता से करके पुलिस को वहां से रवाना हो जाना चाहिए। कई बार दबिश के स्थान पर लंबे समय तक बने रहने पर कानून व्यवस्था की स्थिति विकट हो जाती है।

पर्याप्त पुलिस बल —दबिश से पूर्व पुलिस बल का आकलन अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। दबिश के दौरान किन—किन स्थितियों का सामना करना पड सकता है, आदि सभी का पूर्वानुमान लगाकर उसी के अनुरूप पुलिस बल की व्यवस्था करनी चाहिए।

(ख) दबिश के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें

1. दबिश के लिए दक्ष जवान होने चाहिए। जिस इलाके में दबिश के लिए जाना है उस ईलाके की पूर्ण जानकारी जैसे रास्ता, भाषा आदि की जानकारी होनी चाहिए। वहां के लोगों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए।
2. दबिश के लिए जाप्ता पर्याप्त मात्रा में व आवश्यकतानुसार हथियारों से लैस होना चाहिए।
3. दबिश के दौरान दबिश पार्टी इन्चार्ज के निर्देशानुसार कार्य करना चाहिए।
4. यदि दबिश रात के समय की जावे तो प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए तथा जहां तक संभव हो ड्रेगन लाईट साथ होनी चाहिए।
5. दबिश कार्यवाही गुप्त रूप से व योजनाबद्ध तरीके से दी जानी चाहिए।
6. यदि दबिश कार्यवाही दूसरे थाने इलाके में हो तो सम्बन्धित थाने में सूचना देकर वहां से इमदाद लेनी चाहिए।
7. दबिश की कार्यवाही त्वरित व कार्यवाही समाप्त होने के तुरन्त बाद वहां से चले जाना चाहिए।
8. दबिश के दौरान आस पास के लोगों से दुर्व्यवहार व अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
9. दबिश के दौरान यदि कहीं लोगों के विरोध का सामना करना पडे तो समझदारी, सूझबूझ व विवेक से काम लेना चाहिए। उत्तेजना में नहीं आना चाहिए व ना ही अनावश्यक बल प्रयोग करना चाहिए।
10. दबिश के दौरान हिम्मत, साहस, ईमानदारी व सूझबूझ से कार्य करना चाहिए।

तलाशी

1.खुले स्थान, मैदान निर्मित क्षेत्र, मकान एवं अन्य स्थानों आदि की तलाशी :—(आरपीआर 1965 नियम 6.24) तफ्तीश के दौरान पुलिस अपराध से सम्बन्धित किसी व्यक्ति या वस्तु की बरामदगी हेतु किसी स्थान जो अपने क्षेत्र या अन्य किसी क्षेत्र में है, की तलाशी धारा 47, 165, 166 सी.आरपी.सी. के अर्न्तगत ली जाती है। जिसमें धारा 100 सी.आर.पी.सी. के प्रावधानो का पालन किया जाएगा।

2. तलाशी के प्रकार :— **क.** बिना वारण्ट तलाशी। **ख.** वारण्ट से तलाशी।

3. तलाशी के दौरान कर्त्तव्य :—

क. तलाशी के समय क्या तलाश किया जा रहा है की पूर्ण जानकारी होना।

ख. तलाशी में कम से कम दो या दो से अधिक स्थानीय व निष्पक्ष नागरिक शामिल करना।

ग. उपरोक्त गवाहो को पूर्ण कार्यवाही में साथ रखना।

घ. कब्जा पुलिस में ली जाने वाली वस्तुओं पर गवाहो के हस्ताक्षर करवाना।

ड़ तलाशी के लिए स्थान में प्रवेश से पहले पुलिस अधिकारी उक्त गवाहो को अपनी तलाशी देगा तथा अच्छा होगा कि दोनों गवाहो की तलाशी स्थान मालिक को दे दी जाए।

च. अगर तलाशी के दौरान उस स्थान में कोई संदिग्ध व्यक्ति हैतो उसकी भी तलाशी ली जा सकती है।
छ. सिपाही तलाशी के दौरान अपने स्थान को जहाँ पर उसे लगाया गया है, नहीं छोड़ेगा।
ज. गृह स्वामी को तलाशी में साथ रखा जाएगा।
झ. बरामद सामान की सूची बनाई जाएगी जिसकी तीन प्रतियाँ होगी। एक प्रति मकान मालिक को निःशुल्क दी जाएगी।
ण. अगर तलाशी जिला गैर में है तो सामान की सूची सम्बन्धित थानाधिकारी व इलाका मजिस्ट्रेट को दी जायेगी और आई.ओ. तलाशी की मुख्य प्रति अपने पास रखेगा जो मुकदमा की पत्रावली के साथ लगाई जाएगी।
ट. तलाशी के दौरान शिष्टता का ध्यान रखा जाएगा और औरतों की शालीनता को बरकरार रखा जाएगा।
ठ. कब्जा पुलिस में लिए गए सामान को सुरक्षित रखना व दाखिल माल–खाना कराना।
ड. अगर कोई अपराधी है तो उसको गिरफ्तार करना, व सिपाही का कर्त्तव्य है कि उसे अपनी हिरासत में ठीक से रखेगा तथा हथकड़ी का विधिक प्रयोग करेंगा।

धारा 47 सी.आर.पी.सी.

(1)यदि गिरफ्तारी के वारण्ट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को या गिरफ्तारी करने के लिये प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है किसी ऐसे स्थान में प्रविष्ट हुआ है या उसके अन्दर है तो ऐसे स्थान में निवास करने वाला या उस स्थान का कोई भी भारसाधक व्यक्ति उस व्यक्ति द्वारा या ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर उसमें उसे प्रवेश करने देगा और उसके अन्दर तलाशी लेने के लिये सब उचित सुविधाएं देगा।

(2) यदि ऐसे स्थान में प्रवेश उपधारा 1 के अधीन नहीं हो सकता तो किसी भी मामले में उस व्यक्ति के लिये जो वारण्ट के अधीन कार्य करता है और किसी ऐसे मामले में जिसमें वारण्ट निकाला जा सकता है। किन्तु गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति को भाग जाने का अवसर प्रदान किये बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो पुलिस अधिकारी के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे स्थान में प्रवेश करें और वहाँ तलाशी ले तथा ऐसे स्थान में प्रवेश कर पाने के लिये किसी गृह या अन्य स्थान के किसी बाहरी और भीतरी द्वार या खिडकी को तोडकर प्रवेश करें परन्तु यदि कोई ऐसा स्थान ऐसा कमरा है जो ऐसे स्त्री के वास्वविक अभियोग में है जो रूढि के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है तो ऐसा व्यक्ति या पुलिस अधिकारी उस कमरे में प्रवेश करने से पूर्व सूचना देगा तथा उस स्त्री को वहाँ से हट जाने के लिये प्रत्येक उचित सुविधा देगा।

कोई पुलिस अधिकारी किसी गृह या स्थान का बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार करने के प्रयोजन से विधिपूर्वक प्रवेश करने के पश्चात वहाँ निरूद्व है उसे मुक्त करने के लिये तोड़कर खोल सकता है।

धारा 165 सी.आर.पी.सी.:– पुलिस अधिकारी जो थानाधिकारी या जांच अधिकारी के पास यह विश्वास करने का आधार है कि ऐसे अपराध के अन्वेषण के प्रयोजन के लिये जिसका अन्वेषण करने के लिये उसे अधिकार है पुलिस थाने की सीमाओं के अन्दर किसी स्थान में पायी जाती है और उसकी राय में अनुचित विलम्ब के बिना तलाशी लेना आवश्यक हो और वारण्ट प्राप्त करने का न्यायालय दूरी पर हो तथा न्यायालय से वारण्ट प्राप्त करने में जिन वस्तुओं की तलाशी ली जानी है उनके खुर्दबुर्द होने की सम्भावना हो तब ऐसा अधिकारी अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करेगा व तलाशी लेगा। थानाधिकारी यदि इसके लिए किसी अन्य अधिकारी को प्राधिकृत करता है तो वह लिखित में होना चाहिए। तलाशी की फर्द की प्रति मजिस्ट्रेट के पास व एक प्रति मकान के भारसाधक को दी जायेगी।

धारा 166 सी.आर.पी.सी (1) पुलिस थाने का थानाधिकारी या जांच अधिकारी जो उप निरीक्षक के पद से कम न हो दूसरे थाने के थानाधिकारी से चाहे वह उस जिले में हो या दूसरे जिले में हो किसी स्थान में ऐसे मामले में तलाशी दिलवाने की अपेक्षा कर सकता है। (2) तब वह थानाधिकारी 165 के उपबन्ध के अनुसार तलाशी लेगा। जो चीजें तलाशी में मिले उसे उस अधिकारी के पास भेजेगा जिसने तलाशी के लिये कहा था (3) विशेष परिस्थितियों में जब तलाशी के लिये अपेक्षा की जाने में विलम्ब हो तथा वांछित वस्तु तथा सम्पत्ति हटा देने या उसे नष्ट कर देने की आशंका हो तो थानाधिकारी तथा जांच अधिकारी जो एस0 आई0 से कम न हो दूसरे थाने के क्षेत्र में तलाशी ले सकता है या तलाशी की सूचना थानाधिकारी को जिसके क्षेत्र में तलाशी की है भेजेगा और यदि संभव हो तो एक प्रतिलिपि भी भेजेगा और एक प्रति संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजेगा। (4) उप धारा 4 के अधीन भेजी गई प्रति की नकल मकान के भारसाधक के आवेदन पर निःशुल्क दी जायेगी।

धारा 100 सी.आर.पी.सी.

1.बन्द स्थान का भारसाधक व्यक्ति उस अधिकारी को जो तलाशी वारण्ट की तामील कर रहा है प्रवेश करने व तलाशी के लिये उसे उचित सुविधा देगा।

2.उक्त रीति से प्रवेश प्राप्त नहीं होने पर धारा 47 की उप धारा 2 में उपबंधित रीति से कार्यवाही कर सकेगा।

3.ऐसे स्थान में या उसके आस पास सन्देहास्पद व्यक्ति जो ऐसी वस्तु छुपाये हुये है जिसकी तलाशी ली जानी है, उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है यदि वह स्त्री है तो उसकी शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखकर अन्य स्त्री द्वारा लिवाई जायेगी।

4.तलाशी के दौरान मोहल्ले के दो या अधिक स्थानीय स्वतन्त्र और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को साक्षी के तौर पर बुलाये जाए और तलाशी उनकी उपस्थिति में ली जाए।

5.तलाशी के दौरान अधिग्रहित की गई समस्त चीजों की सूची तैयार की जाये तथा साक्षियों के हस्ताक्षर करवायें जाए।

6.तलाशी के दौरान मकान के स्वामी को हाजिर रहने की अनुज्ञा दी जाये तथा साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित सूची की एक प्रति उस मकान के स्वामी को दी जायें।

7.तलाशी के दौरान किसी व्यक्ति के शरीर पर कोई वस्तु छिपाई हुई मिले तो कब्जे में ली जाकर सूची बनाई जाए व उसकी एक प्रति उस व्यक्ति को दी जाए।

8.कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन तलाशी में हाजिर रहने और साक्षी बनने के लिए ऐसे लिखित आदेश द्वारा, जो उसे परिदत्त या निवीदत्त किया गया है, बुलाये जाने पर ऐसा करने से उचित कारण के बिना इन्कार या उसमें उपेक्षा करेगा, उसके बारे में यह समझा जायेगा की उसने भा.द.स. की धारा 187 के अधीन अपराध किया है।

तलाशी के दौरान ध्यान देने योग्य आवश्यक बातें:–

(i) दो निष्पक्ष गवाहो को रखना।

(ii) तलाशी से पहले अपनी तलाशी देना।

(iii) जहाँ तक सम्भव हो गवाह स्थानीय हो।

(iv) गृह–स्वामी/रहने वाले को तलाशी का आधार बताना।

(v) यदि तलाशी वारण्ट से है तो वारण्ट दिखाना।

(vi) यदि गृह स्वामी या किरायेदार या निवासी प्रवेश में रुकावट डाले तो धारा 47(2)द.प्र.स. के अनुसार कार्यवाही करना।

(vii) तलाशी की पूर्ण प्रक्रिया में गृहस्वामी/गवाहो को साथ रखना।

(viii) मौका पर संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी लेना। धारा (51 द.प्र.स.)

(ix) तलाशी में बरामद सामान की जब्ती (Seizure Memo) दो प्रतियों में बनाना।
(x) तैयारशुदा जब्ती की एक प्रति गृहस्वामी को निशुल्क देना।
(xi) जब्ती गवाहो के सामने बनाना और उस पर हस्ताक्षर करवाना।
(xii) तलाशी में बरामद सामान को आवश्यकतानुसार सील करें।
(xiii) बरामद सामान की सूची का विवरण दैनिक डायरी **(रोजनामचा)** में दिया जाना चाहिए।
(xiv) तैयारशुदा जब्ती में कोई फेरबदल ना करें ।
(xv) बरामद सामान को मालखाना में जमा करायें और मालखाना रजिस्टर**(Case Property Register)**में दर्ज करायें।
(xvi) तलाशी प्रक्रिया पूरी होने पर पूर्ण विवरण सहित पालना (Compliance) रिपोर्ट सम्बन्धित न्यायालय को भेजना।
(xvii) तलाशी निश्चित विधि अनुसार लेना।
(xviii) तलाशी में औरतों की शालीनता का पूरा ध्यान रखना और औरत की तलाशी औरत के द्वारा।लिवाया जाना सुनिश्चित करें।
(xix) तलाशी की कार्यवाही में अधीनस्थ कर्मचारियों ने अपने अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार कार्य करना और वांछित वस्तु की ही तलाश करना।

फर्द तलाशी तैयार करना ।

प्रारूप फर्द खाना तलाशी

फर्द खाना तलाशी मकान श्री .... पुत्र श्री .... जाति .... उम्र .... पेशा............... निवासी ....
मुर्तिबा तारीख .... समय ....
मौतबिरान—1...
2...

उपरोक्त मौतबिरान के रूबरू मन पुलिस उप निरीक्षक नाम .... पुलिस थाना जिला मकान मालिक श्री .... को अपनी जामा तलाशी लिवाई जाकर मकान के मुख्य द्वार से प्रवेश हुआ। घर में घुसते ही बाँयी तरफ एक छोटा कमरा बना है। उसके सामने पहुँचा व महिलाओं की शिष्टता को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक तरफ जाने की हिदायत की गई तत्पश्चात कमरे में प्रवेश कर तलाशी ली गई तो कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। तत्पश्चात इसी कमरे के पास रसोई घर की तलाशी ली गई। इसके पश्चात मेंन गेट के सामने वाले कमरे की तलाशी ली गई तो कोई आपतिजनक वस्तु नहीं मिली। लॉबी व बाथरूम को भी चैक किया गया सर्म्पूण मकान की सावधानीपूर्वक तलाशी ली गई परन्तु कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली बाद खाना तलाशी के उपरोक्त मौतबिरान के रूबरू गृह स्वामी श्री .... को अपनी पुनः जामा तलाशी लिवाई गई गृह स्वामी को एक फर्द खाना तलाशी की कार्बन प्रति पृथक से दी जायेगी।
अतः फर्द खाना तलाशी मुर्तिब हुई, हाजरीन को पढ़कर सुनाई सुन समझ सही होना मानकर हस्ताक्षर किये।

1 हस्ताक्षर गवाह 2 हस्ताक्षर गवाह हस्ताक्षर गृह स्वामी

अनुसंधान अधिकारी
पुलिस थाना जिला

जब्ती, फर्द जब्ती तैयार करनाः—

प्रारूप फर्द बरामदगी

फर्द बरामदगी आलय कत्ल तलवार व कब्जा मुलजिम श्री .... पुत्र श्री ... जाति ...उम्र .. पेशा ..... निवासी मुतालिक मु0 न0 .... दिनांक
धारा .... पुलिस थाना ....
मुर्तिबा तारीख .... समय ....
मौतबिरान—1..
2...

उपरोक्त मौतबिरान के रूबरू माफिक ईतला मुलजिम श्री .... पुत्र श्री .... जाति .... उम्र .... पेशा............ निवासी.............. ने आगे आगे चलकर अपने घर के सामने बबूल की झाड़ियों के पास जमीन में एक गढ्ढा खोदकर तलवार निकाल कर पेश की जो मुकदमा हाजा में आलय कत्ल होने से कब्जा पुलिस में ली गई ।

हुलियाः— हस्ब जेल है तलवार एक, लम्बाई 45 इन्च, जिसका मियान पीतल का है तलवार की मुठ पर पीतल का काम किया हुआ मूठ की लम्बाई 4 इन्च है। मियान से तलवार को निकाल कर देखा गया तो तलवार के फल पर खून के निशान दिखाई दे रहे हैं। तलवार के फल की लम्बाई 37.5 इंच है तथा फल की चौडाई 6 से.मी. है तथा आगे से नुकीला है फल की धार बहुत तेज है। सावधानीपूर्वक फल को मियान में बन्द कर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील्ड मोहर चेपा युक्त कर मार्क ''ई'' अंकित किया गया । नमुना सील फर्द पर अंकित की गई।

अतः फर्द हाजा मुर्तिब कर हाजरीन हो पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मानकर हस्ताक्षर किये।

हस्ताक्षर गवाह हस्ताक्षर गवाह हस्ताक्षर अभियुक्त

अनुसंधान अधिकारी
पुलिस थाना जिला

प्रारूप फर्द जब्ती

फर्द जब्ती संदिग्ध वाहन मोटर साईकिल बिना नम्बरी हीरो होण्डा स्प्लैण्डर बरंग काला
मुतालिक धारा 102 सी.आर.पी.सी.
पुलिस थाना ....
मुर्तिब दिनांक ..... समय ....
रूबरू मौतबिरानः—

1. 2.

उपरोक्त मौतबिरान के रूबरू संदिग्ध वाहन मोटर साईकिल बिना नम्बरी हीरो होण्डा स्प्लैण्डर बरंग काला चैसिस न0 .... ईंजन न0 .... हैड लाईट टूटी हुई आदि गणेशजी की छाप लगी हुई, दाहिना आगे का इण्डीकेटर टूटा हुआ, बाँया पैडल टूटा हुआ है। जो स्थान .... के बबूलों में पड़ी हुई है। आस—पास में कोई ताजा खोज या वाहनों के टायरों के निशान इत्यादि नहीं पाये गये। वाहन को खड़ा कर चालू करने के कोशिश की गई परन्तु काफी दिनों से पड़ा रहने से मोटर साईकिल चालू होने की स्थिति में नहीं है। आस—पास में पूछताछ की गई परन्तु संदिग्ध वाहन का कोई मालिक का पता नहीं चल सका है।

वाहन मोटर साईकिल संदिग्ध अवस्था में पाई जाने से हस्ब दफा 102 सी.आर.पी.सी. में जप्त की गई।
अतः फर्द हाजा मुर्तिब कर हाजरीन को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मान हस्ताक्षर किये।

अनुसंधान अधिकारी
हस्ताक्षर गवाह हस्ताक्षर गवाह

1.घेराबंदी व तलाशी –

परिभाषाः– इस अभियान का उद्देश्य किसी इलाके की तलाशी व उनमें छिपे हुए संदिग्ध व्यक्तियों को घेरना है। तलाशी के निम्नलिखित उद्देश्य हैं–

1. संदिग्ध व्यक्तियों का पता लगाना, पकडना या उन्हें मारना।

2. हथियाार, गोला बारूद व दस्तावेजों को बरामद करना एवं कब्जे में लेना।

3. संदिग्ध व्यक्तियों व उनसे हमदर्दी रखने वाले ग्रामवासियों के दिलों में डर पैदा करना।

4. गैर कानूनी कार्य जैसे हथियारों एवं गोला बारूद बनाने तथा नकली नोटों व अश्लील साहित्य को छापने वाले लोगों का पर्दाफाश कर उन्हें पकडना या मारना है।

अभियान का उद्देश्य सुरक्षा बलों को बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिये क्योंकि यह अभियान के नतीजे पर असर डाल सकता है।

यदि उद्देश्य ग्रामवासियों की शिनाख्त करना है तो ऐसे में गॉव का घेराव रात में ही लग जाना चाहिये तथा ग्रामवासियों की शिनाख्त उजाला हो जाने पर करनी चाहिये क्योंकि ग्रामवासी ज्यादातर दिन के समय में अपने खेतों में या फिर धंधों के लिए बाहर जाते हैं और शाम को लौटते है। इसलिए गॉव का घेराव यदि दिन में किया जाए तो ज्यादातर ग्रामवासी गांव में मिलेगें ही नहीं।

2.संदिग्ध व्यक्तियों के काम करने की तरतीब–

(क)गांवों में आने का उद्देश्यः– संदिग्ध व्यक्तियों आमतौर पर अपने कैम्प या हाईड आऊट, जो कि दूर जंगलों या ऊँची पहाडियों या अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के दूसरी तरफ बने होते है, वहॉ से अपनी कार्यवाही करते हैं। संदिग्ध व्यक्ति ग्रामवासियों या स्थानीय जनता की मदद के बिना अपनी कार्यवाही नहीं कर सकते, इसलिए वे गांवों में खाने की तलाश तथा रहने की जगह ढूढते है तथा सुरक्षा बलों के बारे में खबरें हासिल करने, पैसा लेने अथवा भ्रॉतियां फैलाने के इरादे से आते है।

(ख) संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा अपनाये जाने वाले तरीकेः– जब भी संदिग्ध व्यक्ति गांव में आते है तो वे ऐसे तरीके अपनाते हैं जिसमें उन्हें पकडे जाने का खतरा न हो व उनका टास्क भी आसानी से पूरा हो जाये। संदिग्ध व्यक्तियों के लगभग हर गांव में मददगार होते हैं जो कि उन्हें खाना, रहने के लिये जगह तथा सुरक्षा के बारे में तथा उनकी गतिविधियों के बारे में खबरें देते है।

संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा अपनाये जाने वाले कुछ तरीके इस प्रकार हैं–

1. वे ऐसे गांव में नहीं जाते जहॉ उनके मददगार न हो।

2. वे गांव में खुलेआम हथियार लेकर नहीं घूमते, न ही वे वर्दी पहनते हैं।

3. संदिग्ध व्यक्ति ज्यादातर रात के अंधेरे में गांव में आते है व उजाला होते ही गांव छोडकर चले जाते हैं। उनका मकसद गांव में कम से कम समय गुजारने का होता है।

4. जब संदिग्ध व्यक्ति को पकडे जाने का खतरा होता है, तो वे सुरक्षा बलों को गुमराह करने के उद्देश्य से हवा में कुछ राउण्ड फायर कर बचकर भागने की कोशिश करते है। यदि इसमें कामयाब नहीं होते तो वे स्थानीय जनता के साथ मिल जाते हैं या फिर गांव के नजदीक किसी जगह छुप जाते है।

5. वे अक्सर गांव वालों को संतरी कि रूप में उपयोग करते है जो कि सुरक्षा बलों की गतिविधियों व उनके आने की खबर तुरंत संदिग्ध व्यक्ति को देते है।

6. संदिग्ध व्यक्ति गांव में अक्सर ऐसे मकानों में रहना पसंद करते हैं जो या तो खाली पडे हेां और गांव के बाहरी इलाकों में बने हुए हो ताकि सुरक्षा बलों के आने की सूचना मिलने पर वे आसानी से भाग सकें। वे ऐसे मकान भी ढूढते हैं जिनके चारों ओर पेड, झाडियां तथा ऊंची–उगी हुई खेती हो जो उन्हें भागने में सहायता करें।

7. यदि वे फिर भी सुरक्षा बलों के घेरे में फंस जाते हैं, तो वे कॉर्डन में खाली जगह देख भागने की कोशिश करते हैं, असफल होने पर वे सुरक्षा बलों को मुकाबला भी कर सकते हैं।

3 सुरक्षा बलों के लिये ध्यान में रखने योग्य बातें–

1.ऐसे अभियान पक्की सूचना मिलने के बाद ही करने चाहिये,ताकि अभियान में सफलता मिले और ग्रामवासियों को भी बेवजह परेशानी न हो

2.घेराव को हिस्सों में लगाना चाहिये जैसे कि बाहरी कॉर्डन तथा अंदर का कॉर्डन ताकि भागने के सभी रास्तों को तलाशी से पहले बंद किया जा सके। कॉर्डन लगाते समय रास्ते बडी सावधानिपूर्वक चुनने चाहिये ताकि सरप्राइज बरकरार रखा जा सके।

3.कॉर्डन को लगाते समय किसी भी आदमी को गॉव के अंदर या गॉव से बाहर नही निकलने देना चाहिये। यदि कोई आदमी कॉर्डन लगाते समय ऐसी कोशिश करता है तो उसे वहीं पकड कर पूछताछ करनी चाहिये।

4 तलाशी के लिये गांव में घुसने से पहले सर्च पार्टी को लांचिग बेस गॉव बाहर बना लेना चाहिये और वही से तलाशी के लिये तरतीबवार बढना चाहिये।

5 मकानों की तलाशी मकान मालिक तथा पुलिस की उपस्थिति में होनी चाहिये, इसके अलावा गॉव का मुखिया तथा महिलाकर्मी या पंचायत की महिला सदस्य साथ मे होनी चाहिये।

6 बिल्ट अप एरिया की तलाशी बहुत ही सावधानी तथा तरतीबवार करनी चाहिये, इसमे जल्दी नही करनी चाहियें। सर्पोट ग्रुप तलाशी वाले स्थान को कॉर्डन करेगा या सहायता देगा तथा दूसरा ग्रुप मकान की तलाशी लेगा।

7 जूनियर लीडर्स, सेक्शन कमांडर तथा प्लाटून कमांडरों का अपने ट्रूप्स को विस्तारपूर्वक ब्रीफ करना बहुत जरूरी है ताकि वे उत्पन्न होने वाले हालातों से निपट सकें। उन्हे यह भी मालूम होना चाहिये कि उन्हे भागते हुये संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करनी है।

8 अभियान में जाने से पहले यह यकिन कर लेना चाहिये कि सभी ट्रूप्स ने बुलेट प्रूफ जैकेट पर्याप्त मात्रा में ले लिये है यदि नही लिये है तो पहले सर्च पार्टी को जैकेट दिये जायें और शेष कॉर्डन पार्टी को दिये जायें।

9 अभियान में जाने से पहले पर्याप्त मात्रा में ग्रेनेड, स्टनग्रेनेड, स्मोक कंटेनर तथा अश्रु गैस सैल भी साथ लेने चाहिये।

10 सर्च करने से पहले संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा लगाइ गई माईन्स एवं बूबीट्रेप्स के खिलाफ सावधान रहना चाहिये।

4 योजना तैयारी एवं कार्यवाही–अच्छी तथा विस्तारपूर्वक योजना, विस्तारपूर्वक तैयारी, पक्की खबर तथा गोपनीय कार्यवाही इस ऑपरेशन की सफलता के लिये बहुत जरूरी है। ऑपरेशन की सफलता के लिये यह जरूरी है कि हिस्सा लेनेवाले ट्रूप्स की संख्या को बहुत ही सावधानी से चुना जाये ताकि उनकी रिर्हसल करवाई जाये। गलत दिशा में की गई पहल तथा असलियत के खिलाफ कार्यवाही करने से सुरक्षा बलों को बेवजह नुकसान उठाना पड सकता है।

(क)संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में खबरें हासिल करना–कॉर्डन एवं सर्च ऑपरेशन शुरू करने से पहले विस्तृत एवं सही खबरें हासिल कर लेना जरूरी है। यदि देशद्रोहियों की पिछले कुछ समय की गतिविधियों को ध्यानपूर्वक पढा जाये तो उससे उनके काम करने के तौरतरीकों के बारें में जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसे ध्यान मे रखते हुये दूसरे सुरक्षा बलों से खबरें हासिल की जा सकती है तथा विभिन्न गांवों में पेट्रोल भेजकर भी सूचना हासिल की जा सकती है। संदिग्ध व्यक्तियों के बारें में निम्नलिखित खबरें ऑपरेशन के दौरान काफी फायदेमंद रह सकती है।

1. संदिग्ध व्यक्तियों की संख्या तथा उनकी पहचान।
2. संदिग्ध व्यक्तियों के छिपने की जगह तथा समय।
3. संदिग्ध व्यक्तियों का ऑपरेशन एरिया एवं हाईट आउट।
4. संदिग्ध व्यक्तियों के लडने की क्षमता।

5. संदिग्ध व्यक्तियों की सुरक्षा तथा इन्टैलिजेन्स व्यवस्था।
6. संदिग्ध व्यक्तियों के बचाव या भागने के रास्ते।

(ख) गॉव के बारे में जानकारी–

1. गॉव कितना बडा है तथा उसकी बसावट।
2. घरों की संख्या।
3. गॉव को प्रभावित करने वाले स्थान तथा गॉव के आसपास प्राकृतिक अथवा बनावटी रूकावटें।
4. गॉव में आने व जाने के छोटे–बडे रास्ते।
5. गॉव के आसपास का इलाका योजना बनाने तथा ऑपरेशन करने के लिये उपलब्ध होना चाहिये।

(ग) गॉव के बारे में जाानकारी– आबादी के बारे में जानकारी–

1. गॉव की अच्छी सर्च करने के लिये जरूरी है कि उसमें रहने वाले लोगों के प्रत्येक घर की सूची हो
2. गॉव मे रहने वाले संदिग्ध व्यक्तियों, उनके मददगार एवं सरकारी व्यक्तियों के बारे मे जानकारी।
3. ग्रामवासियों की भाषा, रहने का ढंग एवं उनकी आर्थिक स्थिति।
4. ग्रामवासियों का अपनी सरकार तथा सुरक्षा बलों के प्रति व्यवहार।
5. गॉव के महत्वपूर्ण व्यक्तियों जैसे मुखिया, सरकार के उच्च अधिकारी या धार्मिक गुरू इत्यादि।

5 ऑर्गनाईजेशन–

आमतौर पर कार्डन एवं सर्च ऑपरेशन करने वाले ट्रूप्स को निम्न पार्टियों में बॉटा जाता है–

I कॉर्डन पार्टी– इस पार्टी का काम गांव को चारों तरफ से घेरकर संदिग्ध व्यक्तियों के भागने के रास्तों को बंद करना है। ऑपरेशन में शामिल ट्रूप्स की संख्या का एक बडा भाग इस पार्टी में होता है। यदि गांव काफी बढा तथा फैला हुआ है तो संदिग्ध व्यक्तियों के भागने के रास्तों पर स्टॉप्स लगाये जा सकते है।

II सर्च पार्टी– कार्डन लगने के बाद यह जरूरी है कि गांव की तरतीबवार व विस्तारपूर्वक तलाशी की जाये यह काम सर्च पार्टी द्वारा किया जाता है। सर्च पार्टी को दो भाग सर्च व सर्पोट ग्रुप में बांट दिया जाता है। एक ऑपरेशन में एक या एक से अधिक सर्च पार्टी भी हो सकती है। यदि एक से अधिक सर्च पार्टी हो तो उनमें गांव के इलाके को बांट दिया जाये और हर सर्च पार्टी अपनी दी हुई जिम्मेंदारी के इलाके में तलाशी करें। एक सर्च पार्टी की नफरी यदि एक सेक्शन की हो तो अपना काम बखूबी पूरा कर सकती है।

III रिजर्व पार्टी– इस पार्टी को ऑपरेशन के दौरान मौके के अनुसार कोई भी काम दिया जा सकता है।रिजर्व पार्टी को निम्न काम दिये जा सकते है–कर्फ्यू लगाना, ऑपरेशन के दौरान गांव पर निगरानी रखना, भागते हुये संदिग्धों को पकडना, संदिग्धों के भागने वाले रास्तों पर नजर रखना।

IV इन्टेरोगेशन व आईडेंटिफिकेशन टीम– इस पार्टी का इन्चार्ज एक अधिकारी या अधिनस्थ अधिकारी होता है तथा उसके साथ स्थानीय भाषा जानने वाला आदमी एक संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने वाला व्यक्ति तथा गांव का मुखिया भी हो सकता है।इनका काम ग्रामवासियो की शिनाख्त के दौरान पकडें गये संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर खबरें हासिल करना है।

V सिविक एक्शन टीम–कॉर्डन व सर्च ऑपरेशन के दौरान ग्रामवासियों को तकलीफ का सामना करना पड सकता है इसलिये यह जरूरी हो जाता है कि ऑपरेशन के दौरान सिविक एक्शन किया जाये ताकि ग्रामवासियों की परेशानी को कम किया जा सके।ऑपरेशन के दौरान ग्रामवासियों को मुफ्त में चिकित्सा

व दवाईयां बांटना, बुजुर्ग व्यक्तियों के लिये चाय आदि का इंतजाम तथा बच्चों को कॉपी, पैंसिल, टॉफी बांटकर उनको विश्वास में लिया जा सकता है।

VI प्रिजनर्स एस्कॉर्ट पार्टी– इस पार्टी का काम ऑपरेशन के दौरान पकडे गये संदिग्ध व्यक्तियों पर गार्ड लगाना है ताकि वे बचकर भाग न सके।पकडे गये संदिग्ध व्यक्तियों को आपस में बातचीत न करने दी जाये व उनको अलग–अलग दिशा में मुँह कर बिठाया जायें।

VII ब्रीफिंग– ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले ट्रुप्स की अच्छी ब्रीफिंग करनी चाहिये तथा प्रत्येक व्यक्ति को मालूम होना चाहिये की उसका काम और डयूटी क्या है।

VIII तैयारी–ऑपरेशन की सभी तैयारियां गुप्त होनी चाहिये ताकि संदिग्ध व्यक्तियों को इस बारे कोई भनक न लगें।ऑपरेशन में ट्रुप्स के साथ गाईड व हर पॉईंट को बहुत बारीकी से देखा जाये ताकि ऑपरेशन के दौरान किसी प्रकार की रूकावट पैदा न हो ।

IX कानून संबंधी ध्यान में रखने वाली बातें– कार्डन व सर्च ऑपरेशन सुरक्षा एवं सशस्त्र बलों द्वारा किया जाने वाला ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन में पुलिस की मदद ली जाये और हर ऑपरेशन में एक या एक से अधिक पुलिस कर्मचारियों को साथ में रखा जाये। सुरक्षा बलों को आमतौर पर किसी मकान को बिना विधि आदेश सर्च करने का अधिकारी नही है जबतक की उस क्षेत्र में स्पेशल कानून इस उद्देश्य से न बना हो सुरक्षा बलों को कानून के दायरे के बाहर कोई कार्यवाही नही करनी चाहिये।

X ग्रामवासियों की मानसिकता को ध्यान में रखते हुये जरूरी बातें–कॉर्डन एण्ड सर्च ऑपरेशन के दौरान उद्देश्य जनता के दिल एवं दिमाग को जीतना है अतः हमें वह कदम कम उठाना चाहिये जिससे कि सिविल जनता की ऑपरेशन के दौरान तकलीफों को कम किया जा सके। यह निम्न प्रकार से किया जा सकता है–

I.पक्की खबर मिलने पर ही कॉर्डन एवं सर्च ऑपरेशन किया जाए। बेवजह किये गये ऑपरेशन से एक तो सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्यवाही बेकार होती है दूसरा ग्रामवासियों को बेवजह परेशानियों का सामना करना पडता है।यदि सुरक्षा बलो को संदिग्ध व्यक्तियों को पकडने में सफलता मिलती है तो सिविल जनता भी सुरक्षा बलों का समर्थन करती है।

II. औरतों एवं बच्चों की शिनाख्त पहले की जाये ताकि वे अपने घर का काम–काज देख सकें।

III. यदि कुछ व्यक्तियों को पकडा जाता है तो उनके खाने एवं पीने का बंदोबस्त करना चाहिये।

IV. ट्रूप्स का ग्रामवासियों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिये।

V. गॉव के बुजुर्गो एवं औरतों को सम्मान करना चाहिये।

VI. ऑपरेशन के दौरान सिविक एक्शन जरूरी करने चाहिये।

6 कार्डन व सर्च का तरीका

(क)गांव को एप्रोच करना–

1.क्रॉस कन्ट्री मूव किया जाये एवं रात को किया जाये।

2.यदि रास्ते में कोई सिविलियन मिलता है ता उसे छोडा न जाये।

3.मूव के दौरान सीखी हुई ड्रिल का इस्तेमाल किया जावे।

(ख)गांव का घेराव करना–गांव से निश्चित दूरी पर रिलीज प्वाइंट का चुनाव करना चाहिये। रिलिज प्वाइंट तक ट्रुप्स गाडियों में आ सकते है तथा भारी सामान को वहॉ छोडा जा सकता है। कॉर्डन पार्टी को क्रॉस कन्ट्री हरकत करनी चाहिये, ताकि बचाव के सारे रास्ते बंद हो जाये। शुरू में कॉर्डन को गांव से दूरी पर लगाया जाये तथा फिर निश्चित किय गये समय में गांव के नजदीक कर दिया जाये। जिस

जगह पर कॉर्डन लगना संभव न हो वहॉ पर स्टॉप्स लगाये जायें। संदिग्ध व्यक्तियों के भागने के रास्तों पर स्टॉप्स के रूप में एम्बुश लगाना चाहिए।

(ग) तलाशी का तरीका– जब गांव का घेराव हो जाता है तो पूरे गांव की विस्तार से तलाशी लेनी चाहिये। संदिग्ध मकानों की यदि हो सके तो पहले तलाशी ली जाये। तलाशी ऊपर से नीचे को ली जाये।

7.संक्षेप–(conclusion)– कॉर्डन एण्ड सर्च ऑपरेशन काउंटर इमरजैन्सी की लडाई का एक बहुत महत्त्वपूर्ण ऑपरेशन है। यदि पक्की खबर एवं विस्तारपूर्वक योजना के बाद ऑपरेशन किया जाये ता इसमें सफलता अवश्य ही मिलेगी।

1 घेराबंदी करना–

(क) गांवो, कस्बों, गलियों की बनावट, जमीनी बनावट तथा उसकी विस्तृत सूचना एकत्र करें।

(ख) सरप्राइज के लिये कार्यवाही(movement)–अलग रास्तों से करें।

(ग) घेराबंदी रात के समय में उजाला होने से पूर्व तथा तलाशी दिन के समय करे।

(घ) घेराबदी पूरी होने तक उच्च स्तर का सरप्राइज बनाये रखें।

(ड) घेरा लगाते समय समन्वय के लिये एक मोबाइल पेट्रोल की नियुक्ति करें। जो कॉर्डन पार्टी से सम्पर्क बनाये रख सके

(च) गति व सरप्राइज बनाये रखने के लिये, कॉर्डन पार्टी के विभिन्न ग्रुपों के लिये अलग–अलग रास्ते चुनें।

(छ) बेहतर संचार प्रदान करें, परंतु कम से कम प्रसारण सुनिश्चित करें।

(ज) तलाशी वाले इलाके को अलग–अलग रखने हेतु टेलीफोन एक्सचेंज तथा टेलिफोन जंक्शन बाक्स को अलग करें।

(झ) घेराबंदी करने से पूर्व, भागने वाले रास्तों को अवरूद्ध करने के लिये, भागने वाले संभावित रास्तों पर उचित दूरी पर स्टॉप्स का इस्तेमाल एम्बुश के तौर पर करे।

(ट) घेराबंदी व तलाशी तब की जाय जब ज्यादातर ग्रामीण घरों में हो

(ठ) फर्स्ट लाईन के समय घेराबंदी की जॉच करें तथा गैप्स भरें।

दबिश/रेड

1. परिभाषा–

1 रेड–अपने जवानों द्वारा हॉस्टाईल्स के छिपने के स्थान या कैम्प पर बिजली की तेजी और फुर्ती से किया गया ऐसा हमला है जिसका उद्देश्य उनको पकडना या मारना तथा उनके आर्म्स या एम्युनेशन के डम्प को बर्बाद करना है। यह इलाके की सर्च तथा फोलो–अप एक्शन के साथ खत्म होता है।

2 हाईड आऊट– हाईड आऊट सुरक्षा बलो की पहुॅच से बाहर एक ऐसी छुपाव वाली जगह होती है जहां पर होस्टाईल अपने आप को आराम, रीफिट रिऑगेनाइज तथा ट्रेनिंग करते है, और सुरक्षा बलों के बारे में ताजा खबरे हासिल करे अपने ऑपरेशन को प्लान करते है या आर्म्स/एम्युनेशन/इक्युपमेंट को डम्प करते है।

2 हाईड आऊट की किस्में–

1.Training camp - (क) स्थाई (ख) अस्थाई 2.Transit/Rest/Launching camp 3-Harbour(हार्बर)

3 Hide out की विशेषताएं–

1.सुरक्षा बलों की पहुॅच से बाहर।

2.मुख्य सडकों व रास्तों से दूर।

3.घनी आबादी वाले इलाके/गांवों के नजदीक। (Semi urban area में जहां जंगल और पहाडी इलाका कम होता है वहां हॉस्टाईल आमतौर पर अपने हाईड आऊट गॉव या ऐसी जगह पर बनाते है जहां उनके मिलने की उम्मीद कम हो, जैसे फार्म हाऊस या गॉव में कोई छुपाव मे जगह।

4.Concealed position: हाईड आऊट को जंगल, पहाडी या दरियाई इलाके में ऐसी छुपाव वाली जगह में बनाया जाता है। यहां पर सुरक्षा बलों द्वारा इलाके की खोज के दौरान हवाई देखभाल के दौरान उनका मिलना असंभव हो

5.भागने के रास्ते प्रत्येक हाईड आउट से भागने के रास्ते पहले से ही अंकित किये गये होते है जो ज्यादातर क्रास या नदी नालों के दामन में चुने जाते है।

6.Tactically Sighted नहीं होते है।

4.सुरक्षा बलों द्वारा जंगलों में हाईड आउट को तलाश करते समय पेश आने वाली दिक्कतें–नार्थ ईस्ट,पंजाब श्रीलंका, जम्मू कश्मीर में रेड जैसे ऑपरेशन हॉस्टाईल के खिलाफ करते रहने से सुरक्षा बलों को अलग–अलग स्थितियों में अलग–अलग टैरेन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पडता है जिसमें कुछ इस प्रकार हैः–

1.पहचान वाले लैंडमाक्र का नहोना या कम होना।
2.दिशा को मैन्टेन करने में दिक्कत।
3.जंगली इलाको में कम विजिबिलिटी
4.पहाडी व दरयाई इलाकों में सडक का व रास्तों का कम होना।
5.छुपे हुए हॉस्टाईल का डर होना।
6.सही खबर व इन्टैली जेन्स की कमी।
7.जनता से सहायता का अभाव।
8.हाईड आउट को जंगल में पिन प्वाईंट करना मुश्किल।
9.संचार में मुश्किल।
10.कंमाड एंव कन्ट्रोल मुश्किल।
11.स्टोप्स को लगाने में दिक्कतें।
12.भागने के रास्ते ज्यादा तादात में होना।
13.ट्रुप्स की थकावट।

5.हॉस्टाईल हाईड आउट के बारे में खबरे हासिल करने के जरियेः–

1.लोकल याएंजेट्स/सोर्स
2.आत्मसमर्पित हॉस्टाईल
3. हॉस्टाईल द्वारा सताये हुए लोग।
4.मजदूर या कुली या उनके परिवार के सदस्य जिन्हे हॉस्टाईल ने इस्तेमाल किया हो ।
5.पकडे गये दस्तावेज।
6.सहायक इंटैलीजेंस संस्थाओं की खबरे।
7. हॉस्टाईल द्वारा छोडे गए सबूत।

6. हॉस्टाईल हाईड आउट में रूटीनः– हॉस्टाईल के हाईड आउट में कोई भी निश्चित रूटीन नहीं होता है।तजूर्बे के आधार पर यह पाया गया है कि हॉस्टाईल के अलग अलग ग्रुप निम्न प्रकार के सिस्टम या रूटीन को अपनाते हैः–

1.अक्सर वे खाना सुबह जल्दी ले लेते है।
2.खाना बनाने का समय निर्धारित किया होता है।
3.सुबह की पहली किरण के साथ हाईड आउट को छोड दिया जाता है।

4.रात होने के बाद हाईड आउट में शरण ले ली जाती है।
5.संतरियों को हाईड आउट के चारों और लगाया जाता है।
6.हाईउ आउट में आपरेशन प्लान करने के लिए मीटींग बुलाई जाती है।

7.हाईड आउट का बदलनाः– हॉस्टाईल निम्नलिखित स्थितियों में अपने हाईड आउट को बदलते हैः–
1.जब सुरक्षा बल आसपास ऑपरेशन कर रहे हो
2.जब सुरक्षों बलों द्वारा हाईड आउट की पहचान कर ली गयी हो।
3.जब हॉस्टाईल का कोई सदस्य पकडा गया हो
4.समय–समय पर (एक स्थान पर लम्बे समय तक न रहना)
5.जब कभी हाईड आउट का कोई सदस्य अपने परिवार से मिलने बाहर जाता है।

8. दबिश/रेड के उसूलः–

1.सरप्राइजः–अंत तक कायम रहना चाहिए।

2.सिक्यूरिटीः–लोकल जनता से अपनी ट्रूप्स की मुवमैंट,प्लान तथा तैयारियां छूपी रहनी चाहिये क्योंकि हॉस्टाईल सुरक्षा बलों की खबरों के लिए जनता पर ही पूरी तरह निर्भर रहते है। मोमेन्ट के दौरान सिक्यूरिटी कनवेशनल रेड की तरह होनी चाहिये।

3.स्पीडः–एक बार जब सरप्राइज खो दिया जाता है या रेंडिग पार्टी का हाईड आउट के हॉस्टाईल के साथ लगाव हो जाता है तो टुप्स को पूरी तेजी के साथ कार्यवाही कर देनी चाहिए।

4.शॉक एक्शनः–चलते–चलते फायर करने,ग्रेनेड का इस्तेमाल करने तथा तेजी के साथ हाईड आउट के उपर असाल्ट करने से हासिल होता है।

5.तलाशीः–रेड के आपरेशन प्लान करने के दौरान सर्च के लिए अच्छा खासा समय रखना चाहिए। हाईड आउट के अन्दर तथा बाहर चारों ओर के इलाके

6.pursuit पीछा करनाः–छोटे दर्जे के ऑपरेशन मे pursuit भी एक विशेष महत्व रखता है pursuit group को पहले से नामित कर देना चाहिए जो कि भागते हुये हॉस्टाईल को पूरी तरह से बरबाद करने का या पकडने का जिम्मेदार होता है।

9. दबिश/रेड की प्लानिंग व कंडक्ट–रेड करने वाले ग्रुप को जहां तक संभव हो सके पूरी डिटेल के साथ सेंड मॉडल पर ब्रीफ करना चाहिये। रेड को दिये हुये टाक्स रेड के निम्न ग्रुप्स पर आधारित होते है–

(अ)रेड ग्रुप (ब) pursuit group (स) स्टॉप ग्रुप

(अ)रेड ग्रुप–यह ग्रुप असल में हाईड आऊट के ऊपर रेड करता है। इस ग्रुप की नफरी हाईड आऊट की बनावट व साईज पर निर्भर करती है।इसके अलावा रेड ग्रुप की नफरी निम्न हालातो पर भी निर्भर करती है।

1. सरप्राईज हासिल करना, हास्टाईल के भागने की संभावना को कम करना।
2. जब हास्टाईल के हाई आऊट की पिन पांईट की जानकारी न हो
3. जब ग्राउंड पूरे ग्रुप को डिप्लोय करने की अनुमति न देता हो
4. अगर रेड के दौरान अपने ट्रुप्स द्वारा आपस में ही एक दूसरे पर फायर करने के खतरे पैदा होते हो।
5. इस ग्रुप के पास हल्के हथियार व हल्के इक्यूपमेंट होते हैं। रेड को अगर हाई ग्राउण्ड ये लो ग्राउण्ड की तरफ किया जाये तो अत्यधिक फायदा मिलेगा।

   (iv) रेड ग्रुप को निम्न टीमों में बॉटा जाता है–
   - संतरी साईलेंसिंग टीम (sentry silencingteam)
   - रेडिंग टीम (raiding team)

- सर्च टीम (search team)
- इन्टेरोगेशन टीम (interogation team)
- कैदी हैन्डलिंग टीम या गार्ड पार्टी (prisoner's escort team)

(ब)परसूट ग्रुप–यह ग्रुप उन खासतौर पर चुने गये कार्मिको का बनाया जाता है जिनके पास हल्का इक्यूपमेंट या हथियार होता है, और जो हाईड आऊट से भागते हॉस्टाईल का पीछा करने मे सक्षम हो ऑपरेशन के शुरूआती दौर में परसूट ग्रुप रिजर्व के तौर पर काम करता है और ट्रेकर कुत्ते अगर उपलब्ध हो तो उन्हे इस ग्रुप के साथ रखना चाहिये। कई बार इस ग्रुप को दो या दो से ज्यादा भागों में बॉट दिया जाता है ताकि अलग–अलग दिशाओं मे भागते हॉस्टाईल का पीछा किया जा सके।

(स)स्टॅाप ग्रुप–स्टॉप्स को हमेशा जोडी–जोडी मे लगाना चाहिये और उन्हें नदी, नालों के मुहानों, पहाडी की तलहटी या संभावित एस्केप रूट्स पर लगाना चाहिय।स्टॉप्स को हाईट आऊट के नजदीक वहां तक ले जाना चाहिये, जहां तक सरप्राईज बरकरार रह सकता हो

10 रेड करने से पहले ध्यान मे रखने वाली जरूरी बातें–

(1) हॉस्टाईल तथा हाईड आऊट के बारे में डिटेल में खबर।

(2) ट्रुप्स की डिटेल में ब्रीफिंग।

(3) गाईड और उसकी हिफाजत का सही इस्तेमाल व बंदोबस्त।

(4) अलग–अलग पार्टियों में कम्युनिकेशन के कॉल साईन निर्धारित करना।

(5) नेविगेशन चार्ट का बनाना।

(6) ट्रुप्स की मूवमेंट को मौजूदा रास्तों से हटाकर करना।

(7) रेड पर जाते समय गांव आदि से न गुजरें। अगर ऐसा न हो पाये तो गांव से मूवमेंट इस प्रकार करें कि काई शक न कर सके।

11 रेड के दौरान ध्यान मे रखे जाने वाली बातें–

(1)हो सके तो हाईड आऊट को हाई ग्रांउण्ड से लो ग्राउण्ड की ओर अप्रोच करें।

(2)सभी रास्तों,उनके लिक्सं व नालों के मुहानों या फैरी प्वाईंट पर स्टॅाप्स को लगाया जाये।

(3)रेड करने के समय को हमेशा बदला जाये ताकि सरप्राइज बना रहें।

(4)अगर दिशा मालूमन हो तो हॉस्टाईल का पीछा न किया जाये।

(5)हाईड आउट से कॉन्टेक्ट होने के उपरान्त रेड करने वाली पार्टी आक्रमण करने के साथ कार्यवाही करें।

(6)रेड को एस समय किया जाये जिस समय हॉस्टाईल के सावधान रहने की संभावना कम हो

12.संक्षेपः– रेड एक तेजी से की गई कार्यवाही है जो कि हॉस्टाईल के हाईड आउट पवर उसके बारे में मिली पुख्ता खबर के आधार पर अमल में लाई जाती है। एक बार हाईड आउट को लोकेट कर लिया जाता है तो रेड करने वाले ग्रुप को तेजी से कार्यवाही करके हॉस्टाईल का मारना या पकडना होता है। रेड की प्लानिंग,तैयारी तथा कार्यरूप देने के दौरान हमेशा यह उद्देश्य ध्यान में रखना चाहिए कि पूरी कार्यवाही शुरू से लेकर अंत तक गुप्त रहे। रेड के दौरान परसूट की कार्यवाही और रेड के इलाके की खोज,तत्परता और बारीकी के साथ होनी चाहिए। रेड की सफलता जूनियर लीडरशिप की पहल और कुशल नेतृत्व तथा टूर्पस् के प्रशिक्षण व मोटिवेशन पर निर्भर करता है।

3.नाकाबन्दी

नाकाबन्दी –नाकाबन्दी से तात्पर्य उस कार्यवाही से है जिसमें अपराधियों को पकडने या कार्यवाही करने के लिए पुलिस गुप्त रूप से ऐसे स्थानों पर नाका लगाकर चैकिंग व घेरावबन्दी करती हैं, जहां से अपराधी आते–जाते है। नाकाबन्दी कभी–कभी अकस्मात भी होती है।

(क) नाकाबन्दी के साधारण सिद्वान्त

• **सूचना की स्पष्टता**–नाकाबन्दी किस अपराध के संबंध में हो रहीं है, अपराध किस ढंग से घटित हुआ है, अपराधी का हुलिया क्या है, अपराधी के पास किस प्रकार के हथियार हो सकते हैं, अपराधी किस तरफ भाग सकता है, अपराधी के पास कौनसा साधन है, आदि समस्त जानकारियां स्पष्ट रूप से होनी चाहिए।

• **स्थान की उपयुक्तता** –नाकाबन्दी करते समय उपयुक्त स्थान का चयन करना बहुत आवश्यक है। उस स्थान का चयन करना चाहिए जहां से अपराधी की आमद रफत सबसे ज्यादा रहती है या उस मार्ग पर नाकाबन्दी करनी चाहिए जिस मार्ग को अपराधी काम में लेता है।

• **ब्रीफिंग**–उच्चाधिकरी द्वारा चाहिए कि वह नाकाबन्दी में लगे समस्त पुलिस बल को ब्रीफिंग करे,ताकि नाकाबन्दी के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो । पुलिस बल को किसी प्रकार की शंका हो तो इसी स्तर पर उसका निवारण किया जाना चाहिए।

• **पर्याप्त जाब्ता**–नाकाबन्दी की सूचना के अनुसार उचित पुलिस जाब्ते के साथ नाकाबन्दी करनी चाहिए। कई बार राजमार्ग पर नाकाबन्दी करते हैं तो कुल जवान वाहन रूकवाने के लिए,कुछ जवान पूछताछ करने के लिए,कुछ जवान वाहनों का इन्द्राज करने के लिए चाहिए।

• **पर्याप्त हथियार**–यदि अपराधी हथियार सहित है तो पुलिस को भी उचित हथियारों के साथ नाकाबन्दी करनी चाहिए। नाकाबन्दी करते समय पुलिस बल के पास अत्याधुनिक हथियार होने चाहिए

• **उच्चाधिकारियों से संवाद**–नाकाबन्दी के दौरान उच्चाधिकारियों से निरन्तर संवाद रखना चाहिए। उन्हे नवीनतम घटनाक्रम से अवगत कराते हुए उनसे उचित दिशा–निर्देश प्राप्त करते रहना चाहिए। कई बार अपराधी नाकाबन्दी तोडकर अन्य जिले या अन्य राज्य में प्रवेश कर जाते है। यदि उच्चाधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क है तो अन्य जिला पुलिस या अन्य राज्य पुलिस के माध्यम से अपराधियों का पीछा किया जा सकता है।

(ख) नाकाबन्दी के लिए आवश्यक संसाधन एवं तैयारी

प्रभावी नाकाबन्दी के लिए आवश्यक है कि इसकी पूर्व से अच्छी तैयारी कर ली जावे। नाकाबन्दी की सफलता के लिए निम्न प्रकार के संसाधन जुटा लिये जाने चाहिए और निम्न प्रकार की तैयारी कर लेनी चाहिए।

• पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल होना चाहिए, ताकि नाकाबन्दी प्रभावशाली ढंग से की जा सके। जाब्ते की मात्रा नाकाबन्दी की सूचना पर आधारित हो ,यदि हथियारबन्द अपराधी के लिए नाकाबन्दी है तो पुलिस बल को भी उसी के अनुसार हथियारों की व्यवस्था करनी चाहिए।

• जिस स्थान पर नाकाबन्दी की जानी है वो ऐसा होना चाहिए जहां से अपराधियों का आवागमन रहता है। वह स्थान सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए।

• नाकाबन्दी के लिए आवश्यक उपकरण भी होने चाहिए :–जैसे ड्रेगन लाईट, वायरलैस उपकरण, बैरिकेटस वाहन आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।

• जो पुलिस बल नाकाबन्दी में शामिल हो रहा है , उसको अच्छी तरह से बीफींग कर देनी चाहिए, ताकि पुलिस बल के मन में किसी प्रकार की शंका न हो और यदि कोई शंका हो तो उसका निवारण उच्चाधिकारियों द्वारा कर देना चाहिए।

(ग) नाकाबन्दी का संचालन एवं ध्यान रखने योग्य बातें

1. नाकाबन्दी उन रास्तों पर की जावे जो मुख्य रूप से गाँव या शहर को जाते है तथा उधर से अपराधियों का आना जाना हो
2. नाकाबन्दी स्थल पर मार्ग अवरोधक व आड़ का प्रयोग करना चाहिए।

3. नाकाबन्दी पार्टी के पास वायरलैस तथा वाहन की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि अवरोधक तोड़कर या वापस मुड़कर भागने वालों को पकड़ा जा सके।
4. नाकाबन्दी करते समय कोई चमकीली वस्तु नहीं पहने।
5. नाकाबन्दी पर बीमार व अस्वस्थ कर्मचारी को नहीं ले जावे।
6. नाकाबन्दी किये जाने वाले स्थान को गुप्त रखा जावे।
7. नाकाबन्दी करते समय पूर्ण सतक्रता एवं सावधानी रखी जावे।
8. नाकाबन्दी के दौरान कोई बातचीत नहीं करें।
9. इंचार्ज के आदेशों की पालना सख्ती से करे।
10. यदि एक से अधिक नाके हो तो आपस में सम्पर्क बनाये रखे।
11. नाकाबन्दी पर जाने से पूर्व आवश्यक हथियार साथ ले जावे।
12. नाकाबन्दी के दौरान पर्याप्त मात्रा में जाब्ता होना चाहिए तथा उन्हे नाके के आसपास गांव व रास्तों की जानकारी होनी चाहिए।
13. नाकापार्टी को निकटतम तारघर टेलीफोन का ज्ञान होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर अन्य पडौसी थाना या चौकी से सम्पर्क किया जा सके।

(घ)स्थाई पिकेट पर चैकिंग–कई मामलों में पुलिस को स्थाई पिकेट और उन पर पुलिस बल लगाना पडता है,विशेषकर कफ्र्यू के दौरान स्थाई पिकेट का चयन उस स्थान का करना चाहिए जो कानून व्यवस्था के हिसाब से उपयुक्त हो कई बार अपराधियों पर निगरानी करने के लिए भी स्थाई पिकेट का चयन करते है। स्थाई पिकेट पर लगा जाब्ते के पास पर्याप्त मात्रा में हथियार हो और उनकी पारी भी समय पर तब्दील होनी चाहिए। स्थाई पिकेट असामाजिक तत्वों पर प्रभावी निगरानी का एक अच्छा साधन है।

(ड)व्यवहारिक प्रशिक्षण –

परिभाषा :–जब कोई अपराधी, कोई गिरोह या डकैत किसी स्थान पर अपराध करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ से निकलने वाले रास्तों को रोककर अपराधियों को रोकने या पकड़ने के लिए जो पुलिस दल निकल भागने वाले रास्तों पर वाहनों/पैदल व्यक्तियों की चैकिंग में लगया जाता है, उसे नाकाबन्दी कहते हैं।

भूमिका :–जब किसी थाना क्षेत्र में कोई अपराधी, गिरोह या डकैत किसी घटना को अन्जाम देते हैं या ऐसी सूचना मिलती है कि ऐसा गिरोह ऐसी घटना को अन्जाम देने की फिराक में है तो उस थाने का इन्चार्ज उस गिरोह डकैतों या अपराधियों को पकड़ने के लिए अपने थाना क्षेत्र से उन उपराधियों को पकड़ने के लिए अपने थाना क्षेत्र सेउन अपराधियों के बचकर भागने के रास्तों पर नाकाबन्दी करवाता है तथा अपने आस–पास के थानों को भी इसकी सूचना देकर नाकाबन्दी के लिए प्रेरित करता है ताकि अपराधी भाग न पायें और किसी न किसी नाकाबन्दी स्थान पर पकड़े जायें। यह कार्यवाही सूचना मिलते ही तुरन्त व पुख्ता की जाये। जहाँ तक सम्भव हो अपराधियों की पूरी सूचना इकट्ठी की जाये कि अपराधी कितने हैं, उनकी बोल–चाल व भाषा कैसी है, उन्होने कैसे कपड़े पहन रखें हैं, भागने के लिए उनके पास साधन क्या है या हो सके तो वाहन के नम्बर व रंग भी पता होना चाहिए, उनकी संख्या क्या है, यदि उनके पास हथियार है तो किस किस्म के हैं। उनके भागने की दिशा कौनसी उक्त सभी प्रकार की सूचनायें जहाँ–जहाँ नाकाबन्दी की गई है उन सभी को इसकी सूचना तुरन्त प्रभाव से और पक्की तौर पर देनी चाहिए ताकि नाका पार्टी को उन अपराधियों को पकड़ने में मदद मिल सके।

नाकाबन्दी के प्रकार :–

1.रुटीन में :–थाना इन्चार्ज अपने थाने के इलाके में या थाने के एरिया बॉर्डर पर समय–समय पर नाकाबन्दी कर वाहनों की चैकिंग करता है जिससे तस्करों, बदमाशों, अपराधियों आदि को रोकने में मदद मिलती है।

2.किसी विशेष सूचना पर :–जब कभी देश, राज्य में कहीं कोई घटना जैसे–लूट, डकैती, अपहरण, हत्या या बम ब्लास्ट करके कोई अपराधी भागने की कोशिश करते हैं और इसकी पुख्ता सूचना मिलती है तो तुरन्त प्रभाव से उस क्षेत्र से निकलने वाले वाहनों को रोक कर चैकिंग की जाती है ताकि घटना करने वाले अपराधियों को पकड़ा जा सके।

नाकाबन्दी के लिए स्थान का चुनाव व सामान :–नाकाबन्दी करने वाली पार्टी के पार्टी कमाण्डर को चाहिए कि वह नाकाबन्दी ऐसे स्थान पर लगायें जहाँ से अपराधी किसी भी सूरत में भागने न पाये। इसके लिए सड़क का घुमाव या सड़क की चढ़ाई या सड़क के दोनों ओर से निकल भागने के लिए कोई जगह न हो साथ ही पार्टी के लिए फील्ड ऑफ फायर साफ हो तथा दूर से आने वाली गाड़ी को आसानी से देख कर उसकी पहचान कर सके।

सामान :–नाकाबन्दी पार्टी के पास नाकाबन्दी करने का पूरा सामान होना चाहिए जिसमें वाहनों को रोकने के लिए चेतावनी बोर्ड, बैरिकेट्स, पत्थर आदि हो तथा फायरिंग पार्टी को पोजीशन लेने के लिए मोर्चे खुदे हुए या सेण्डबैग से बनाये हुए हो नाकाबन्दी पार्टी के सभी जवानों के पास छोटे व कारगर हथियार, कम्यूनिकेशन के साधन, अंधेरे में देखने के लिए टॉर्च, जरूरत पड़ने पर पीछा करने लिए अच्छा वाहन व ड्राईवर, फस्टएड बॉक्स आदि होने चाहिए। रस्से, हथकड़ी, हथियार व एम्यूनेशन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए।

नाकाबन्दी की पार्टियाँ :– नाकाबन्दी प्वाइन्ट से कम से कम 300 गज या 400 गज पहले एक कच्ची नाकाबन्दी लगानी चाहिए ताकि अपराधियों को लगे कि पुलिस की नाकाबन्दी है और वह उसे तोड़ कर आगे निकलने की कोशिश करेंगे तो पक्की नाकाबन्दी को इसकी सूचना मिल जायेगी और वे ज्यादा मजबूती से नाकाबन्दी करेंगे और अपराधियों को पकड़ लेंगे।

1.स्टॉप पार्टी :– वाहनों को रोकने के लिए इशारा देगी तथा बैरिकेट्स लगायेगी। इस पार्टी में 2 जवान चुस्त–समझदार होने चाहिए।

2.सर्च पार्टी :– सर्च पार्टी में 8 जवान छोटे हथियारों के साथ तथा सड़क के दोनों ओर 4–4 जवान पोजीशन में हो ताकि गाड़ी रुकते ही वे वाहन के दोनों ओर पीछे के दोनों दरवाजों से तलाशी कर सकें। उनके साथ ही जोड़ी–जोड़ी में जवान तलाशी लें एक जवान उसकी सुरक्षा के लिए साथ रहे तथा साथी (Buddee) के तौर पर काम कर सकें।

3.फायरिंग पार्टी :– फायरिंग पार्टी में कम से कम आठ जवान हो ताकि उनकी दो अलग–अलग पार्टियां बनाई जा सकें जो दोनों ओर से फायर डालने में सक्षम हो

4.रियर गार्ड :– पीछे भागने वाले अपराधियों को रोकने के लिए सड़क के दोनों ओर दो रियर गार्ड लगाने चाहिए। यह काम कच्ची नाकाबन्दी में लगे जवान करते हैं।

5.रिजर्व पार्टी :– रिजर्व पार्टी में कम से कम आठ जवान होने चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें काम में लाया जा सके या अपराधियों द्वारा भारी फायर करने पर फायरिंग पार्टी की जवाबी कार्यवाही में मदद कर सके और उन्हें सपोर्ट फायर भी दे सके।

6.एस्कॉर्ट पार्टी :– अपराधियों के पकड़े जाने पर या घायल होने पर उन्हें थाने या अस्पताल तक ले जाने लिए उनके साथ एस्कॉर्ट करें जब तक कि उन्हें थाना पुलिस को सुपुर्द ना करे।

इस प्रकार नाकापार्टी प्राप्त सही सूचनाओं व अपनी पार्टियों की सही बांट व काम के बल पर त्वरित कार्यवाही करके अपराधियों को पकड़ने में कामयाब हो सकती है।

नाकाबन्दी करते समय किन–किन बातों पर ध्यान देना चाहिए :–

1. पार्टी के व्यक्ति एक स्थान पर इकट्ठा ना रहें वे अपनी–अपनी जगह अपने मोर्चे में रहें।
2. निश्चित स्थान को गुप्त रखना चाहिए।
3. किसी भी प्रकार का शोरगुल नहीं करना चाहिए।
4. गश्त के लिए निकले पुलिस जवानों को नाकाबन्दी कहाँ की गई है इसका पता होना चाहिए।

5. नाकाबन्दी उस मार्ग की करें जिस पर अपराधियों के आगमन की सम्भावना अधिक हो
6. नाकाबन्दी में बीमार जवान को नहीं ले जाना चाहिए।
7. नाकाबन्दी के दौरान टीम के सदस्यों के मध्य आपसी संपर्क बना रहना चाहिए।
8. कच्ची नाकाबन्दी तोड़कर अपराधी भागते हैं तो उस पार्टी को उनका पीछा कर पक्की नाकाबन्दी पर अपराधियों के फंसते ही रियर गार्ड का काम करना चाहिए ताकि अपराधी पीछे नहीं भाग सकें।
9. नाकाबन्दी की सभी पार्टियों के जवानों को बुलेटप्रुफ जाकेट व हैलमेट पहने हुए होना चाहिए।
10. अपराधियों द्वारा हमला करने पर तुरन्त जबावी कार्यवाही कर उन पर काबू पाना चाहिए।

4. भीड़ नियंत्रण

(क) भीड के प्रकार

भीड़ नियंत्रण के मूलभूत सिद्वान्त

1. भीड़ से बातचीत करना तथा प्रसन्न चित्त रहना।
2. धैर्य से काम लेना।
3. क्रोध के कारणों को मिटाना।
4. आवश्यकता पड़ने पर सेवाकार्य के लिये न हिचकना।
5. नेताओं से मदद लेना।
6. प्रसन्न मुद्रा में लोगों से तर्क करना व आत्मविश्वास लाने की अपील करना।

(ख) भीड की संख्या का अनुमान लगाना – कानून व्यवस्था की स्थिति सही बनी रहे इसके लिए आवश्यक है कि भीड का सही–सही एवं पूर्वानुमान लगा लिया जावे ,ताकि किसी भी समारोह, आयोजन, रैली, धरना, जुलूस आदि में किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो और उसी के अनुरूप पुलिस बल की व्यवस्था की जा सके। एक सफल पुलिस अधिकारी को भीड का अन्दाज लगा लेना ,उसकी आसूचना तं्त्र पर निर्भर करता है। उसका आसूचना तंत्र कितना मजबूत है, आदि सब बाते भीड का सही सही अनुमान लगाने में सहायक होते है। भीड का अनुमान निम्न प्रकार से लगाया जा सकता है।

- जो जुलुस, रैली, उत्सव आयोजित हो रहा है है उसका उद्देश्य क्या है और उसमें समाज के कौन–कौन से वर्ग शामिल हो रहे हैं ?
- जुलुस, रैली, उत्सव,आदि में जो वर्ग शामिल हो रहा है ,उसकी संख्या कितनी है ?
- जो जुलुस, रैली, उत्सव, आदि आयोजित हो रहा है, वह पूर्व में कब और कहां आयोजित हुआ था और उस समय कितनी भीड एकत्र हुई थी।
- जुलुस, रैली, उत्सव आदि के आयोजनकर्ता से सम्पर्क कर यह जानकारी जुटाई जा सकती है कि कितने निमंत्रण–पत्र वितरित किये गये है , कितने समाजों के लोगों के साथ सम्पर्क किया गया है आदि तथ्य एकत्र कर भीड का अनुमान लगाया जा सकता है।
- जुलुस,रैली,उत्सव आदि में किस स्तर का नेता शामिल हो रहा है, या किस स्तर का वी0आई0पी0 शामिल हो रहा है। भीड कितनी हो सकती है यह बात वी0आई0पी0 एवं नेता की ख्याति,जनसामान्य में उसकी स्वीकार्यता, आदि पर निर्भर होता है।

(ग) भीड की मंशा का पता लगाना –अपने थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि पुलिस अधिकारी ईलाका क्षेत्र में होने वाले आयोजनों में भीड प्रबंधन प्रभावी ढग से करे। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि समस्त प्रयासो के बावजूद भी कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड जाती है। यह तब होता है जब प्रशासन भीड की मंशा को पहचानने में असफल रहता है। यदि समय रहते भीड की मंशा को पहचान लिया तो पुलिस बल द्वारा तद्नुसार अपनी कार्य –योजना बनाकर भीड पर काबू पाया जा सकता है और लोक सुरक्षा बनी रहती है।

भीड की मंशा का अनुमान निम्न प्रकार की कार्य योजना बनाकर लगाया जा सकता है।

- ❖ भीड की मंशा को पहचानने के लिए आवश्यक है कि प्रशासन को उत्सव, आयोजन के बारे में सूक्ष्तम पहलुओ की जानकारी हो ।
- ❖ भीड वाले आयोजनों में किसी भी प्रकार के हथियारों का लेकर आना पूर्णतः निषेध होना चाहिए,यदि इसके बावजूद भी आयोजन में व्यक्तियों द्वारा किसी प्रकार के हथियार लाये जाते है तो इस प्रकार का अंदाज लगाया जा सकता है कि भीड में कुछ व्यक्ति अशांति करना चाहते हैं और आयोजन को हिंसात्मकता की तरफ धकेल रहे हैं ।
- ❖ जो व्यक्ति आयोजन करवा रहा है। आयोजन में शामिल होने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस आयोजक के नियंत्रण में होना चाहिए और उसके आदेश एवं निर्देशों के अनुसार चलना चाहिए। यदि भीड उस आयोजक के आदेश एवं निर्देशों का अनुगमन नहीं कर रही है तो यह सुनिश्चत तौर पर मान लेना चाहिए कि भीड अपने उद्देश्य से विमुख हो रही है ।
- ❖ भीड वाले आयोजनो में असामाजिक तत्वों की उपस्थिति एक सामान्य बात है। आयोजनकर्ता एवं पुलिस प्रशाासन को चाहिए कि इन असामाजिक तत्वों की पहचान करे और उनके विरूद्व प्रभावी कार्यवाही करें। यदि असामाजिक तत्वों की पहचान नहीं हो पाती है तो ये लोग भीड की आड मे आपराधिक गतिविधियां कर गुजरत हैं ।

भीड़ की मानसिक विशेषतायें –

भीड़ के कुछ विशेष लक्षण होते हैं, इसके द्वारा कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार किये जाते हैं। इसे जानने के लिए भीड़ के मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन के द्वारा भीड़ के मानसिक लक्षण होते हैं। इन लक्षणों का वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. बुद्धि की कमी–भीड़ में एकत्रित होने पर बुद्धिमान लोग भी मूर्ख की तरह व्यवहार करने लगते है।
2. उत्तेजना – भीड़ के लोग छोटी–छोटी बात को लेकर उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजना भीड का एक विशेष लक्षण है। भीड़ के लोग शान्त होकर नहीं बैठ पाते । नारे लगाना ताली बजाना, नाचना, कूदना, भागना ये सभी क्रियायें उत्तेजना का अंग हैं।
3. शक्ति का अनुभव – भीड़ के लोग अपनी शक्ति को बहुत बड़ा मानते हैं बड़ी संख्या को देखते हुए लोग अपने–आपको सुरक्षित समझते हैं, और इसी कारण वे अपने–आपको शक्तिशाली मानते हैं।
4. उत्तरदायित्व का अभाव – भीड़ में उपस्थित लोगों में कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। यदि तोड़–फोड़ के नुकसान के लिए भीड़ मे उपस्थित किसी व्यक्ति से पूछताछ की जाती है तो सभी बचना चाहते हैं, ''मैंने वह काम नहीं किया''। भीड़ को किसी प्रकार की जिम्मेदारी का सौंपा भी नहीं जा सकता।
5. सहज विश्वास – भीड़ के ऊपर अफवाहों का काफी प्रभाव पड़ता है। एक दूसरे के मुंह से जो बातें फैलती हैं उन्हें लोग बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं, जैसे कुछ लोग झूठ मूठ शोर मचा दें कि '' पुलिस आ गई भागो भागो'' तो लोग इस पर तुरन्त विश्वास कर लेते हैं।
6. अस्थिरता – उत्तेजना फैलाने और सुगठन की कमी के कारण भीड़ का व्यवहार किसी बात पर टिका नहीं रहता। उसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है, उसमें निर्देश स्वीकार करने की प्रवृति भी प्रबल हो जाती है, भीड़ के सभी लोग मनमानी ढंग से काम करते हैं और किसी वादे पर टिके नहीं रहते, जितनी जल्दी भीड़ से लोग फोड़ के लिए तत्पर हो जाते हैं उतनी ही जल्दी पुलिस की चेतावनी देने पर भाग खड़े होते हैं।
7. संकल्प शक्ति की कमी – भीड़ के लोग अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते, उनमें दूसरों का अनुकरण करने तथा दूसरों के कहने पर चलने की प्रवृति देखी जाती है।
8. सामाजिक आदान–प्रदान – बड़ी संख्या में एक स्थान पर एकत्रित होने के कारण एक दूसरे के बीच आदान–प्रदान बढ़ जाता है एक दूसरे से बातचीत करना किसी के बारे में पूछताछ करना,

दूसरों को भ्रम में डालना इत्यादि सामाजिक लेने देने की क्रियायें भीड़ में पैमाने का काम करने लगती हैं।

9. नेताओं का अनुकरण – यदि भीड़ में कोई नेता होता है तो सभी लोग उसकी बातों को स्वीकार करते हैं उसी की आज्ञा के अनुसार काम करते हैं

10. नैतिकता की कमी – भीड के द्वारा कोई नैतिक कार्य नहीं किया जाता। भीड़ के लोग अधिकतर समाज विरोधी काम करते हैं। किसी को मारने पीटने गाली देने पत्थरबाजी करने, लूटपाट करने तोड़–फोड़ करने या आग लगाने से पीछे नहीं रहते। अतः भीड़ के द्वारा कभी–कभी जान और माल का भारी नुकसान हो जाता है।

(घ) विभिन्न प्रकार की भीड नियंत्रण हेतु पुलिस की संवेदनशीलता

संवेदनशील होना पुलिस का पहला एवं आवश्यक गुण है। समय समय पर पुलिस की संवदेशनशीलता की परीक्षा होती रहती है और पुलिस बल अक्सर इस परीक्षा में खरा नहीं उतरता है । पुलिस द्वारा लाठीचार्ज,बल प्रयोग, फायरिंग आदि के कारण पुलिस का असंवदेनशील होना प्रचारित किया जाता है । कानून व्यवस्था के दौरान पुलिस यदि संयमित व्यवहार करे तो कानून व्यवस्था की भयावह स्थिति से बचा जा सकता है ।

विभिन्न प्रकार की भीड नियंत्रण हेतु पुलिस की संवेदनशीलता –विशेष रूप से महिलाओं के साथ–

(1) महिला भीड प्रबंधन के लिए सरकार को वफादार औरत जैसी के महिला विधायक या शहर की कोई ऐसी महिला जिसको कि सभी लोग जानते हों का होना अतिआवश्यक है, क्योंकि किसी भी काम या प्रदर्शन को रोकने के लिए एक महिला दूसरी महिला को समझा सकती है।

(2) महिलाओ का भीड नियंत्रण के लिए महिला पुलिस का होना अतिआवश्यक हैं। ऐसे मौके जबकि महिला को किसी गैर कानूनी काम करने से रोकना हैं उस समय महिला पुलिस का होना निहायत जरूरी है, क्योंकि महिलाओं की मलाशी लेना और अन्य दुसरे प्रकार के कार्यो को पुरा करने के लिए महिला पुलिस अच्छी तरह ड्यूटी कर सकती हैं ।

(3) कई बार ऐसा भी हो जाता हैं कि महिला प्रदर्शन या मजमे को समझाा बुझाकर उनके विचार बदलकर समाधान निकाला जा सकता है ।

(4) शिक्षित महिलाओं की मदद से– महिलाओं के मजमे को तितर–बितर करने में इन महिलाओं का सहयोग लिया जा सकता हैं क्योंकि शिक्षित महिलायें समाज और देश के हालात को जानती हैं व समझती है। वे दुसरी महिलाओं को ऐसा काम करने से रोकती हैं, जिससे देश की हानि हो।

विभिन्न प्रकार की भीड नियंत्रण हेतु पुलिस की संवेदनशीलता –विशेष रूप से बच्चों के साथ –बच्चे राष्ट्र की संपति होते है और देश के भविष्य निर्माता एवं कर्णधार भी होते हैं। कई प्रकार की आयोजनों में बच्चों को शमिल किया जाता है। रैली, जुलूस,वी0आई0पी0 की सभा , आदि में बच्चों को भीड बढाने के उद्देश्य से शामिल किया जाता है। जब कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड जाती है तब बच्चे असुरक्षाकी स्थिति में आ जाते है। भीड में भगदड मच जाने के कारण बच्चों के कुचले जाने की संभावना बढ जाती है। ऐस आयोजनों में बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए।

- भीड वाले आयोजनों में बच्चों की अलग से बैठने की व्यस्था होनी चाहिए।
- आयोजन समाप्ति पर बच्चों को या तो सबसे पहले या सबसे अन्त में आयोजन स्थल से रवाना करना चाहिए ।
- बच्चों के साथ किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं करना चाहिए ।
- बच्चों के साथ उनके परिजनो को रखना चाहिए।
- बच्चों के लिए पानी वगैरह की पृथक से व्यवस्था होनी चाहिए ।
- भीड वाले आयोजनों में बच्चों के बैठने की व्यवस्था आगे होनी चाहिए ।

(ड) भीड नियंत्रण के विभिन्न तरीके

अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन तरीको को तीन मुख्य शीर्षकों में बांटा गया है–

(i) मनोवैज्ञानिक तरीके (ii) कानूनी तरीके (iii) अन्य तरीके

(i) सामान्य व मनोवैज्ञानिक तरीके–

भीड़ को नियन्त्रित करने के लिये निम्नलिखित तरीकों को काम में लाया जा सकता है–

(1) पुलिस को अपना कार्य को आतुरता से नही करना चाहिए, क्योंकि यह कहावत हैं कि ''बिना विचारे जो करे सो पिछे पछताए''।

(2) पुलिस को कार्य में उचित समय का सदैव ध्यान रखना चाहिए, कहा भी गया है "Strike Iron when it is hot"

(3) ऐसे समय पर आंखें दिखाने या लाल–पीला होने से स्थिति बिगड़ सकती है। अतः सुझबुझ व दूरदर्शिता से ही भीड़ से निपटना चाहिऐ।

(4) क्रुद्व होने पर भीड़ का व्यवहार मूर्ख व्यक्ति के समान होता है। भीड़ अपनी मनमानी करती है। वह दूसरों की बात कम सुनती है, अतः ऐसे अवसर पर उसके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करना अपेक्षित है।

(5) भीड़ का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों से चतुराई से काम लेना चाहिये। बातचीत में हठधर्मिता अथवा चाटुकारिता नही होना चाहिये। यथार्थता को ध्यान में रखते हुये पुलिस पटुताओं का प्रयोग करना चाहिये। साम, दाम, दण्ड एवं भेद की नीति अपनाकर स्थिति को काबू में करना चाहिये।

(6) बातचीत में यदि एक बार में सफलता न मिले तो पुनः प्रयत्न करना चाहिये। निराशाजनक रवैया उचित नही होता। मानसिक सन्तुलन बनाये रखते हुये धैर्य से काम लेना चाहिये।

(7) प्रत्युत्पन्नमति होने का परिचय देना चाहिये। भीड़ को रचनात्मक सुझाव देकर अपने दृष्टिकोण को समझाना चाहिये। लोगों में विवके एवं आत्मविश्वास पैदा करना चाहिये।

(8) जब तनाव अधिक महसूस हो तो सड़कों पर रात्रि में गश्त बढ़ा देनी चाहिये। विशेष स्थिति में नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाने चाहिये।

(9) नेताओं से बातचीत के समय पुलिस अधिकारी को ऐसा दिखावा करना चाहिये मानो पुलिस भीड़ का ही पक्ष ले रही है। भीड़ में से उनके नेताओं को बातचीत के लिये आमंत्रित कर लेना चाहिये। ऐसा करने से उनके आत्म सम्मान की तुष्टि हो जाती है। इन्ही के सहयोग से भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है। पुलिस अधिकारी को भीड़ की भावनाओं की सच्ची जानकारी होनी चाहिये।

(10) भीड़ का ध्यान दूसरी तरफ बंटाने का प्रयत्न करना चाहिये। ध्यान बंटने पर भीड़ में तनाव व उत्तेजना कम हो जाती है। स्वस्थ हंसी मजाक, कहानी, चुटकुले आदि सुनाकर भीड़ को व्यस्त रखना चाहिये।

(11) ऐसे अवसरों पर ना तो जोर से चिल्लाने की आवश्यकता हैं और न घबरा कर इधर–उधर भाग दौड़ करने की।

(12) मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने के लिये कैमरे, सी.सी.टी.वी., टेप आदि का प्रयोग करना लाभदायक रहता है। आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग न्यायालय में भी किया जा सकता है।

(13) अफवाहों को फैलने से रोकना चाहिये। उनका खण्डन करना चाहिये। इस कार्य के लिये लाउडस्पीकर, रेडियो, टी.वी., समाचार–पत्र,मोबाईल, फेसबुक आदि का प्रयोग आवश्यकतानुसार किया जा सकता हैं।

(14) यदि किसी उपद्रव, दंगे या आंदोलन की पूर्व सूचना मिल जाये तो आवश्यकतानुसार पुलिस फोर्स का प्रबन्ध कर लेना चाहिये।

(15) नेताओं की गिरफ्तारी भीड़ के बीच नही करनी चाहिये। नेताओं की गिरफ्तारी या तो आन्दोलन से पूर्व या भीड़ के बिखर जाने के पश्चात् की जानी चाहिये।

(16) प्रत्येक कर्मचारी को अपने वरिष्ठ अधिकारी को स्थिति से अवगत कराते रहना चाहिये। जिससे वे आवश्यक व उचित कदम उठा सकें।

इतना होने पर भी यदि दंगे भड़क ही उठे, भीड़ उग्र रूप धारण ही कर ले तो बल का प्रयोग करना भी आवश्यक हो जाता है। लोगों को इस बात का अहसास होना चाहिये कि जितना प्रतिशोध उनके मन में है, प्रशासन उससे अधिक प्रतिशोध ले सकता है। कहा भी गया है, ''भय बिन होय न प्रीति।'' दुष्ट का तो दमन होना ही चाहिये।

(ii) कानूनी तरीके– प्रत्येक पुलिस कर्मचारी को कानून द्वारा भीड़ को नियन्त्रण में रखने के उपाय करने पड़ते है। ये कानून भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत भारतीय पुलिस अधिनियम, भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत निर्मित किये गये है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 व 145 के द्वारा व्यक्तियों को खतरनाक हथियार लेकर चलने से व एकत्रित होने से रोका जा सकता है। विसर्जित न होने पर दण्डित किया जा सकता हैं। ऐसे विधि विरूद्व जमाव को रोका जा सकता है।

पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 44 के द्वारा आम रास्ते पर निकाले जाने वाले जुलूस के रास्ते का निर्धारण किया जा सकता हैं।

राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम सं. 2.14, 2.17, 3.20, 3.22, 3.23 के प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिये।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 37, 38, 41, 42, 107, 110, 149, 150 से 152, 144, 129 से 131 के अन्तर्गत विधि विरूद्ध जमाव को तितर–बितर करने एवं गिरफ्तार करने व सहायता प्राप्त करने के अधिकार दिये गये है।

(iii) अन्य तरीके–

यदि भीड़ में असामाजिक तत्व, गुण्डे आदि उपस्थित है तो वे प्रायः पीछे रहकर पुलिस की नजरों से बचे रहते हैं तथा भीड़ भरे स्थानों पर अपराध करते हैं। ऐसे तत्वों को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए । भीड़ को नियंत्रित करने के निम्नलिखित तरीके अपनाये जा सकते है।

1. चेतावनी
2. शक्ति प्रदर्शन
3. लाठी चार्ज
4. अश्रु गैस का प्रयोग
5. अग्नियन्त्र का प्रयोग
6. पानी यन्त्र का प्रयोग
7. यातायात कर व्यवस्था
8. आसूचना संग्रहण की पूर्ण व्यवस्था
9. पीने के लिए पानी का उचित प्रबन्ध
10. पिकेटिंग एवं पैट्रोलिंग
11. घायलों की प्राथमिक चिकित्सा
12. शवों का शीघ्र पोस्टमार्टम
13. शवों के जुलूस को निकालने पर प्रतिबन्ध, तथा
14. टेलीफोन व वायरलैस का उचित प्रबन्ध।

इनके अतिरिक्त यदि निम्नांकित सुरक्षात्मक तरीके पहले ही अपना लिये जाये तो भीड़ द्वारा की जाने वाली हानि से बचा जा सकता है–

(क) गुण्डों व असामाजिक तत्वों की सूची तैयार करना।
(ख) हेल्मेट, बूट, लोहे के वस्त्र व जंजीरो की व्यवस्था
(ग) शान्ति समितियां गठित करना
(घ) औद्योगिक सुरक्षा दल स्थापित करना
(ड़) सामाजिक संस्थानों की सहायता प्राप्त करना
(च) नियंत्रण कक्ष स्थापित करना
(छ) हथियारों का प्रबन्ध करना।
इन उपर्युक्त व्यवस्थाओं को लागु करने से पूर्व समस्त कानूनी पूर्तियां करनी आवश्यक है।

(क) वी0आई0पी0 यात्रा में भीड का प्रबंधन–

जब वी0आई0पी0 आता है जो विशाल आम सभा का आयोजन होता है और उसमें भारी संख्या में जन समूह आता है। ऐसी स्थिति में उस भीड का उचित प्रबंधन पुलिस के लिए एक बडी चुनौती बन जाती है। ऐसी सभाओं में पुलिस का व्यवहार शालिनतापूर्ण होना चाहए। वी0आई0पी0 की आम सभा का आयोजन में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए ।

- सभास्थल खुले मैदान में होना चाहिए ।
- आसपास कोई बडी इमारत, पेड आदि नहीं होना चाहिए, यदि है तो उस पर पुलिस बल नियोजित होना चाहिए ।
- पुलिस बल के पास पर्याप्त हथियार एवं दूरबीन होनी चाहिए ।
- सभा स्थल सडक से अवश्य जुडा होना चाहिए, ताकि वाहनों का आवागमन सुगम रहे ।
- सभा स्थल के आसपास खुले रूप से पत्थर, ईंट आदि नहीं होने चाहिए, अन्यथा किसी प्रकार की अव्यवस्था होने पर पथराव की आशंका पैदा हो जाती है ।
- सभास्थल को बैरिकेट लगाकर सैक्टर्स में विभाजित कर देना चाहिए ।
- प्रत्येक सेक्टर में वर्दीधारी एवं सादावर्दीधारी पुलिस बल तैनात किया जाना चाहिए ।
- वी0आई0पी एवं जनता का प्रवेश के अलग–अलग रास्ते से होने चाहिए ।
- सभास्थल पर स्त्री एवं पुरूषों के बैठने की व्यवस्था अलग अलग होनी चाहिए ।
- वी0आई0पी0 का सभा स्थल सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के सेक्टर्स में विभाजित रहता है । पुलिस बल को इन सेक्टर्स में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए ।

1. प्रथम सेक्टर में महिलाओं, बच्चों, विशेष आमंत्रित सदस्यों एवं प्रेस के बैठने की व्यवस्था की जावे ।
2. प्रथम सेक्टर में प्रवेश द्वार पर डी.एफ.एम.डी. लगाई जाएगी व उनके संचालन के लिए सादा वस्त्र में सुरक्षा अधिकारी लगाये जायेंगे।
3. सुरक्षा के लिहाज से प्रत्येक सेक्टर में सादा वस्त्रधारी पुलिस अधिकारी तैनात किये जायेंगे जो भीड़ में अवांछनीय गतिविधियों पर निगरानी रखेंगे ।
4. मीडिया कवरेज के लिए तख्ते इत्यादि 'वाई' सेप में लगाये जायेंगे ।
5. सेक्टरों के आखरी छोर पर सभास्थल में प्रवेश करने वाले द्वारों पर यानि कि गैंटवें पर पर्याप्त मात्रा में डीएफएमडी लगाई जायेगी । आमजन को इनसे गुजारा जायेगा और आवश्यकता पड़ने पर एच0एच0एम0डी0 का इस्तेमाल एवं फ्रिसकिंग की जायेगी ।

(ख) धार्मिक जुलुसों/समारोहों में भीड का प्रबंधन–आजकल बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिये अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा जूलुस, सभा व समारोह आदि निरन्तर बढ़ते जा रहे है। जुलूस व सभा समारोह प्रायः राजनैतिक पार्टियां , कृषक वर्ग, विद्यार्थी व सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये जाते हैं जिनमें हिंसा होना आम बात हो गई है । अतः जुलूस, सभा व समारोहों को शांति पूर्ण तरीके से सफल करवाने में निम्न उपायों को काम में लेना चाहिए ।

1. पुलिसकर्मी को विभिन्न वर्गों के नेताओं के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए ,ताकि आन्दोलन से निबटने में कोई कठिनाई ना हो ।
2. पुलिसकर्मी को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उनके नेताओं व उच्चाधिकारियों से बराबर सम्पर्क में रहना चाहिए ।
3. यदि जुलूस, सभा या समारोह एक साथ किन्हीं दो विरोधी पार्टियों द्वारा किया जा रहा हो तो, उच्चाधिकारियों व ईलाका मजिस्ट्रेट को सूचना देकर उनमें आपस में पर्याप्त दूरी रखें, ताकि आपस में हाथापाई या झगड़ा ना हो।
4. ऐसे समारोहों के दौरान भीड नियंत्रण उपकरण व महिला पुलिस की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए ।
5. जिन मार्गों से जुलूस इत्यादि को गुजरना हो उन मार्गों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, एम्बुलेंस, व फायर ब्रिगेड आदि की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए।
6. यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक या निजी सम्पति को हानि पहुंचाता है या भड़काउ भाषण देकर हिंसा फैलाने की कोशिश करता है, तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए ।
7. महत्वपूर्ण भवन, संस्थान, पूजा स्थल की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपाय करने चाहिए ।

(ग) बाजार,मेलों/त्यौंहारों , जन सामान्य द्वारा की जाने वाली रैलियों एवं सभाओं,छात्रों एवं श्रमिकों आन्दोलनों के दौरान व्यवस्था ।

बाजार,मेलों/त्यौंहारों के दौरान व्यवस्था—भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है जिसमें सभी धर्मों को समान माना गया है तथा सभी धार्मिक अनुयायियों की अपनी अपनी मान्यतायें व तीज त्यौहार हैं जिसके कारण सार्वजनिक स्थलों पर अक्सर ऐसे मेले व धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, जहां पर कुछ धर्म व पंत विशेष के व्यक्तियों का अत्यधिक जमावड़ा रहता है ऐसे स्थलों पर उपस्थित जन समूह के जानमाल की सुरक्षा पुलिस के लिए एक मुख्य चुनौती है क्यों कि वर्तमान में विभिन्न आतंकवादी संगठन ऐसे स्थानों पर अराजकता फैलाकर अशांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं ।

ऐसे आयोजन स्थलों पर निम्न प्रकार पुलिस प्रबंध किया जाना चाहिए

मेले के अवसर पर पुलिस प्रबन्ध 24 घण्टे राउन्ड दा क्लोक रहना चाहिए। इसे 8—8 घण्टों की शिफ्टों में बांटा जा सकता है। जिस स्थान विशेष पर भीड़ अधिक हो वहां पर अधिक पुलिस बल लगाया जावे। स्त्री पुरूषों की पृथक—पृथक आने व जाने की व्यवस्था हो। अस्थाई पुलिस थाने व चौकियां स्थापित की जाये जिनका इंचार्ज किसी जिम्मेदार अधिकारी को बनाया जावे व इन चौकियां तथा थानों का वायरलैस द्वारा आपस में समन्वय रखा जावे। यात्रियों के आने व जाने के लिए यातायात नियंत्रण व पार्किंग व्यवस्था का उचित प्रबन्ध किया जावे। सूचना एकत्रित करने व कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए महिला पुलिस, सशस्त्र पुलिस, घुड़सवार पुलिस की व्यवस्था की जावे। इसके अतिरिक्त सादा वस्त्रों में पर्याप्त पुलिस बल आसूचना संकलन व निगरानी हेतु लगाया जावे। आसपास के क्षेत्रों के व ऐसे आयोजनों को प्रभावित करने वाले पूर्व रिकार्ड धारी पेशेवर अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जावे।

मेलों व धार्मिक आयोजनों के दौरान कानिस्टेबल के कर्तव्य —

1. सदैव जनता के प्रति विनम्रतापूर्वक व्यवहार करें परन्तु कर्त्तव्यों का दृढ़तापूर्वक पालन करें ।
2. यातायात नियंत्रण एवं भीड़ को योजनाबद्ध ढंग से तितर—बितर करें ।
3. जुलूस या भीड़ का कोई व्यक्ति अवांछित नारे या प्रदर्शन कर रहा है तो उसे तुरन्त वहां से हटायें ।
4. होमगार्ड के जवानों की सहायता प्राप्त करें ।
5. सभी जवानों को उनके कर्त्तव्यों का पूरा—पूरा ज्ञान हो ।

6. भारतीय दंड सहिंता की धारा 141 के अधीन घोषित अवैध समूह को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 129 के अनुसार तितर–बितर करें ।
7. ऐसे आयोजनों के दौरान अपनी वर्दी व टर्न आऊट अच्छा रखें ।
8. ढाल जाकेट व लाठी सदैव अपने पास रखें तथा इनके उपयोग की पर्याप्त जानकारी रखें ।

जन सामान्य द्वारा की जाने वाली रैलियों एवं सभाओं के दौरान व्यवस्था– विभिन्न अवसरों पर भीड को एकत्र होने का एक प्रमुख कारण आम सभा एवं रैलिया भी है ।लोग अपनी समस्याओ की तरफ सरकार एवं आम जन का ध्यान आकर्षित करने के लिए बडी बडी समाए एवं विशाल रैलिया निकालते हैं । इन सभाओं एव रैलियों के दौरा यदि उचित प्रबंधन नहीं किया गया तो कानून व्यवस्था की विकट स्थिति का सामना करना पडता है ।

रैली दौरान व्यवस्था

- रैली का मार्ग पूर्व में अच्छी तरह चैक कर लेना चाहिए ।
- मार्ग में कोई बाधा हो तो उसको हटा देनी चाहिए ।
- रास्ते में कोई धार्मिक स्थान हो तो उसकी सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए ।
- रैली का समय निश्चित होना चाहिए।
- समय की पालना सुनिश्चित हो ।
- मार्ग में वाचटावर लगाये जाने चाहिए ।
- रैली के आयोजकों से पूर्व में सम्पर्क कर लेना चाहिए।

सभाओं के दौरान व्यवस्था

- लोगों को प्रशासन द्वारा निर्धारित किये गये स्थानों पर ही बैठना चाहिए ।
- सभा में जनता को सम्प्रेषण के साधनों से छेडखानी नहीं करनी चाहिए ।
- जब सभा में कोई अशांति जैसी बात होती है तो वहां तैनात पुलिस बल को धैर्य से काम करना चाहिए। पुलिस बल अनावश्यक न बोले एवं लाठी वगैरह को हवा में न लहराए , क्योंकि प्रत्येक वी0आई0पी सभा में प्रत्येक सेक्टर में सादा वर्दी कानि0 भी होते है उनको चाहिए कि ऐसे उपद्रवी लोगों की पहचान सुनिश्चित करे और उनके विरूद्व आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने हेतु उच्चाधिकारियों को अवगत करावे
- क्रोधित भीड़ पर नियन्त्रण पाने के लिए धैर्य व आत्मविश्वास अति आवश्यक है। भीड़ के मध्य गाली–गलौच या उकसाने मात्र से लाठी चलाना या गोली चलाना यह हमारी सद्नीति नहीं है।
- सभा स्थल पर हवा पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो।
- सभा स्थल पर आने जाने रास्त पृथक–पृथक हो।
- यातायात सुचारू रूप से चलता रहे, इस हेतु भी पर्याप्त पुलिस बल नियोजित होना चाहिए।

राजस्थान पुलिस नियम 1948 के नियम 216 के अनुसार जुलूसों की पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। नियम 217 के अनुसार जुलूसों पर रोक लगाई जा सकती है। राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 2.17 के अनुसार–

1 बिना दण्ड नायक की की लिखित स्वीकृति के कोई भी सामाजिक,धार्मिक जुलूस नए मार्ग से नहीं गुजर सकेगा ।

2 जब कोई सामयिक, धार्मिक, जुलूस निकालना हो तो पुलिस अधीक्षक को चाहिए कि गत वर्षो में किये गये पुलिस प्रबंधन को ध्यान में रखे और उससे पूर्व क्या प्रबंध हुआ करते थे,उनके आधार पर जिला दण्डनायक से सलाह कर आवश्यक प्रबंध करे ।

3 प्रत्येक जिले में हर सामयिक,सार्वजनिक,धार्मिक जुलूस की अलग अलग फाईल रखी जायेगी। जिसमें उत्सव में भाग लेने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या और पुलिस प्रबंध के बारे में जानकारी होगी।

4 जब किसी जुलूस को निकालने का आज्ञा–पत्र जारी किया जाता है तो आज्ञा–पत्र के पीछे जुलूस का रास्ता दिखाया जाना चाहिए ।

1 पुलिस अधीक्षक किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक,धार्मिक जुलुस जो नये प्रकार का है, के लिए बिना दण्डनायक की स्वीकृति के उस समय आज्ञा–पत्र जारी नहीं करेगा, जबकि जनता में उत्तेजना फैली हुई हो।

छात्रों आन्दोलनों के दौरान व्यवस्था– युवकों एवं छात्रों का देश निमार्ण में बहुत योगदान रहता है। आजादी से पूर्व महात्मा गांधी ने भी युवा वर्ग की शक्ति को पहचान कर उनका आह्वान किया था। लेकिन यह विडम्बना पूर्ण स्थिति है कि आजादी के के 67 वर्ष पश्चात भी भारत का युवा भटकाव की स्थिति में है और उनमें असंतोष की स्थिति बरकरार है। इसका दोष लार्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली को दिया जाता है ।जिसने युवकों का बौद्विक विकास रोककर मात्र सफेदपोश क्लर्क तैयार किये थे। आज शिक्षण कार्य धार्मिक कर्त्तव्य न होकर एक पेशा एवं व्यवसाय बन गया है। जब से छात्र राजनीति की अवधारणा आर्विभूत हुई है तब से छात्र आन्दोलनों में भी तेजी आई है। इन आन्दोलनों को राजनैतिक पार्टियों ने शह देकर आग में धी का काम किया है। छात्र आन्दोलन राष्ट्रीय राजनीति को भी सीधे तौर पर पर प्रभावित करते है।
छात्र आन्दोलन के दौरान व्यवस्था बनाये रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ऐसे आन्दोलन के प्रति कभी भी दमनात्मक रवैया नहीं अपनाना चाहिए। यदि विद्यार्थी आन्दोलन हिंसात्मक होकर नियंत्रण सें बाहर हो जाए तो जान एवं संपत्ति की सुरक्षा हेतु व्यापक प्रबंध करने चाहिए। बिना उचित कारण एवं बिना पर्याप्त पुलिस बल के बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके समझाइस का रास्ता अख्तियार करना चाहिए ।भारी मात्रा में विद्यार्थियों की गिरफतारी नहीं करनी चाहिए। अपराधी एवं समाजकंटकों पर नजदीकी नजर रखनी चाहिए ,क्योंकि ये लोग विद्यार्थियों की आड में अपने स्वार्थो की पूर्ति करते है ं अपराधी तत्व चोरी, मारपीट जैसे अपराध कर गुजरते है। छात्र आन्दोलन सामान्यतः शिक्षा एवं रोजगार से संबंधित होते है। सरकार का इस संबंध में सहानुभूति पूर्वक विचार कर समस्या का समाधान करना चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन,स्कूल प्रशासन आदि को साथ लेकर छात्र समस्याओं का समधान तलाशना चाहिए।

श्रमिक आन्दोलनों के दौरान व्यवस्था–भारत का मानव संसाधन का काफी भाग श्रमिक के रूप में है। श्रमिक अनपढ एवं गरीब तबके का वर्ग है, इसलिए समाज द्वारा सदैव उपेक्षित रहा है । अमीर वर्ग एवं समाज के उच्चवर्ग द्वारा हमेशा से ही श्रमिको का शोषण हुआ है और यहीं शोषण उनके असंतोष का सबसे बडा कारण रहा है । भारत में श्रमिक को एक वस्तु के रूप में माना जाता रहा है । जब चाहा तब हटा दिया और जब चाहा तब रख लिया । निम्न आय,कार्य की लंबी अवधि,असुरक्षा की भावना,अस्वस्थ कार्य की दशाएं ,गन्दे आवासीय परिसर,आदि बातें श्रमिक असन्तोष के कारण रहे हैं । आर्थिक जीवन की कठिराइयां,श्रमिकों के प्रति आर्थिक अन्याय , आदि ने श्रम आन्दोलनों को जन्म दिया है । इन कारणों से श्रमिकों एवं औद्योगिक घरानों के संबंधों में दरार और गहरी हुई है और श्रमिकों ने अपनी मांगो को लेकर आन्दोलनों का सहारा लिया है । औद्योगिक हडतालों से समाज के समस्त वर्गो की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है ।

श्रमिक आन्दोलनों के दौरान पुलिस कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए निम्न प्रयास करने चाहिए ।

- श्रमिक आन्दोलन के दौरान पुलिस की भूमिका एक सेतु की होनी चाहिए । पुलिस को मध्यस्थ बनकर दोनों प़क्षों के बीच सुलह का रास्ता निकालने में मदद करनी चाहिए । पुलिस दोनों पक्षों के प्रति तटस्त रहकर समस्या का व्यवहारिक समाधान ढूंढना चाहिए । पुलिस को रैफरी की तरह कार्य करना चाहिए ।
- श्रमिक हडताल को प्रारम्भ से ही नियंत्रित रखना चाहिए,विकराल रूप न ले सके । जब ऐसे आन्दोलन विकराल रूप लेकर हिंसात्मक हो जाते है तो तोडफोड,आगजनी ,आदि की घटनाएं हो जाती हैं
- श्रमिक आन्दोलनों के दौरान पुलिस को अपराधी एवं समाजकंटकों पर नजदीकी नजर रखनी चाहिए ,क्योंकि ये लोग इन आन्दोलनों की आड में आपराधिक गतिविधिया कर गुजरते है । इन लोगों से सख्ती से निपटना चाहिए ।
- कई बार पुलिस अकारण ही विवादग्रस्त स्थिति में पहुंच जाती है । एक तरफ मालिक वर्ग शिकायत करता है कि पुलिस उन्हे कानूनी संरक्षण प्रदान नहीं कर रही ,वहीं दूसरी तरफ श्रमिक वर्ग कहता है कि पुलिस बल उनके साथ दमनकारी नीति अपना रही है और उन्हें आन्दोलन करने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है ।
- पुलिस को मजदूर नेताओं से सम्पर्क करके उनके भावी कार्यक्रमों की जानकारी पूर्व में ही प्राप्त कर लेनी चाहिए और उसी के अनुसार पुलिस व्यवस्था करनी चाहिए ।
- श्रमिक आन्दोलन की सूचना पर कार्यपालक मजि0 आदि से सम्पर्क रखना चाहिए,जहां तक हो सके ये अधिकारी मौके पर ही रहें ।

(घ) साम्प्रदायिक तनाव, दंगों के नियंत्रण में पुलिस के कर्त्तव्य एवं भूमिका——आर0पी0आर0 1948 नियम 184,185,189

साम्प्रदायिक तनाव,दंगों के नियंत्रण में पुलिस के कर्त्तव्य एवं भूमिका—साम्प्रदायिक हिंसा व दंगे किसी भी सभ्य समाज के लिये एक चुनोती है क्योकि इससे न केवल विभिन्न धर्मो, जातियों एवं समुदाय के लोगों में तनाव व वैमनस्यता बढती है वरन आपसी सौहार्द और राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है दंगो को रोकना व राज्य में कानून का शासन स्थापित करना पुलिस का प्रमुख कर्तव्य है क्योंकि दंगों के दोरान हत्या,आगजनी,लूट पाट,पूजा स्थलों का अपमान व तोड़फोड़ तथा महिलाओं के बलात्कार जैसी घृणित घटनायें होती है। जिन्हें तुरन्त नियंत्रित कर कानून व्यवस्था कायम करना पुलिस की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दंगो को नियंत्रित करने में पुलिस को निम्न उपायों को काम में लेना चाहिए

1. दंगो से पूर्व सुरक्षात्मक उपाय, 2. दंगो के बाद सुरक्षात्मक उपाय एवं

1. दंगों से पूर्व सुरक्षात्मक उपाय—(क) साम्प्रदायिक दंगें भड़काने वाले असामाजिक तत्वों की सूची पूर्व से ही तैयार रखकर दंगे भड़कने की सम्भावना होने पर उन्हें पहले ही गिरफतार कर लिया जावे।
(ख) पूर्व में हुये दंगो का गहराई से अध्ययन कर दंगो से संबंधित संवेदनशील क्षेत्र का चार्ट व पूर्ण जानकारी रखें ताकि विभिन्न समुदायों के त्यौंहारों पर निगरानी रखी जा सके
(ग) दंगो की सम्भावना को कम करने के लिये मौहल्ला स्तर पर शांति समितियों का गठन कर समय—समय पर मीटींग लेते रहना चाहिए व इस समिति के सदस्यों को उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए उतरदाइयी बनाना चाहिए।
(घ) दंगे भड़कने की सम्भावना होने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का प्रयोग करना चाहिए।

(ड़) अफवाहों को फैलाने से रोकने की पूरी व्यवस्था की जावे व अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।
(च) गुप्त सूचनाऐं एकत्रित कर इसके अनुरुप कार्यवाही की जावे व सूचना तंत्र को एवं संचार तंत्र को मजबूत बनाया जावे।
(छ) जलसे एवं जुलूसों का सुरक्षित रास्ता तलाश करें व पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्था करें।
(ज) पैट्रोलिंग व गश्त की व फिक्स पिकेटस लगाये जावे।
(झ) पर्याप्त जाप्ता मय दंगा निरोधक उपकरणों के मोजूद रखें।

2. दंगों के दौरान उपाय

(क) आपराधिक तत्वों की अधिक से अधिक गिरफ्तारी करें।
(ख) इलाके में सघन तलाशी ली जावे व अनावश्यक लाईसेंस व अवैध हथियारों को कब्जे में लिया जावें।
(ग) केन्द्रीय व स्थानीय शांति समिति के सदस्यों को शातिं व्यवस्था बनाये रखने में काम में लिया जावे।
(घ) धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया जावे।
(ड) दंगा क्षेत्र में 24 घण्टे सशस्त्र पैदल व गाड़ियों द्वारा गश्त की जावें व फिक्स पिकेट्स लगायी जावे, गश्त पर गश्त लगाई जावे व फिक्स पिकेटस लगाई जावे।
(च) उच्चाधिकारी दंगा प्रभावित क्षेत्रों में जावें और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेवें।
(छ) आवश्यकता अनुसार सशस्त्र बलों और मिलिट्री के दस्तों की उचित व्यवस्था हो।
(ज) समस्त जाप्ता पूर्णतया दंगा निरोधक उपकरण से सुसज्जित रहकर ड्यूटी पर तैनात रहें।
(झ) दंगों के दौरान त्वरित व प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए।

3. दंगों के बाद उपाय

(क) जनता में विश्वास कायम करने के लिए दोनों के समुदाय के लोगों को साथ लेकर शांति व्यवस्था कायम करने के एवं आपसी सोहार्द बनाने के प्रयास करने चाहिए।
(ख) दंगो के दौरान प्रयुक्त उपायों को उस समय तक जारी रहने दें जब तक शांति व्यवस्था कायम ना हो जावे व लोगों में भय समाप्त ना हो जावें।
(ग) आवश्यक सेवायें बहाल की जावें।
(घ) दंगों के दौरान मृत व्यक्तियों की लाश को तुरन्त हटाया जावे व घायल व्यक्तियों को तुरन्त चिकित्सा व्यवस्था दिलवायी जावे।
(ड़) दंगों को राजनैतिक स्वार्थ सिद्वि का साधन नहीं बनने देना चाहिए।

आर0पी0आर0 1948 नियम 184

(अ) जब प्रभारी अधिकारी थाना को यह ज्ञात हो कि कोई भारी बलवा या झगड़ा हो गया हो या होने वाला है या कोई हथियार बन्द गिरोह द्वारा कोई जुर्म हो रहा है या होने वाला है तो वह अपने कानिस्टेबलों को हथियारों से सुसज्जित कर स्वयं झगड़े या जुर्म के स्थान पर जायेगा।यदि किसी विशेष कारणों से वह वहां जाने में असमर्थ रहे तो इस कारण को वह रोजनामचा में लिखकर अपने से मातहत अधिकारी जो हैड कानिस्टेबल की रैंक से कम का ना हो को हथियार बन्द कानिसटेबल के साथ स्पस्ट निर्देश देकर वहां भेजेगा। थाने पर कोई प्रभारी अधिकारी नहीं होने की हालत में यह कार्य सीनियर कानिस्टेबल करेगा। वह हथियारों को सिर्फ बचाव के हक में काम ले सकता है लेकिन वह विधिविरुद्व जमाव को तितर बितर करने में बल प्रयोग नहीं कर सकता।
(ब) प्रभारी अधिकारी थाना को तुरन्त इसकी सूचना नजदीकी मजिस्ट्रेट को देनी चाहिए व उसे साथ चलने के लिए निवेदन करना चाहिए लेकिन जाप्ता भिजवाने में मजिस्ट्रेट की प्रतीक्षा में देरी नहीं करनी चाहिए।

आर0पी0आर0 1948 नियम 185

(क) बलवे और झगड़े होने की स्थिति में पुलिस अधीक्षक को जिला मजिस्ट्रेट की सलाह से स्पेशल आर्म्ड फोर्स नियुक्त करनी चाहिए। जहां तक संभव हो पुलिस अधीक्षक खुद पार्टी के इंचार्ज बनेंगे लेकिन यदि बलवा बहुत तेज हो व पुलिस अधीक्षक को केन्द्र के स्थान पर रहकर योजना का एकीकरण करना हो तो वह कुछ हिस्सों का कमाण्ड अन्य अफसरों को सुपुर्द कर देगा।

(ख) जब नियम 185 क के तहत सशस्त्र पार्टी भेजी जावे तो जिला मजिस्ट्रेट से एक मजिस्ट्रेट साथ भेजने के लिए निवेदन किया जावेगा, लेकिन मजिस्ट्रेट की प्रतिक्षा में सशस्त्र पार्टी को भेजने में देरी नहीं करनी चाहिए।

(ग) जो सशस्त्र पार्टियां भेजी जावें उन्हें सीनियर पुलिस अधिकारी अपने लक्ष्य,कर्तव्यों अधिकारों से भलीभांति अवगत करावें। उन्हें उनकी जिम्मेदारी से भली भांति अवगत कराया जाना चाहिए व उन्हें कोई खास काम करने को दिया जाना चाहिए।

(घ) जब कोई भारी मुकाबले की आशा नहीं हो तो फोर्स के कुछ भाग को बांस की लाठियां जिनकी लमबाई 5.05 फीट हो व दोनों सिरों की परिधि 4से 3.05 इंच हो।

जब सड़क खाली कराना या उसकी रक्षा करना हो तो फोर्स को दो पंक्तियों में जमाना चाहिए आगे वाली पंक्ति वाले लाठी को एंगेज पोजीशन में व पीछे वाले अगली पंक्ति वालों के सिरों से उपर दोनों हाथों में रखेंगे। एक हथियार बन्द पार्टी भी मौजूद रखेगें।

आर0पी0आर0 1948 नियम 189

जो अधिकारी सशस्त्र बल का कमाण्डर है उसे निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना चाहिए ।

1 वह इस बात को देखेगा कि फायर के ंलिए कियाकारी क्षेत्र है

2 वह फोर्स को इतना नजदीक नहीं ले जायेगाा जिससे इसके अत्यधिक नजदीक हो जाने की संभावना हो या इससे भारी नुकसान हो जाने की संभावना हो ।

3 यदि मिसाइल्स के द्वारा क्षतियों को कम करना हो तो दल को जिसे फैलाना हो, इतना अधिक नहीं फैलाया जाए जिससे कि उसके फायर कन्ट्रोल पर सख्त अधिकार ना रहे।

4 वह बैनट फिक्स करने का आदेश देगा और जब उचित समझे तो हथियारों को लोड करने को भी कहेगा ।बिना आदेश के हथियारों को लोड करना पूर्णतया निषेध है

5 फायर कन्टोल के लिए वह साधारण तौर पर अपने फोर्स को कई भागों में बाटेगा,प्रत्येक मे दस से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे और प्रत्येक भाग को किसी उत्तरदायी कमाण्डर के नीचे सौंपेगा ।

6 यदि दल को दो दिशाओं से आक्रमण करना हो तो आदमियों को दो रेको में लगायेगा, प्रत्येक इन दिशाओं में अपना मुंह करेंगे तथा इसके मध्य में फायरिंग को कन्टोल करने के लिए तथा घूमने के लिए पर्याप्त जगह रखी जायेगीं

7 वह सामान्य रूप से बलवा ड्रिल निर्देशों का पालन करेगा

(ड) कर्फ्यू एवं दंगों के दौरान जान माल की सुरक्षा में पुलिस के कर्त्तव्य – भारत एक विशाल प्रदेश है जहां पर विभिन्न धर्मों, पंतों, मान्यताओं, के अनुयायी निवास करते हैं वर्ग विशेष की भावनाओं व मान्यताओं की पूर्ति के लिए धार्मिक अनुयायी व पंत विशेष के अनुयायी अपने–अपने वर्ग विशेष की भावनाओं की पूर्ति के लिए कई बार वर्ग विशेष की भावनाओं को भड़का देते हैं जिसके कारण वैमनस्य की भावना उत्पन्न होने से अराजकता व दंगा जैसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसके नियंत्रण के लिए कर्फ्यू लगाया जाता है ऐसे कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में जानमाल की सुरक्षा हेतु निम्न उपाय काम में लेते हैं –

1. समाज विरोधी उपद्रवी तत्वों का पता लगायें और उन्हें गिरफ्तार करें ।
2. जिन व्यक्तियों के पास लाईसेन्स वाले हथियार हों उन्हें थाने पर जमा करें।

3. दंगों के दौरान लूटपाट चोरी करने वालों या जबरन औरतों से बलात्कार करने वालों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार करें ।
4. छुरेबाजी या गोली चलाने की घटनाओं को रोकने के लिए सशस्त्र बलों की गश्त लगायें ।
5. अफवाहों को फैलाने से रोकें और उनका खण्डन करें ।
6. लोगों को शांत रखने के लिए मोहल्ला समिति के सदस्यों का सहयोग लें ।
7. दंगों के दौरान सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करवा देना चाहिए और पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बलों को तैनात करना चाहिए ।
8. स्थिति पर नजर रखने के लिए संचार व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए ।
9. अधिकतम आसूचनाऐं एकत्रित करें एकत्रित सूचना पर प्रभवी कार्यवाही करें ।

दंगों के दौरान रेल बस की सुरक्षा के संबंध में पुलिस के कर्त्तव्य –पुलिस को दंगों के दौरान रेल बस की सुरक्षा हेतु अपने कर्त्तव्यों का पालन सावधानी व सतर्कता से करना चाहिए जब भी किसी पुलिस कर्मी को रेल दुर्घटना/वाहन में आगजनी की जानकारी प्राप्त हो तो निम्न कर्त्तव्यों का पालन करना चाहिए ।

1. पुलिस कर्मी का कर्त्तव्य है कि यदि संबंधित वाहन में आग लगी हो तो सूचना फायर ब्रिगेड को दें।
2. तुरन्त निकटतम पुलिस थाने/रेलवे थाने में सूचना दें ।
3. संबंधित विभाग के अधिकारियों को तुरन्त सूचना दें ।
4. घायल व्यक्तियों की सुरक्षा व सहायता के लिए आवश्यक व उचित उपाय करें।
5. तुरन्त सिविल अस्पताल के डॉक्टरों व एम्बुलेंस की व्यवस्था करें ।
6. यदि रेल दुर्घटना हो तो संबंधित रेल अधिकारियों को सूचित करें व उस रेलवे लाईन पर यातायात की उचित व्यवस्था करावें ।
7. यदि वाहन दुर्घटना सड़क पर हुई है तो दुर्घटना ग्रस्त वाहनों से घायलों को तुरन्त निकाला जावे व दुर्घटना ग्रस्त वाहनों को मुख्य मार्ग से हटवानें की व्यवस्था करें ।
8. अनधिकृत भीड़ को वहां से हटावें, केवल राहत कार्य करने वालों को ही घटना स्थल पर रहने दें ।
9. यदि कोई लाश पहचान योग्य ना हो तो आवश्यक कार्यवाही के बाद उसकी अन्तिम संस्कार की व्यवस्था करें ।
10. असामाजिक तत्वों की उचित निगरानी करें ।
11. उच्चाधिकारियों के निर्देशों की पालना करें ।अपने कर्त्तव्यों का निष्पक्षता व ईमानदारी से पालन करें

(च) विधि विरूद्व जमाव को तितर–बितर करना–कानून व्यवस्था में न्यूनतम बल का प्रयोग

जब विधि विरूद्व जमाव का बिखर जाने को आदेश दिये जाने के बाद भी यदि पालना न हो तो वह उसे तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग किया जा सकता है। कानून व्यवस्था डयूटी में पुलिस अधिकारी को चाहिए कि वह न्यनतम बल का प्रयोग करे। भीड़ पर नियंत्रण करने में अपने विवेक का उपयोग करते हुए कम से कम बल प्रयोग करना चाहिए व आपसी बातचीत के द्वारा भी समस्या का समाधान करना चाहिए। कानून व्यवस्था की विकट स्थिति कि कारणों से हुई है उनकी तह तक जाने का प्रयास करना चाहिए। न्यूनतम बल का प्रयोग हो ,इस हेतु निम्न प्रयास किये जा सकते है

- विधि विरूद्व जमाव के बारे में सम्पूर्ण जानकारी पूर्व से ही एकत्र कर लेनी चाहिए।
- विधिविरूद्व जमाव का नेतृत्वकर्ता की पहचान कर लेनी चाहिए।
- नेतृत्वकर्ता की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए।
- इस कार्य हेतु सादावर्दी में पुलिस लगाई जा सकती है।
- पुलिस के पास सम्प्रेषण के पर्याप्त उपकरण होने चाहिए।
- खुला मैदान होना चाहिए।

राजस्थान पुलिस कार्यो में वैज्ञानिक टेक्नोलोजी का प्रयोग व मुख्यतः बलवा संधारण के उपयोगिता

विधि विरूद्ध जमाव को तितर–बितर करने मे न्यूनतम पुलिस बल का प्रयोग–बलवा नियंत्रण के दौरान उपस्थित पुलिस अधिकारियों को भीड की मनोवृति व उसके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का सही आंकलन करने के बाद ही निर्णय लेना चाहिये कि उक्त भीड को खदेडने के लिये किस प्रकार बल का और कहॉ तक प्रयोग करना है।यदि अधिकारी उपरोक्त कार्यवाही को सही तरीके से करने मे सफल हो जाते है तो न केवल भीड को बिखेरने मे कामयाब रहते है बल्कि मीडिया, जनता की व राजनैतिक स्तर पर होने वाली संभावित आलोचना से भी बच सकते है। इसका परिणाम यह भी होगा कि इससे पुलिस बल का मनोबल बढेगा और पुलिस जनता के बीच संबंध खराब नही होगें। अतः बलवा नियंत्रण के दौरान निम्नलिखित क्रम मे बल का प्रयोग करना चाहिये–

1. **बातचीत** –बल प्रयोग से पहले बलवाईयों के नेताओं से बातचीत करके उन्हे शांत करने का प्रयास करना चाहिये। इस दौरान पूरे मजमे को भी लाउडस्पीकर या अन्य सहायता से संबोधित करके शांत करने का प्रयास करना चाहिये।जैसे– सडक पर किसी बडी दुर्घटना के घटने के बाद अचानक भीड जुट जाती है। ऐसी भीड कोई पूर्व नियोजित उददेश्य नही होता है न ही वह इक्कठा होने के दौरान इतनी उग्र होती है परंतु वहां प्रशासन की और से सहायता पहॅुचते में देरी होने से या कोई ऐसी वजह जिसका पूर्व मे निराकरण कर दिया होता तो वह दुर्घटना नही होती परंतु इस संबंध प्रशासन उदासीन रहा यह जानकर यह भीड उग्र हो जाती है और उनकी कार्यवाही की शुरूआत नारेबाजी या रास्ता रोकने से होती है उस समय मौके पर उपस्थित अधिकारी उस भीड को अपनी होशियारी व विवेक से बातचीत करके व दुघर्टना से पीडित व्यक्तियों की सहायता करके शांत कर सकते है, उन्हे हटा सकते है। इसलिये बातचीत करके भीड को शांत करने का पूरा प्रयास होना चाहिये। इसमे अधिकारियों की भी मदद ली जानी चाहिये जिनके प्रति उस इलाके की जनता मे विश्वास हो।
2. **चेतावनी**– बातचीत विफल रहने पर व भीड को विधि विरूद्ध घोषित करने के बाद भीड को वहां से हटने के लिये चेतावनी दी जानी चाहिये। चेतावनी देते वक्त यह ध्यान रखना चाहिये कि आप द्वारा दी जा रही चेतवानी को भीड मे शामिल प्रत्येक व्यक्ति सुन रह है। इसके लिये चेतावनी देने से पहले भीड का ध्यान आकर्षित करने के लिये सीटी, सायरन या उपलब्ध है तो बिगुल का उपयोग कर सकते है।

   स्थानीय भाषा मे दी जानी चाहिये क्योकि हिन्दी में जहॉ तक हो सके चेतावनी में शामिल कई व्यक्ति समझ न सके जैसे– आदिवासियों की भीड जिसमे शामिल अधिकतर आदिवासी हिन्दी समझ नही सके तो उनको हिन्दी मे दी गई चेतावनी महज औपचारिक रह जायेगी।चेतावनी देने के बाद भीड की प्रतिक्रिया के समझने के लिये अगला कदम उठाने से पहले इंतजार करना चाहिये।
3. **वरूण (वाटर केनन) :**– बातचीत व चेतावनी देने के बाद भी भीड. की मंशा वहॉं से हटने की नहीं तथा भीड. का व्यवहार मित्रवत् हो तथा उसके उग्र होने की संभावना नहीं हो तो उसे खदेड.ने के लिए पानी की बौछारें सही और उपयुक्त तरीका है। जैसे–कर्मचारी आंदोलन के दौरान कर्मचारियों भीड. या खेल में जीत का जश्न मनाने सड.कों पर इकट्ठा हुई जिससे यातायात बाधित हो रहा हो या आमजन को दुविधा हो तो ऐसी भीड. को खदेड.ने के लिए वरूण द्वारा पानी की बौछारें की जानी चाहिए ।
4. **गैस म्यूनेशन :**– बल्वा नियंत्रण के लिए गैस म्यूनेशन पुलिस के पास ऐसा अस्त्र है जो कि कम घातक है और एक हद तक राजनैतिक और सामाजिक मान्यता प्राप्त है और इसका प्रभावी व सही मात्रा में उपयोग कानून व्यवस्था बनाए रखने में कारगर साबित हो सकता है । जब उपरोक्त

तरीकों से भीड. तितर–बितर नहीं होती है। (A) भीड. अधिक उग्र नहीं हुई हो,क्योंकि केवल बातचीत ,चेतावनी व वरूण के प्रयोग से भीड. के उग्र होने की संभावना कम ही रहती है। जब तक कि कोई अन्य कारण नहीं हो तो हम गैस म्यूनेशन का प्रयोग कर सकते है। ध्यान रहे –कि उग्र भीड. या महिलाओं , बुजुर्गों व बच्चों की भीड. पर हमेशा ऐसा म्यूनेशन फायर करें जो आंसु गैस कम देता हो, जैसे–थ्री वे ग्रेनेड, ड्यूल सेल और हो सके तो स्टेन म्यूनेशन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसके धमाकों से भीड. बिखर जाएगी तथा अगर आबादी वाला क्षेत्र हो तो वहाँ के निर्दोष निवासियों को तथा भीड. में शामिल व्यक्तियों को अश्रु गैस से होने वाली परेशानी नहीं झेलनी पडे.गी । यहाँ गैस का इस्तेमाल बहुत प्रभावी हो सकता है।

यदि दो –चार या भीड. की तादात के अनुसार जवानों को रेस्पिरेटर पहनाकर और उन्हें सुरक्षा प्रदान करके हवा के रूख के अनुरूप खड.ा करके गैस टॉर्च से सिंगल वे ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जाय तो यह प्रभावी होगा, इससे कम अश्रु गैस छोड.ने की जरूरत होगी क्यों कि भीड. के किसी हिस्से पर गैस कम पहुँच रही हो तो गैस टॉर्च को वहां ले जाया सकता है इसके लिए और म्यूनेशन फायर की आवश्यकता नहीं पड.ती है।

(B) यदि बातचीत ,चेतावनी व पानी की बौछारों से भीड. तितर–बितर नहीं होती और किसी कारणवश उग्र हो जाती है तो म्यूनेशन उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए भीड. का पूरा हिस्सा अश्रु गैस से बने बादल की चपेट में आ जाए और म्यूनेशन को भीड. की जगह ध्यान रखते हुए तब तक फायर करते रहना चाहिए जब तक भीड. बिखर न जाए या अश्रु गैस भीड. पर बेअसर हो रही हो ।

5. **लाठी** :–गैस म्यूनेशन बेअसर हो जाता है और भीड. पथराव करते हुए या नारेबाजी करती हुई पुलिस की तरफ या उतेजित होकर सार्वजनिक या जन सम्पति को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दे तो लाठी का प्रयोग करना उचित है परंतु ध्यान रहे लाठी प्रयोग प्रभावी मात्रा में होना चाहिए क्योंकि लाठी का हल्का प्रयोग भीड. को अधिक उग्र कर सकता है तथा अधिक प्रयोग भीड. में शामिल व्यक्तियों को जरूरत से ज्यादा हानि पहुंचा सकता है । यदि भीड. खुले मैदान में हो तो लाठी प्रहार करने से यकीन कर लेना चाहिए कि प्रभावी तरीके से लाठी के इस्तेमाल हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस बल है क्योंकि खुले मैदान में लाठी के प्रयोग हेतु ज्यादा जवानों की जरूरत होती है। बहुत संकरी गलियों या किसी कार्यालय में प्रवेश करने की कोशिश को नाकाम करने के लिए अन्तरपाषाण का प्रयोग किया जा सकता है।

6. **रबड बुलेट–** गैस म्यूनेशन से भीड नही बिखरी हो और भीड में शामिल व्यक्तियों के पास भी लम्बी लाठीयॉ, फरसे, भाले आदि हो और वह बहुत उग्र होकर पुलिस बल की तरफ बढ रही हो या सार्वजनिक या जन सम्पति को नुकसान पहूँचाने की कोशिश करने लगती है ऐसी स्थिति मे जब भीड मे शामिल व्यक्ति लाठी फरसे या भालों से लैस हो और अधिक तादात मे हो तो उन पर लाठी प्रहार प्रभावी ढंग से करना मुश्किल हो जाता है और लाठी प्रहार के दौरान भीड पुलिस पर भारी भी पड सकती है। ऐसे में पुलिस बल को पीछे हटना पडता है और इससे जवानों का मनोबल भी गिरता है और उसके बाद भीड को बिखेरने के लिये लाठी से भी घातक बल का प्रयोग करना पडता है। यहॉ तक की गोली भी चलानी पड सकती है तो यह स्थिति न आए इसके लिये बहुत उग्र भीड जो पुलिस बल की तरफ बढ रही है या तोडफोड कर रही है उसे फैडरल रॉयट गैस गन से रबड बुलेट को रिकोचिट फायर करना चाहिये इससे भीड मे शामिल व्यक्तियो को नुकसान व पुलिस बल मे मनोबल पर असर डालने वाली परिस्थितियों से बचा जा सकता है।रबड बुलेट का व्यास–1.5इंच होता है।

7. **प्लास्टि पैलट–** यदि उपरोक्त साधनों के इस्तेमाल के बाद भी भीड नही बिखरे तो पुलिस बल को विड्राल करके सही पोजिशन मे लगाया जाए ताकि प्लास्टिक पैलेट का प्रभाव फायर भीड पर डाला

जा सके यह पोजिशन भीड से कम से कम 50 मीटर दूर होनी चाहिये। यदि भीड की गति तेज व अधिक उग्र नही हो तो उसी अनुरूप प्लास्टिक पैलट्स की फायरिंग की गति को धीमे किया जा सकता है।

8. **प्लास्टिक बुलेट–** यदि उपरोक्त साधनों से भीड पर नियंत्रण या उसे बिखेरा नही जा सका तो प्लास्टिक बुलेट का इस्तेमाल करना चाहिये इसका फायर .303 राइफल से 75 मीटर से बहुत प्रभावी होता है इसलिये प्लास्टिक बुलेट फायर करने वाली पार्टी की पोजिशन इस दूरी के अनुरूप तय करनी चाहिये।और यह याद रहे कि प्लास्टिक बुलेट के इस्तेमाल से भीड को खदेडा न जा सका तो शेष विकल्प गोली ही रहेगी जिससे अधिक नुकसान होगा।इस कारण प्लास्टिक बुलेट का इस्तेमाल भीड की मनोवृति के अनुरूप कम या ज्यादा करना चाहिये और ध्यान मे रखने वाली बात फायर करते समय शिस्त हमेशा कमर से नीचे होनी चाहिये।
9. **गोली फायर करना–** जब उपरोक्त साधनो का पूर्ण व प्रभावी प्रयोग कर लिया हो और भीड बिखरने की बजाय अधिक उग्र हो गई हो तथा बेकाबू होकर सार्वजनिक, सरकारी सम्पति को ज्यादा नुकसान पहुॅचा रही हो और ऐसा लगे कि उसे खदेडा नही गया तो सम्पति को नुकसान पहुॅचाना जारी रहेगा, इस दरम्यान जन हानि भी हो सकती है या भीड के द्वारा पुलिस दल पर हमला बोल दिया हो जिससे पुलिस मुलाजमानों के जान के खतरे की नौबत आ गई हो तो गोली फायर का हक्म देना चाहिये। इस दौरान यह ध्यान रहे कि शिस्त हमेशा कमर के नीचे हो तथा फायरिंग टीम कमाण्डर द्वारा नियंत्रित हो और एक या दो गोली फायर करने के बाद रूके और भीड की प्रतिक्रिया को देखें व जरूरत हो तो फायरिंग जारी रखें।

➢ **आधुनिक उपकरण जैसे–**

1– पोलिकार्बोनेट शील्ड

- ➢ लम्बाई – 90 से0मी0
- ➢ चौडाई – 51 से0मी0
- ➢ मोटाई – 0.5 से0मी0
- ➢ वजन – 2.4 कि0ग्राम

विशेषताएं :–

- यह पोलीकार्बोनेट शील्ड पारदर्शी है, जिससे इस्तेमाल के समय सामने प्रदर्शनकारियों को देखा जा सकता है।
- यह इतनी मजबूत है, कि शरीर पर पड़ने वाले पत्थर आदि की चोट से बचा जा सकता है।
- इसे ले जाने के लिए सीलिंग लगाई गई है तथा पकड़ने के लिये हैन्ड ग्रिप है उसे हाथ की पकड़ को मजबूत करता है।

2–हैलमेट–

विशेषताएं :–

- यह पोलीकार्बोनेट का बना होने के कारण अत्यधिक हल्का है।
- इसके अन्दर की तरफ पैड लगाये गये हैं, जिससे हैलमेट पर कोई चोट पड़ने पर सिर को किसी प्रकार की चोट नहीं लगती है।
- हैलमेट के उपर 2 सुराग बनाये गये हैं, जिससे सिर में पसीना नहीं आता है।
  वजन :– 01 किलो 300 ग्राम।
- इसके पीछे की तरफ भी एक पैड लगाया गया है जिससे कि गर्दन को चोट से बचाया जा सकता है व इसके पहनने वाले को उपद्रवी पहचान नहीं सकते।

- इसके सामने की तरफ एक पारदर्शी प्लास्टिक का कवर लगाया गया है, जिससे सामने देखा जा सकता है एवं चेहरे को चोट से बचाया जा सकता है।

3—बॉडी प्रोटेक्टर थार्मापैड—

विशेषताएं :—

- आर0ए0एफ0 की ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए जवानों के शरीर एवं उनके अंगों की रक्षा हेतु नए बॉडी प्रोटेक्टर उपलब्ध करायें गये है। यह विशेष बॉडी प्रोटेक्टर पुराने बॉडी प्रोटेक्टर से कई मायनों में बेहतर है। जैसे :—
- निर्मित बहुत हल्का है, जिसका वजन मात्र 07 किलोग्राम है।
- शरीर के हर नाजूक अंग (बाजू, छाती, पीठ, जांघे, घुटने, पैर एवं टखने) को दंगाईयों के चोट से बचाता है।
- यह कवच उपर से सख्त मोल्डेड प्लास्टिक से बना है, जिसके भीतर थर्मोपेड लगा हुआ है।
- सख्त मोल्डेड प्लास्टिक पर पथराव का असर नहीं होता है एवं थर्मोपेड चोट को जज्ब कर लेता है।
- पूरा बॉडी प्रोटेक्टर पहना हुआ जवान भीड़ पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है, जिससे भीड़ का मनोबल कम हो जाता है।
- यह चार भागों में बँटा होता है, भाग नं0 1—बाडी प्रोटेक्टर 2—आर्म्स गार्ड 3—थाई गार्ड 4—सिन गार्ड।
- इसे पहनना बहुत ही आसान है, इसमें चिपकने वाले फीते लगाये गये है, जिससे जवान कम समय में इसे पहन कर तैयार हो सकता है।
- यह हल्का होने के कारण जवान इसे लम्बे समय तक पहनकर रख सकता है।

4—पोलीकाबोनेट लाठी—

- लम्बाई — 3 फिट 6 इन्च
- मोटाई — 4 से0मी0
- वजन — 370 ग्राम

विशेषताएं :—

- यह पोलीकार्बोनेट से बनी होती है।
- ले जाने में बहुत हल्की है तथा जल्दी टूटती नहीं है।
- लकड़ी की लाठी की बजाय इसके इस्तेमाल से चोट कम लगती है।

5—रबड टंचंन बैटन—

विशेषताएं :—

- यह लोहे के पाईप का बना होता है, जिसके उपर रबर पाइप चढ़ाया होता है।
- इसका उपयोग भीड़ को पीछे धकेलने तथा भीड़ में रास्ता बनाने में लाया जाता है।
- माप तोल :—
  - (क) लम्बाई — 21.5 इंच
  - (ख) डायामीटर — 1.4 इंच (03 से0मी0)
  - (ग) वजन — 700 ग्राम
  - (घ) हैण्डल की लम्बाई — 4.0/4 इंच
- इससे 4 पोजीशन से तेजी से काम/प्रहार किया जाता है, जैसे — आगे, पीछे, बगल में, उपर की ओर तथा इसके द्वारा उपरोक्त सभी पोजीशनों में अपने ऊपर होने वाले प्रहार से बचाव भी किया जाता है।
- इसे आसानी से छिपाकर ले जाया जा सकता है।

- प्राधिकृत – 02 प्रत्येक टीम के लिए।

6–डिफेन्डर–

- ➢ लम्बाई – 7 इंच
- ➢ वजन – 250 ग्राम

विशेषताएं :–

- यह भी ज्वाला की तरह भीड़ पर काबू करने के लिए आधुनिक एवं उपयोगी यंत्र है।
- यह उपकरण 9 वोल्ट शुष्क बैटरी से कार्य करता है।
- यह उपकरण प्लाटून कमाण्डर के पास होता है।
- यह उपकरण बहुत छोटा एवं छुपाने में आसान होता है।
- इसका उपयोग ज्वाला की तरह ही होता है।
- इसका एक छोटा रूप भी होता है, जिसे जेब में भी रखा जा सकता है। यह उपकरण कम्पनी कमाण्डर के पास होता है।

7–शॉक बैटन–

- ➢ लम्बाई – 02 फिट
- ➢ वजन – 700 ग्राम
- ➢ व्यास – 1.5 इंच

विशेषताएं :–

- यह भीड़ पर काबू करने के लिए अति उपयोगी उपकरण है। इसका इस्तेमाल राईट कन्ट्रोल एलीमेन्ट द्वारा किया जाता है। यह उपकरण 09 वोल्ट शुष्क बैटरी से कार्य करता है।
- जब इसका प्रयोग करते हैं तो धातु वाला हिस्सा शरीर लगने से बिजली जैसा झटका लगाता है, जिसमें उपद्रवी अपना इरादा भूलकर भाग जाता है।
- इसका उपयोग भीड़ में फँसे किसी कार्मिक को निकालने तथा भीड़ के बीच से रास्ता बनाने में किया जाता है।
- इसके प्रयोग से इसके सम्पर्क में आने वाले व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का निशान नहीं पड़ता है।
- प्राधिकृत 02 प्रति टीम (लाठी की जगह)।

8–रेस्पीरेटर–वर्तमान समय में देश के अन्दर अनेक प्रकार की समस्याऐं चल रही है। जिनके चलते कानून व्यवस्था अत्यधिक प्रभावित होती है। ऐसे समय में एक प्रकार के मजमें आदि से निपटने के लिए कम से कम ताकत के इस्तेमाल को मद्देनजर रखते हुए द्रुत कार्य बल का अश्रु गैस के एमुनेशन इस्तेमाल करने पड़ते है और उसके बीच में जाकर कार्यवाही करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में द्रुत कार्य बल के जवानों को रेस्पीरेटर का इस्तेमाल करना अतिआवश्यक है। रेस्पीरेटर पाँच प्रकार के होते है। जिनके नाम निम्न प्रकार से है :–

1. सर्विस रेस्पीरेटर
2. सिविल ड्यूटी रेस्पीरेटर
3. सिविलियन रेस्पीरेटर
4. स्वदेशी रेस्पीरेटर
5. इटेलियन रेस्पीरेटर

वर्तमान में इटेलियन रेस्पीरेटर का द्रुत कार्य बल इस्तेमाल कर रही है।

(क) इटेलियन रेस्पीरेटर–

विशेषताएं :–

- यह इटेलियन टाईप रेस्पीरेटर है।
- इसके तीन भाग है :– 1– एयर फिल्टर, 2– अनब्रोकेबल ग्लास, 3– इलास्टिक टेप (हैड–पैड के साथ लगा रहता है) यह काफी हल्का होता है।
- इसे अश्रु गैस एलीमेन्ट द्वारा गैस का इस्तेमाल करते समय पहना जाता है।
- इसे जब व्यवहार में नहीं लिया जाता है, उस समय एक मजबूत प्लास्टिक के थैले में बन्द करके रखा जाता है।

9–राइट गैस गन 37/38.8–

विशेषताएं :–

- इससे तमाम प्रकार के नान इलेक्ट्रानिक शैल फायर किए जाते हैं।
- विश्व में विभिन्न देशों द्वारा गैस गन बनाया जाता है, इसमें से कुछ नाम इस प्रकार है।
- गैस गन 37/38.8 एम0एम0 तीन बडे हिस्से मे खुलती है।
- गैस गन ऐसा हथियार है जिसमें रोके बहुत कम पडती है। रोक का मुख्य कारण गैस का जम जाना है। 5–6 राउण्ड फायरिंग के बाद गन की बैरल को क्लीनिंग राड से साफ करना चाहिए।
- गैस गन की सफाई 4''X 9'' चिंदी को क्लीनिंग राड पर लपेट कर करते है।
- 100–150 शैल फायर करने के बाद फायरिंग पिन होल की सफाई करनी चाहिए ताकि फायरिंग पिन 0.22 कैप पर पूरी चोट मार सके।

तकनीकी विवरण :–

क्र.सं.	विवरण	माप/तौल/मात्रा
01	गन का वजन	2.950 किग्रा0
02	गन की लम्बाई	710 मिमी0
03	बैरल की लम्बाई	306 मिमी0
04	बॉडी की लम्बाई	104 मिमी0
05	बट की लम्बाई	300 मिमी0
06	कुतर	37/38.8
07	केलिवर प्रेसर	14 से 16 पॉड

10–**एन्टी रॉइट गन–**

विशेषताएं :–

- इसका पूरा नाम एन्टी राईट गन है।
- इसे 1970 में बी0एस0एफ0 के सी0एस0डब्ल्यू0टी0 इन्दौर द्वारा तैयार किया गया तथा प्रारम्भ में इसका नाम मिसाईल गन रखा गया था जिसे बाद में बदलकर ए0आर0जी0 कर दिया गया।
- यह गन 303 राईफल के बैरल को काट कर इसमें 16 से0मी0 लम्बी पैलेट कप लगाकर बनाया गया है।
- इसके मैगजीन में स्प्रिग नहीं होती है क्योंकि इसमें 1–1 बलाटिक कार्टिज डालकर प्लास्टिक पैलेट को फायर करते है।

तकनीकी विवरण :—

क्र.सं.	विवरण	माप / तौल / मात्रा
01	गन का वजन(पैलेट कप के साथ)	3.100 किग्रा0
02	गन की लम्बाई(पैलेट कप के साथ)	76.5 से0मी0
03	गन की लम्बाई(बिना पैलेट कप के)	63.5 से0मी0
04	पैलेट कप वजन	400 ग्राम
05	पैलेट कप का डायामीटर	15.5 मिमी0

11— स्ट्रींगर कार्टिज—

- लम्बाई — 120 मिमी0
- व्यास — 38 मिमी0
- वजन — 30 ग्राम
- रेन्ज — 10 मीटर

विशेषताएं :—

- इसके अन्दर प्लास्टिक की छोटी—छोटी गोलियां भरी होती है।
- छोटी—छोटी गोलियां मधुमक्खी के डंक की तरह महसूस होती है।
- फायर करने पर गैस के दबाव से कार्टिज के उपर लगा प्लास्टिक का कैप निकल जाता है।
- लॉन्चिंग का तरीका — इसे गैस गन से फायर किया जाता है।

12—व्हीकल माउण्ट टीयर स्मॉक इलैक्टीक ग्रेनेड—

- लम्बाई — 145 + 0.2 मिमी0
- व्यास — 66.8 मिमी0
- वजन — 485 + 5 ग्राम
- रेन्ज — 50 X 50 वर्ग मीटर

विशेषताएं :—

- इसकी बॉडी एलुमिनियम की बनी होती है एवं इसके उपर की तरफ धुंआ हेतु छिद्र होते है।
- उपद्रवों के समय सुरक्षा बलों की गाडियों की सुरक्षा के लिए और गाडियों पर घात लगाकर किये जाने वाले हमलों से निपटने के लिए इस उपकरण को मध्यप्रदेश (टेकनपुर) द्वारा विकसित किया गया है।
- गाडी में लगे हुए इस उपकरण को चालक या उपचालक एक बटन दबाकर चला सकता है।

13—नागपास ग्रेनेड—

- लम्बाई — 180 मिमी0
- व्यास — 90 मिमी0
- वजन — 170 ग्राम
- रेन्ज — 50 X 50 वर्ग मीटर

विशेषताएं :—

- यह ग्रेनेड ज्यादा ईलाका कवर करता है।
- इसकी बॉडी प्लास्टिक की बनी होती है एवं इसमें स्टन कम्पोजिशन भरा होता है।

- इस ग्रेनेड के इस्तेमाल से धमाका ज्यादा होता है।
- इसको बिजली के तार से कनैक्ट करके कितनी भी दूर ले जाया जा सकता है।

14—डाई मार्कर ग्रेनेड—

- ➢ लम्बाई — 145 + 2 मिमी0
- ➢ व्यास — 55 मिमी0
- ➢ वजन — 280 + 5 ग्राम
- ➢ रेन्ज — 30 से 40 मीटर

विशेषताएं :—

- इसे हाथ से फेंका जा सकता है।
- यह प्लास्टिक का बना होता है।
- अधिक फायदा लेने के लिए इसे उंचाई देकर फेंका जाए ताकि यह सिर के उपर फटे जिससे मजमें शामिल लोगों को आसानी से पहचाना जा सके।

15—स्टेन लैक ग्रेनेड—

- ➢ लम्बाई — 142 + 2 मिमी0
- ➢ व्यास — 66.5 मिमी0
- ➢ वजन — 595 + 5 ग्राम
- ➢ रेन्ज— 30 से 40 मीटर

विशेषताएं :—

- इसे हाथ से फेंका जा सकता है।
- यह भी एल्यूमिनियम का बना होता है एवं टिफिन के आकार का बना होता है।
- यह ग्रेनेड ज्यादा ईलाका कवर करता है।
- इसके स्पिलिटिंग एक्शन के कारण मजमें द्वारा इसे पुलिस पार्टी पर दूसरी बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

16—स्टन ग्रेनेड—

- ➢ लम्बाई — 150 मिमी0
- ➢ व्यास — 55 मिमी0
- ➢ वजन — 300 ग्राम
- ➢ रेन्ज — 30 से 40 मीटर

विशेषताएं :—

- यह प्लास्टिक का बना होता है, इसमें स्टन कम्पोजिशन भरा होता है।
- हाथ से फेंका जाता है।
- यह घातक नहीं है परन्तु उपद्रवी अपना मकसद भूलकर तीतर—बीतर होने लगते है।
- इसके इस्तेमाल से जोरदार धमाका तथा चमक निकलती है।

17—श्री—वे ग्रेनेड—

- ➢ लम्बाई — 142 + 2 मिमी0
- ➢ व्यास — 66.5 मिमी0
- ➢ वजन — 625 ग्राम
- ➢ रेन्ज — 30 से 40 मीटर

विशेषताएं :—

- यह एल्यूमिनियम का बना होता है एवं टिफिन के आकार का होता है।
- हाथ से फेंका जाता है।

- इस ग्रेनेड का इस्तेमाल महिला, बुजुर्ग एवं बच्चों पर किया जाता है।
- ज्यादा ईलाका जल्दी से कवर करता है।

18—वन—वे ग्रेनेड—

- लम्बाई — 150 मिमी0
- व्यास — 56.5 मिमी0
- वजन — 530 ग्राम
- रेन्ज — 30 से 40 मीटर

विशेषताएं :—

- यह प्लास्टिक का बना होता है एवं अश्रु गैस निकलने के लिए इसमें चार छेद होते है।
- हाथ से फेंका जाता है।
- इसमें प्रचुर मात्रा में अश्रु गैस निकलती है।
- यह पानी के अन्दर डूब जाने के बावजूद भी धुंआ देता है।

19—**वज्र वाहन**(vajra vehicle)—

- वज्र यह नाम पुराने इतिहास से जुडा हुआ है, यह वह अस्त्र था जो ऋषि दधीचि की अस्थियों से बनाया गया था।
- वज्र वाहन अनुसंधान एवं विकास संस्थान द्वारा DCM TOYATO 628 पर विकसित किया गया है।
- वज्र वाहन में चालक के साथ 25 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है।
- इस वाहन की बॉडी में 1.5 एम0एम0 की जी0आई0 सीट इस्तेमाल की गई है, जिस पर किसी हथियार से फायर करने पर असर नहीं होता है।
- इस वाहन की खिडकी को लोहे की जाली लगाकर ढक दिया गया है ताकि मजमें द्वारा पत्थर आदि फेंकने पर अन्दर बैठे जवानों को चोट ना पहुंचे।
- वज्र गाडी के चालक केबिन के उपर 1.5 एम0एम0 की जी0आई0 सीट को इस प्रकार ढलवान में लगाया गया है कि मजमें द्वारा पत्थर आदि फेंकने पर वह उपर इक्टठा ना होकर नीचे गिरे।
- वज्र वाहन के चालक केबिन के उपर 1 लाईट लगाई गई है जो कि लाल व नीले रंग की होती है, जो कि भीड़ व तंग गली वाली रास्ते में आने वाली रूकावट को दूर करता है।
- वज्र वाहन के चालक केबिन को बॉडी के अन्दर एक इन्टरकॉम से जोडा गया है, जिससे केबिन मे बैठा टीम कमाण्डर अपनी टीम से सुचारू रूप से बात कर सकता है।
- वज्र वाहन के पीछे बांई तरफ 02 जनरेटर रखा गया है, जिससे हैलोजन लैम्प कंटेनर को बिजली की आपूर्ति करके उन्हें उपयोग में लिया जा सकता है।
- चालक केबिन के अन्दर 01 जन संबोधन प्रणाली लगाई गई है, जिससे मजमें को चेतावनी दी जा सके। जन संबोधन प्रणाली में चार प्रकार के हूटर लगाए गए है — 1— आग की चेतावनी का हूटर, 2— एम्बूलेन्स का हूटर, 3—वी.आई.पी. रूट क्लीयरेन्स हूटर एवं 4—ऑपरेशनल का हूटर।
- वज्र वाहन के उपर चार हैलोजन लाईटें लगाई गई है, जिनके प्रकाश से रात्रि के समय में भी बिना रूकावट के ऑपरेशन कर सकते है।
- वज्र वाहन के अन्दर प्राथमिक उपचार की दवाईयां सहित एक पेटी रखी हुई है, जिससे आपातकाल पडने पर घायलों का उपचार किया जा सकता है।

5. निगरानी एंव अवलोकन

(क) निगरानी की परिभाषा, प्रकार एवं महत्व

निगरानी का अर्थ–निगरानी का अर्थ है पुलिस द्वारा ऐसे व्यक्ति की गतिविधियों व क्रियाकलापों के बारे में गुप्त सूचनाएं एकत्र करना। जिनका आचरण गन्दा हो या जिनको चेतावनी देकर न्यायालय ने छोड दिया हो ,उन की जासूसी करना, निगरानी कहलाता है। निगरानी का उद्धेश्य किसी व्यक्ति को बेइज्जत करना नही है या समाज में उसकी प्रतिष्ठा कम करना नही है। बल्कि केवल उस पर निगाह रखना है। निगरानी (अभिरक्षण) भी अपराध की रोकथाम करने का महत्वपूर्ण एवं स्वयंसिद्व तरीका है। इस संबंध में राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 4.5, 4.6, 4.7 के अधीन बताया गया है।
प्रारूप 4.4 (1) में प्रत्येक निगरानी योग्य व्यक्ति का रिकार्ड रखा जाता है।

निगरानी के प्रकार

(अ)व्यक्ति की –इसमें किसी स्थान विशेष की निगरानी की जाती है,जो अपराध में लिप्त रहें है या जिनसे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगडने की संभावना रहती है। जिन व्यक्तियों की गतिविधियां कानून की दृष्टि में उचित नहीं रही हो ।

(ब)स्थान की– कई बार किसी स्थान विशेष की भी निगरानी की जाती है जो कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करता है।

निगरानी का महत्व–निगरानी अपराध की रोकथाम करने का एक स्वयंसिद्व तरीका है। पुलिस द्वारा अभियुक्तों की सन्निकट निगरानी या देखरेख की जाती है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से निगरानी एक रामबाण औषधि है। निगरानी निम्न प्रकार से कारगर सिद्व होती है।

- निगरानी से दुष्चरित्र व्यक्तियों की पहचान हो जाती है। इस प्रकार के व्यक्तियों पर उचित ढंग से प्रभावी कार्यवाही करके उनकी आपराधिक गतिविधयों पर अंकुश लगाया जा सकता है।
- विशेष आपात स्थितियो यथा– कर्फ्यूं, दंगे आदि में निगरानी वाले व्यक्तियों पर प्रभावी अंकुश लगाकर कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगडने से रोका जा सकता है।
- अभिरक्षण के माध्यम से इस बात की जानकारी हो जाती है कि थाना इलाके में कितने अभियुक्त 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अपराधी है, इससे फरार अभियुक्तों की जानकारी थाना स्तर पर रहती है।
- हिस्ट्रीशीट खोलने का आधार तैयार होता है।

(ख) निगरानी क्यों व किसकी

निगरानी क्यो की जाती है –

(1) व्यक्ति के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए।
(2) व्यक्ति स्थान छोडकर भाग तो नही रहा है, जानने के लिए।
(3) व्यक्ति की आय के क्या स्त्रोत हैं, जानने के लिए।
(4) व्यक्ति का दु:शचरित्रों के साथ क्या संबंध है पता लगाने के लिए।
(5) व्यक्ति के चरित्रों का पता लगाने के लिए।
(6) अपराधी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए।

निगरानी किसकी

पुलिस निगरानी के योग्य व्यक्तियों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है–

(1) अपने दण्डादेशों के समाप्त होने के पूर्व, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा सशर्त छोड़े गये सिद्व दोष।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 356 के अन्तर्गत पारित आदेश के अन्तर्गत सिद्व दोष।

(3) पूर्व सिद्ध दोष एवं संदिग्ध बुरे आचरण वाले व्यक्ति जो पुलिस अधीक्षक के आदेश से निगरानी रजिस्टर में दर्ज किये गये है।

(ग) निगरानी करते समय क्या सावधानियाँ रखी जायें –

(1) व्यक्ति की निगरानी करने के लिए एक से अधिक व्यक्तियों को अलग–अलग अवसरों पर लगाया जाये।

(2) निगरानी सादा वर्दीधारी से करवाई जाये।

(3) निगरानी करने वाला व्यक्ति ऐसा हो जो वहाँ की भाषा, बोल–चाल, पहनावा आदि का अभ्यस्त हो

(4) संदिग्ध व्यक्ति को ओझल नही होने देना चाहियें परन्तु उसे इस बात का आभास नही होने देना चाहियें की उसकी निगरानी की जा रही है।

(5) निगरानी कर्ता को स्वयं की सूरक्षा के लिए भी सतक्र रहना चाहियें।

(6) उच्च अधिकारियों से सम्पर्क बनाये रखने के लिए उसके पास वॉयरलैस सैट, ट्रांसमीटर आदि होने चाहियें।

(7) निगरानी कर्ता के पास उचित वाहन भी होना चाहियें, जिससे आवश्यकता पड़ने पर पीछा भी किया जा सकें ।

(8) निगरानी कर्ता ईमानदार व अनुभवी होना चाहियें क्योंकि अपराधी काफी चालाक होते हैं। अतः निगरानी का कार्य पूर्ण सावधानी से किया जाना चाहियें, यह ध्यान रहे कि जिसकी निगरानी की जा रही है उसे कतई शक न हो

निगरानी की किस प्रकारी की जाती है –

(अ) प्रतिष्ठा, आदत, आमदनी, खर्च और धन्धें (व्यवसाय) के बारे में केन्द्र अधिकारी के द्वारा सामयिक जांच के माध्यम से।

(ब) बुरे आचरण (चरित्र) वाले व्यक्तियों की गतिविधियों व अनुपस्थिति का सत्यापन करके।

(स) मकान गुप्त रूप से घेरकर ओर किसी ऐसे समय पर पहुंचना जब व्यक्ति गैर हाजिर पाया जायें।

(द) सदैव किन्तु अनियमित अन्तराल पर दिन और रात दोनों समय पर निवास का निरीक्षण करकें।

(य)उसकी अनुपस्थिति की सूचना पटेल, पंच, सरपंच, ग्राम रक्षक आदि से लेकर।

(र) इतिहासवृत का संकलन करकें।

किसी भी व्यक्ति को निगरानी में लाने के पहले उसकी इतिहास वृत (हिस्ट्री शीट) खोली जाति है। जिसमें उसके अपराध का पूर्ण इतिहास लिखा जाता है। परन्तु यह आवश्यक नही कि प्रत्येक हिस्ट्री शीटर को निगरानी में लिया ही जाये।

(घ)व्यवहारिक प्रशिक्षण SOP संलग्न करें

निगरानी का व्यावहारिक ज्ञान

निगरानी– आसूचना संग्रह में निगरानी एक महत्वपूर्ण माध्यम है।इसमें संदिग्ध की छोटी से छोटी गतिविधियों का अवलोकन कर ध्यान रखा जाता है। निगरानी के सैदान्तिक ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी निम्न प्रकार से कराया जा सकता है।

निगरानी मुख्यतः दो प्रकार की होती है।

1.स्थिर निगरानी (Static Surveillance) 2-गतिशील निगरानी (Mobile Surveillance)

स्थिर निगरानीः– स्थिर निगरानी उस स्थान की की जाती है जहां टारगेट रहता है। या ज्यादा समय बिताता है। वह स्थान टारगेट का कार्यस्थल निवास स्थान हो सकता है।

टार्गेट हाउस

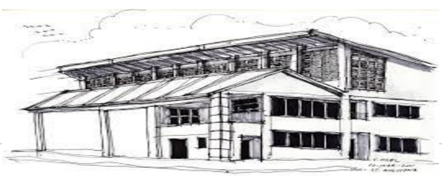

निगरानी हाउस

चित्रः—1

चित्र नं. 1 में दर्शाये गये भवनों के अनुसार टार्गेट हाउस से निगरानी हाउस ज्यादा उँचाई पर होना चाहिये। जैसा निगरानी हाउस की तीन मंजिल हैं उनमें से तीसरी मंजिल से टार्गेट हाउस पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। प्रशिक्षण संस्थान के भवनों में से उपरोक्त चित्रानुसार दो भवन चुनकर स्थिर निगरानी का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

कार्यस्थल पर निगरानीः—

चित्र नं. 2

संदिग्ध के कार्यस्थल पर निगरानी के लिये कोई भी कवर जैसे चाय की थड़ी, बूट पॉलिस वाला और फलों का ठेला लगाकर संदिग्ध की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सकती है। निगरानी के व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु संस्थान के कार्यालय के सामने ही उपरोक्त चित्रानुसार कृत्रिम रूप से सीन बनाया जाकर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

गतिशील निगरानी (Mobile Surveillance) –गतिशील निगरानी मुख्यतः पैदल, वाहन द्वारा या दोनों रूप में की जाती है क्योंकि जिस प्रकार संदिग्ध मूव करेगा उसी के अनुसार निगरानी लगाई जाती है।

पैदल निगरानी—

चित्र नं. 1

चित्र नं. 2

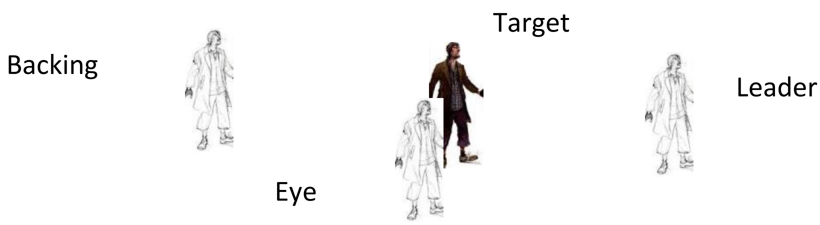

चित्र नं. 3

पैदल निगरानी उपरोक्त चित्रों के अनुसार सम्पादित की जाती है। परिस्थिति के अनुसार मुख्य निगरानी कर्ता (आई) हमेशा टार्गेट पर नजर रखता है। लीडर का काम टीम को कंमाड करना है। बैकिंग हमेंश सहायक ड्यूटी में रहता है। टार्गेट की गतिविधियों के अनुसार टीम के सभी सदस्य आवश्यकतानुसार अपने स्थान भी बदलते रहते हैं। पैदल निगरानी के व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु

प्रशिक्षणार्थियों में से एक को टार्गेट एवं तीन अन्य की टीम चुनी जाकर सड़क पर भीड़ में शामिल कर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

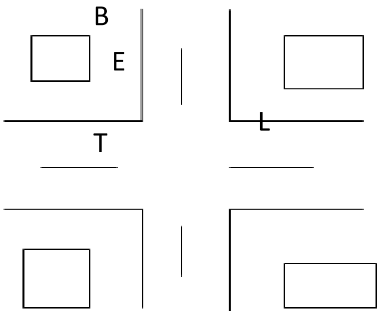

चित्रः ए

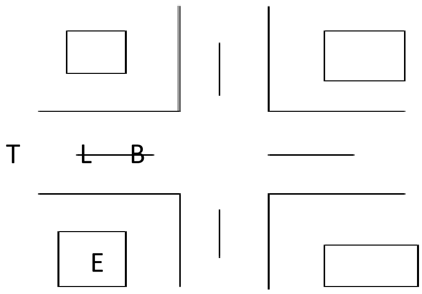

चित्रः बी

नोटः— पैदल निगरानी में उपरोक्त चित्र ए एव बी के अनुसार टीम के सदस्य परिस्थिति के अनुसार अपना स्थान बदलते रहते हैं।

वाहन निगरानीः— वाहन निगरानी में कम से कम तीन वाहन होने चाहियें। यदि उपलब्ध हो तो चौथा वाहन भी आपात स्थिति के लिए होना चाहिये।

नोटः—उपरोक्त चित्रानुसार वाहन लगाये जाकर टार्गेट की निगरानी की जाती है। जैसा कि पैदल निगरानी में टीम के सदस्यों द्वारा समय समय पर स्थिति के अनुसार स्थान बदलेजाते हैं उसी प्रकार से वाहन निगरानी में भी वाहनों के स्थान बदले जा सकते हैं।वाहन की निगरानी के व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु संस्थान में उपलब्ध वाहनों के द्वारा फोरमेंशन किया जाकर निगरानी का व्यावहारिक ज्ञान दिया जा सकता है।

अवलोकन/प्रेक्षण का व्यावहारिक ज्ञान—पुलिस कार्य प्रणाली में घटनास्थल, निगरानी और उपद्रवी भीड़ आदि में अवलोकन विधा की दक्षता का बहुत महत्व होता है। कक्षाओं में अवलोकन के सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ—साथ ही व्यवहारिक ज्ञान करवाया जाना प्रभावी होता है। अतः सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ निम्न प्रकार से व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जा सकता हैः—

1.**घटनास्थल माध्यम से** :—घटनास्थल का अपराध अनुसंधान में विशेष महत्व होता है। जितना सुक्ष्म रूप से इस का निरीक्षण किया जावे उतनी ही अपराध एवं अपराधी को जोड़ने की सम्भावना बढ जाती है। प्रशिक्षण संस्थान में चोरी, डकैती, हत्या एवं एक्सीडेन्ट के विभिन्न काल्पनिक घटनास्थल बनाकर व्यवहारिक ज्ञान कराया जा सकता है।

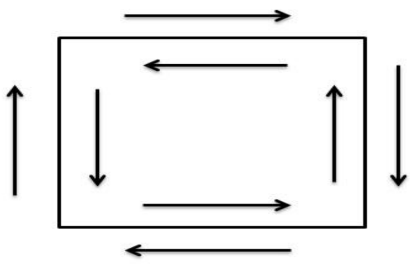

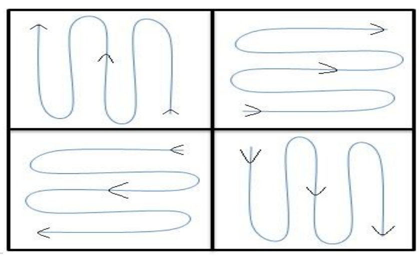

घटनास्थल घटनास्थल के भाग

नोटः– घटनास्थल का क्लाकवाईज एवं एन्टी क्लोकवाईज प्रकार से निरीक्षण करना सिखावें। इसके साथ ही घटनास्थल को आकार के अनुसार चार भागों में अलग–अलग बांटकर अवलोकन करना सिखाया जावे जिससे कोई भी भाग प्रेक्षण में छुटना जावे।

2.**निगरानी माध्यम से**– निगरानी में भी अवलोकन का बहुत महत्व होता है क्योंकि संदिग्ध की छोटी से छोटी गतिविधियों का ध्यान रखा जाता है। निगरानी मुख्यतः दो प्रकार की होती हैः–

1.स्थिर निगरानी 2.मोबाईल निगरानी।

स्थिर निगरानी यानि किसी स्थान की निगरानी करना है जहाँ पर टारगेट निवास करता है या उसका कार्यस्थल होता है। निवास स्थान के लिए प्रशिक्षण संस्थान की कोई भी बिल्डिंग को चुना जाकर उसके पास की अन्य बिल्डिंग से किस प्रकार निगरानी रखी जाती है को व्यावहारिक रूप से बताया जा सकता है कि किस प्रकार से निगरानीकर्ता टारगेट की सभी प्रकार की गतिविधियाँ पर नजर रखकर अवलोकन कर सकता है।

संदिग्ध के कार्यस्थल के लिए उसके बाहर कोई भी कवर जैसे चाय की थड़ी, फलों का ढ़ेला, बूट पोलिश करना आदि लेकर निगरानी रखकर टारगेट की सभी गतिविधियों का अवलोकन किया जा सकता है।

मोबाईल निगरानी में किसी एक कानि. को संदिग्ध बनाकर उसे भीड़ में शमिल कर उसकी निगरानी टीम द्वारा करवाकर अवलोकन क्षमता का विकास किया जा सकता है। इसी प्रकार सभी प्रशिक्षणार्थियों की अलग–अलग टीम बनाकर यह व्यावहारिक ज्ञान दिया जा सकता है।

3.**विडियो क्लिपिंग माध्यम सेः**– विभिन्न पिक्चरों की क्लीपिंग जिसमें उपद्रवी भीड़ आदि के सीन हो को दिखाकर प्रशिक्षणार्थियों से उनकी गतिविधियों के बारे में अवलोकन रिर्पोट तैयार करवायी जा सकती है। इस माध्यम से उनकी अवलोकन क्षमता में वृद्धि होगी एवं व्यावहारिक ज्ञान बढेगा।

4.**हुलियापत्री माध्यम से :–** प्रशिक्षणार्थियों में से ही कुछ कानि. छाटकर उनको विभिन्न प्रकार के वेश में दिखाया जाकर प्रत्येक प्रशिक्षणर्थी से हुलिया पत्री बनायी जा सकती है। क्योंकि हुलिया पत्री बनाने हेतु प्रशिक्षणार्थी को उस व्यक्ति का सुक्ष्मता से अवलोकन करना पड़ेगा जिससे उसका व्यवहारिक रूप में अवलोकन क्षमता का विकास होगा।

भाग ब – यातायात नियमन

1. यातायात नियम का परिचय

प्रस्तावनाः–भारत में मोटर यानो से संबन्धित पहली अधिनियमित भारतीय मोटर यान अधिनियम 1914 था, जिसे बाद में मोटर यान अधिनियम 1939 द्वारा परिवर्तित कर दिया गया । 1939 के अधिनियम को कई बार संशोधित किया गया । विभिन्न संशोधनो के बावजूद देश में सडक नेटवक्र के विकास, भाडे और यात्रियों के तरीके, परिवहन तकनीक में परिवर्तनो को, और विशेषकर मोटर यान प्रबंध में सुधारी गई तकनीको के अनुसार,ध्यान में रखते हुऐ बोधशील विधान को लाना आवश्यक महसुस किया गया। विभिन्न समितियों के साथ–साथ विधि आयोग भी सडक परिवहन के विभिन्न पहलुओ में गये। संसद के कई सदस्यो ने भी मोटर यान अधिनियम 1939 के बोधशील पुनर्विलोकन के लिये कहा। कार्य समुह को 1939 के अधिनियम के सभी प्रावधनो का पुनर्विलोकन करने के लिये जनवरी 1984 में गठित किया गया। मोटर यान बिल को संसद में प्रस्तावित किया गया।

संसद में दोनो सदनों द्वारा पारीत किये गये मोटर यान अधिनियम के बिल को राष्ट्रपति की सहमति दिनाकं 14 अक्टुबर 1988 को प्राप्त हुई। यह विधान पुस्तक पर मोटर यान अधिनियम 1988 के नाम से पहचाना जा रहा है।

संशोधित अधिनियमः–

1.मोटर यान (संशोधित) अधिनियम 1994 (1994 का सं0 54)
2.मोटर यान (संशोधित) अधिनियम 2000 (2000 का सं0 27)
3.मोटर यान (संशोधित) अधिनियम 2001 (2001 का सं0 39)
4.मोटर यान (संशोधित) अधिनियम 2019

उद्देश्यों और कारणो का कथनः–इस अधिनियम को देश में सडक नेटवर्क के विकास, भाडे और यात्रियों के तरीके, परिवहन तकनीक में परिवर्तनो और विशेषकर मोटर यान प्रबंध में सुधारी गई तकनीको के अनुसार ध्यान में रखना चाहिये।

इसकी आवश्यकता के कारणः–

(क) देश में व्यावसायिक और निजी यानों की संख्या में तेजी से वृद्वि।
(ख) स्वचालित क्षेत्र में उच्च तकनीक को अपनाने के लिये आवश्यकता।
(ग) अंतिम बाधाओं के साथ यात्री और भाडे का अधिक प्रवाह।
(घ) सडक सुरक्षा मानको, प्रदूषण नियंत्रण उपायो, खतरनाक और विस्फोटक सामग्रियों के परिवहन के लिये मानको के लिये संवद्व।
(ड) सडक परिवहन क्षेत्र में निजी क्षेत्र प्रवर्तनो के लिये प्रक्रियां और नीति उदारीकरण का सरलीकरण।
(च) अवैध व्यापार में अपराधियों को पकडने के प्रभावी तरीको के लिये आवश्यकता।

(2)यातयात नियंत्रण के उपायः–यातायात पुलिस एवं पुलिस प्रशासन के साथ–साथ सरकार ने यातायात नियंत्रण के लिए कई उपाय की विधियो को उपयोग में लिया जाता है जो निम्न प्रकार :–

1. सड़क चिह्न– आम नागरिको तथा मोटर चालकों की सुविधा के लिए सड़कों का वर्गीकरण करने के साथ–साथ निर्धारित स्थानो पर सड़क चिन्ह लगाये गये है। इन चिन्हो को ध्यान में रखकर वाहन चलाने व सुरक्षित यात्रा करने और संम्भावित दुर्घटनाओं से बचने के लिए लगाया जाता है ताकि वाहन चालकों को कोई असुविधा उत्पन्न न हो ।

सड़क पर लगाये जाने वाले चिन्ह तीन प्रकार के होते है।

01. आदेशात्मक :–आदेशात्मक चिह्न वाहनो चालको को एक विशेष निर्देश देते है जैसे नो पार्किगं, हॉर्न नही बजाना आदि। ऐसे चिन्ह प्रायः गोलाकार चिन्हो के रुप में पाये जाते है।

02. चेतावानी देने वाले :–यह वे चिहन होते है जो कोई न कोई चेतावनी देते है। जैसे धीरे चले, आगे स्कूल है, आगे मोड़ है आदि ।

03. सूचना देने वालेः–वे चिन्ह जो विभिन्न सड़को मार्गो और शहरो की दिशा दूरी के बारे में बताते है जैसे दिल्ली 10 किमी., है। जयपुर इधर है आदि यह चिन्ह आयताकार रुप में दर्शायें जाते है।

2 सड़क रेखांकन –वाहन चालकों की सुविधा के लिए सड़कों पर सफेद व पीले रगं की रेखाएं लगायी जाती है। ताकि दुर्घटना और ट्राफिक जाम की समस्या से छुटकारा मिल सके। यातायात के सुरक्षात्मक एवं सुचारु रुप से चलाने के लिए वाहन चालकों पर कुछ सड़कों पर वाहन चलाने के लिए प्रतिबन्ध लगाया जाता है। इसके लिए विभिन्न सड़को पर रेखाएं लगााकर उन्हे सुरक्षात्मक तरीके से उपयोग करने का प्रयास किया गया ही है।

01. पीली रेखा
02. ठहराव रेखा

03. पीला बॉक्स
04. जेब्रा क्रॉसिग
05. बस बाक्स
06. गति अवरोधक

1.**पीली रेखा :–** जिन सड़को पर विभाजन (divider)नहीं बने हो उनको आधा–आधा विभाजन करने के लिए एक पीली रेखा लगा दी जाती है। किसी भी चालक को पीली रेखा को पार करने की अनुमति होती है।ऐसा करने से दूसरी तरफ से आने वाले वाहनों को बाधा पहुँचाती है और दुर्घटना होने की सम्भावना रहती है। यदि कोई चालक इसका उल्लंघन करता है। तो मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की धारा 119/177 के अधीन उसका चालान किया जाता है।

2.**ठहराव रेखा**(stop line)–प्रत्येक चौराहे पर जहॉं लाल बतियां लगी होती है वहॉं चौराहे से कुछ दूरी पर एक सफेद या पीली रेखा सड़क पर लगाई जाती है जिसे ठहराव रेखा कहा जाता है। चौराहे पर रुकने वाले वाहनों को लाल बती के दौरान पार करने की अनुमति नही होती है। लाल बती होने पर इस रेखा से पहले रुकना जरुरी है। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसका चालान मोटर गाड़ी अधिनियम नियम 113(1)/177 के अनुसार किया जाता है।

3.**पीला बॉक्स**(yellow Box)–पीला बाक्स उस सड़क पर चौराहे के पास बनाया जाता है जहॉं बस रुकने की अनुमति नही होती है और बस या वाहन को बायें मुड़ने की अनुमति हो । इस बाक्स के द्वारा वाहनों को बायीं तरफ मुड़ने में सहायता मिलती है।

4.**जेब्रा क्रोसिगं**(zebra crossing)– लाल बती वाले चौराहे से थोड़ा पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने की अनुमति देने के लिए जेब्रा क्रासिगं बनाया जाता है।

5.**बस बाक्स** (Bus Box)–सड़क पर जहॉं बस को रोकने के लिए स्थान निर्धारित किया जाता है वहॉं पर एक बड़ा बाक्स सफेद रेखाओं से बना दिया जाता है। प्रत्येक बस इसी बाक्स में आकर रुकेगी ताकि यात्री अनावश्यक दुर्घटनाओं से बच सकें और बस में चढ़–उतर सकें ।

6.**गति अवरोधक** (Speed Breaker)–जिन सड़को व स्थानो से अधिक संख्या में वाहन तीव्र गति से गुजरते है उन वाहनों की गति सीमा को कम करने और निर्धारित गति में वाहन चालाने के लिए नियत्रिंत किया जाता है ताकि वाहन दुर्घटनाओं पर नियंत्रित किया जा सकें । गति अवरोधक प्रायः स्कूलों, मंदिरों, सरकारी संस्थानों व घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बनाए जाते है और गति अवरोधक से कूछ दूरी पर अवरोधक चिन्ह वाला बोर्ड लगाकर चेतावनी दी जाती है। अवरोधक वाले स्थान पर सफेद रेखाएं भी लगाई जाती है ताकि दुर्धटनाओं से बचा जा सके।

(2.1) यातायात नियंत्रण के साधन

यातायात संकेत

1.मैनुअल यातायात संकेत–ये संकेत यातायात पुलिस कर्मचारियों द्वारा हाथ से दिये जाते है।

2.इलेक्ट्रीक ट्रैफिक यातायात संकेत–ये संकेत प्रायः इलेक्ट्रीक उपकरणों कि सहायता से दिये जाते है जैसे चौराहो तिराहो, या चेतावनी देने के लिए लगायी जाती है। लाल हरी, पीली बतीया कुछ चौराहो पर न्युज हैडलाईन के साथ लगायी गई है ताकि गाड़ी में बैठे चालक बोर न हो और इन्तजार के दौरान अच्छी खबर पा सकें ।

यातायात नियंत्रण के साधन–यातायात के साधनों में सीमित विस्तार एवं वृद्वि के कारण वाहनो की संख्या सर्वाधिक पायी जाती है यातायात समस्या से निपटने के लिए पुलिस एवं प्रशासन के ऐसे उपकरणों एवं यंत्रो का उपयोग करने के लिए बल दे रहे हैं ताकि यातायात कानूनों को प्रभावी ढगं से लागु किया जा सके। यातयात पुलिस द्वारा जिन साधनों (उपकरणों) का उपयोग किया जाता है। उसका विवरण निम्न प्रकार हैं।

1.**गतिमापन उपकरणं** :–प्रायः वाहनो कि गति मापने के लिए गतिमापक यंत्र को उपयोग में लाया जाता है जिसे इन्टरसेप्टर (Intercerpter) भी कहा जाता है। यह यंत्र गाड़ी पर लगा होता है तथा यातायात पुलिसकर्मी इस यंत्र का प्रयोग वाहन पर केन्द्रित कर किया जाता है। जो वाहन कि गति बता देती हैं। यदि आने वाले वाहन कि गति निर्धारित सीमा से अधिक है तो उसे रोक लिया जाता है। प्रायः इस वाहन यंत्र का प्रयोग राष्ट्रीय राजमार्ग, रिगं रोड़ तथा दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रो में किया जाता है।गति सीमा का उल्घंन करने वाले वाहनो का चालान एम.वी. एक्ट 1988 कि धारा 112/183 के अधीन किया जाता है।

2.भार मापी यंत्र :– इस यंत्र का उपयोग उन वाहनों का भार मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जो अधिकृत भार से अधिक भार का परिवहन कर रहा है। इस यंत्र में दोनो प्लेटफार्म छोटे है अगले व पिछले भार के लिए अगली तरफ व पिछली तरफ से एक्सल के पास इस यंत्र के दोनों प्लेटफार्मो को रखा जाता है।इसके बाद कुछ एक्सल भार में से पंजीकरण पुस्तिका में दर्ज खाली वाहन का भार घटा दिया जाता है। यह घटाए गए वजन के बाद शेष भार निर्धारित वजन से अधिक हो तो उसके विरुद्व एम.वी एक्ट कि धारा 113/194(1) के अधीन कार्यवाही की जाती है।

3.धुआँ मापी यंत्र (ऑटोमेटिक स्मोक एनालाइजर) :–इस यत्र का उपयोग उन वाहनों के विरुद किया जाता है। जो वायु प्रदुषण फैलाता है। वाहनो से निकलते हुए पिछले धुंए की जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यदि यंत्र में कार्बन कणो का घनत्व निर्धारित मात्रा से अधिक पाया जाता है। तो ऐसे वाहनो के विरुद धारा 190(3) एम.वी. एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है। कार्बन कणों का घनत्व चार पहियों वाले वाहनो में 4.5+5.00% से कम व तिपहिया वाहनो में 5.5% कम होना चाहिए।

(2.3) यातायात चिन्ह

Cautionary or Warning or Precautionary Signs

Right Hand Curve	**Left Hand Curve**	**Right Hair Pin Bend**	**Left Hair Pin Bend**	**Right Reverse Bend**
Left Reverse Bend	**Steep Ascent**	**Steep Desacent**	**Narrow Road Ahead**	**Road Widenesas Ahead**
Narrow Bridge	**Slippery Road**	**Loose Gravel**	**Cycle Crossing**	**Pedesatrian Crossing**

School Ahead	Men at Work	Cattle	Falling Rocks	Ferry
Cross Roa010d	Gap in Median	Side Road Right	Side Road Left	Y-Intersection

Mandatory Signs or Regulatory Signs

Straight Prohibited or No Entry	One Way Sign	One Way Sign	Vehicle Prohibited in Both Directions
All Motor Vehiclesa Prohibited	Truck Prohibited	Bullock Cart Prohibited	Tonga Prohibited
Hand Cart Prohibited	Cycle Prohibited	Pedesatrians Prohibited	Right turn Prohibited
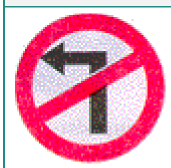			
Left Tturn Prohibited	U-Turn Prohibited	Overtaking Prohibited	Horn Prohibited

Bullock Cart & Cart Prohibited	**Length Limit**	**Speed Limit**	**Load Limit**
		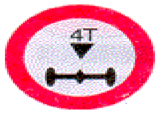	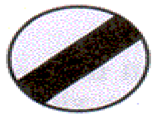
Height Limit	**Width Limit**	**Axle Load Limit**	**Resatriction Ends Sign**
	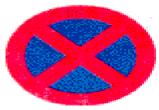	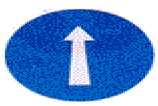	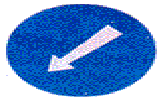
No Parking	**No Stopping or Standing**	**Compulsory Ahead Only**	**Compulsory Keep Left**
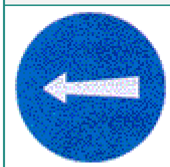	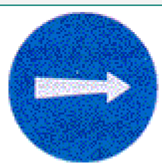		
Compulsory Turn Left	**Compulsory Tturn Right**	**Compulsory Turn Right Ahead**	**Compulsory Turn Left Ahead**
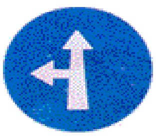	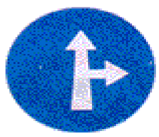	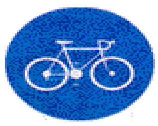	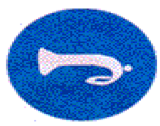
Compulsory Ahead or Turn Left	**Compulsory Ahead or Turn Right**	**Compulsory Cycle Track**	**Compulsory Sound Horn**
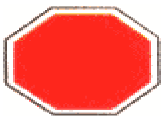		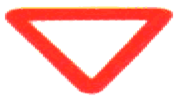	
Stop		**Give Way**	

(2)यातायात संकेत –ट्रैफिक कानिस्टेबल द्वारा दिये जाने वाले संकेतो/ ऑटोमेटिक लाईट वा मैनुअल की जानकारी

यातायात को सुचारु रुप से चलाने में ट्राफिक सिपाही द्वारा दिये जाने वाले हाथ के इशारे व इलेक्ट्रिक सिग्नल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।

इलेक्ट्रिक या ऑटोमेटिक लाईट सिग्नल:–मुख्य सडकों, बडे शहरो में यातायात व्यवस्था के लिये ऑटोमेटिक सिग्नल सबसे ज्यादा कारगर है इसमें हमें तीन प्रकार की लाईटे देखने को मिलती है जिनका अपना अलग–अलग उद्देश्य है।

1.**लाल लाईट**:–स्टॉप लाईन से पहले रुकिये ।

2.**पीली लाईट**ः—चौकस होकर चलने की तैयारी करें ।
3.**हरी लाईट**ः—जिधर जाने का सिग्नल है यदि उधर जाना है चलिये।

ट्रैफिक कानि. द्वारा दिए जाने वाले हाथ के इशारे —जहां ऑटोमेटिक सिग्नल लाईट की व्यवस्था नहीं है वहां सडक या चौराहे पर यातायात पुलिस कानि. ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए हाथ से कुछ विशेष प्रकार के इशारे करता है।

1.**पीछे से आते हुए वाहन को रोकनाः—** इसके लिए पुलिस कर्मचारी अपनी बायीं भुजा कंधो के बराबर भूमि के समानान्तर इस प्रकार बढाता है कि हथेली सामने की ओर हो एंव हथेली के पीछे से आते हुए वाहनों को सामने की ओर से दिखलाई पडें।

2.**सामने से आती हुई गाडी को रोकना**ः—इसके लिए सिपाही अपनी दायीं भुजा को सिर के ऊपर इस प्रकार उठता है कि सामने से आने वाले वाहनों को साफ दिखाई पडे। जब सामने से भी अलग—अलग मार्ग से वाहन आ रहे हो और पुलिस कर्मचारी उनमें से एक मार्ग से आने वाले वाहन को रोकना चाहता है तो वह अपना मुख उस आने वाले वाहनों की दिशा में करता है।

3.**सामने—पीछे से आने वाले वाहनो को रोकना**ः—इसके लिए सिपाही बताए गए दोनों ऊपर वाले संकेत देता है, यानि पीछे से आने वाले वाहन के लिए अपने बायें हाथ को कंधो के बराबर भूमि के समानान्तर इस प्रकार बढाता है कि हथेली सामने की ओर हो और हथेली के पीछे का भाग पीछे से आने वाले वाहनों को सामने से दिखाई पडे। सामने से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए पुलिस कर्मचारी अपनी दाहिनी भुजा सिर के ऊपर से इस प्रकार उठाता है कि सामने से आने वाले वाहनों को उसकी हथेली दिखाई पडे।

4.**बायीं ओर से आते वाहनों को दायीं ओर जाने से मना करना**ः—इसके लिए पुलिस कर्मचारी अपने बायें हाथ को कधे के बराबर भूमि के समानान्तर बढाता है और दायां हाथ आगे की ओर थोडा सा इस प्रकार उठाता है कि हथेली नीचे की ओर रहे।

5.**दायीं ओर से आते हुए वाहनों को रोकने व दायीं ओर से जाते हुए वाहनों को जो दायीं ओर मोड़ना चाहते है, जाने देना**ः—इसके लिए पुलिस कर्मचारी अपनी दायीं भुजा कंधो के ऊपर 135डिग्री का कोण बनाते हुए उठाता है। उसकी हथेली का रुख दायीं ओर होता है व बायें हाथ को कंधों के बराबर भूमि के समानान्तर लाता है।

6.**दायीं ओर से आने वाले वाहनो को जो दायीं ओर मुडना चाहते है, जाने देना**ः—इसके लिए पुलिस कर्मचारी अपनी बायीं भुजा को कंधे के ऊपर 135 डिग्री कोण बनाते हुए उठाता है और हथेली का रुख बायीं ओर रखता है और वह दाहिने हाथ को सिर के ऊपर लेने के साथ हथेली को सामने रखता है।

7.**यातायात को बंद करने की चेतावनी** ः—इसके लिए पुलिस कर्मचारी अपने दाहिने व बायें हाथों को कंधे के बराबर व सिर के ऊपर के बीच की स्थिति में इस प्रकार रखता है कि दाहिने हाथ की हथेली दाहिनी दिशा में व बायें हाथ की हथेली बायीं दिशा की ओर हो

8.**बायीं ओर से आ रहे वाहन को आगे बढने देना**ः—इसके लिए पुलिस कर्मचारी दाहिने हाथ को सिर के ऊपर इस प्रकार रखता है कि हथेली सामने की ओर हो, बायें हाथ को कंधे के बराबर रखते हुए कोहनी को ऊपर की ओर मोडता है व हथेली का रुख दाहिनी ओर करता है। उस समय उसका मुख बायीं दिशा में होता है।

9.**बायीं ओर से आ रहे वाहनो को बढने देना**ः—इसके लिए पुलिस कर्मचारी अपने बायें हाथ को कंधे की सीध में इस प्रकार रखता है कि हथेली की ओर रहे और दाहिने हाथ को कोहनी की सीध में रखते हुए कोहनी को ऊपर की ओर मोड़ता है।

10. **सामने से आ रहे वाहनों को बढने देना**ः—इसके लिए पुलिस कर्मचारी दाहिने हाथ को कंधे की सीध में रखते हुए कोहनी को ऊपर की ओर मोडता है, हथेली को रुख वाहन के पीछे की ओर रखता है एवं ऐसा वह प्रायः बार बार करता है।

(ग) इन्टरसेप्टर, ब्रेथ एनलाईजर की जानकारी

INTERCEPTOR OF VEHICLE (इन्टरसेप्टर वाहन के बारे में जानकरी)

इन्टरसेप्टर :–यह एक इलेक्ट्रोनिक यत्रं है।(इसका शाब्दिक अर्थ –बीच में रोकना)

वाहनः–यह एक लाईट वाहन होता है जैसेः–जिप्सी इस वाहन में निम्न प्रकार के उपकरण व कैमरे लगे होते है।

01. एक इनवर्टर (2) दो कैमरे (3) एक प्रिन्टर
04. एक डिवीडी राईटर (5) दो एलसीडी मोनिटर (6) एक ब्रीथ एनालाईजर

इनवर्टर :–यह एक इलेक्ट्रोनिक उपकरण है जो कुछ समय तक इलेक्ट्रोनिक पॉवर सप्लाई करने का कार्य करता है।

इनटरसेप्टर :–यह एक इलेक्ट्रोनिक यंत्र है।इसमें दो कैमरे लगे होते है। जो सामने आने वाले वाहन की गति सीमा को व साईड पिक्चर को नापते व दिखाते है।

(क) पहला कैमरा–

(i)यह यंत्र सडक के ऊपर चलते हुऐ वाहन की गति को देखने के काम आता है।

(ii) यह यंत्र 100 मीटर की दूरी से ही वाहन की गति को नाप लेता है।

(iii)यह एक हेण्डी मूवी कैमरे की तरह होता है। ओर इसके साथ लेजर लाईट लगी होती है जो चलते हुए, वाहन से 100 मीटर दूर वाहन पर लग कर वापिस उसकी रफ्तारी सूचना प्रदान करता है।

(iv) इन्टरसेप्टर कैमरे द्वारा मिली हुई सूचना एक तार के जरिऐ से गाडी में लगे हुऐ एलसीडी मॉनिटर में दिखाती है और गाडी में लगे हुऐ डीवीडी राईटर में लॉड कर लेती है।

(ख) दूसरा कैमरा :–

(i) यह कैमरा वाहन की छत पर एक फ्रेम में लगा होता है जो 180 डिग्री तक घूमता है।

(ii) इस कैमरे का मुख्य काम 100 मीटर दूरी तक होने वाली हर एक घटना को गाडी में लगे दूसर एलसीडी मॉनिटर में दिखाता है।

(iii) इस कैमरे के द्वारा ली गई तस्वीरो को गाडी में लगे हुऐ डीवीडी राईटर में लॉड कर लेता है।

(iv) इस कैमरे के द्वारा 100 मीटर दूरी से ली गई तस्वीरों को जूम करके भी देखा जा सकता है।

प्रिन्टरः–

(i) यह यंत्र गाडी में लगे कैमरे के द्वारा भेजी गई तस्वीरों को डीवीडी राईटर के माध्यम से प्रिन्ट कर देता है।

(ii) इसके द्वारा निकाले गये प्रिन्ट को वाहन की गति व चालक की स्थिति की खींची गई तस्वीर को जूम कर प्रिन्ट निकालता है। जो कि कोर्ट में साक्ष्य के लिऐ काम में ली जाती है।

डीवीडी राईटर :–

(i) यह वाहन के ऊपर लगे कैमरे के द्वारा भेजी गई तस्वीरों को अपने अन्दर लगे मैमोरी में लॉड कर लेता है और नम्बर एक एलसीडी मॉनिटर पर भी दिखाता हैं।

(ii) यह वाहन के अन्दर माउन्टेन पर लगे कैमरे के द्वारा भेजी गई चलते वाहन की गति कि सुचना को अपनी मेंमोरी में लॉड कर लेते है। नम्बर दो मॉनिटर पर दिखाता है।

एलसीडीः–

(i) इस वाहन के अन्दर दो एलसीडी मॉनिटर लगे हुऐ होते है।

(क) एक एलसीडी मॉनिटर वाहन के ऊपर लगे हुऐ कैमरे के द्वारा भेजी हुई तस्वीरों को दिखाता है।

(ख) दूसरा एलसीडी मॉनिटर वाहन के अन्दर माउन्टेन पर लगे हुऐ कैमरे के द्वारा भेजी हुई तस्वीर जिसमें चलते वाहन की गति को दिखाता है।

ब्रेथ एनलाईजर (BREATH ANALYSER) –यह भी एक इलेक्ट्रोनिक उपकरण इसका मुख्य कार्य चालक द्वारा पी हुई एल्कोहॉल को उसकी सांसो के द्वारा चैक करता है, और मात्रा को अपने ऊपर लगे डिजीटल स्क्रीन पर दिखाता है। यह दो प्रकार के होते है।

(i)सूट केश नुमा :–यह यंत्र एक मोबाईल की तरह का होता है इसमें एक डिजीटल स्क्रीन, चार बटन, एक प्रोसेसर बार होती है इसके ऊपर एक पाइप लगा होता है।
इस यंत्र पर लगें हुऐ पाईप को चालक के मुंह में लगाकर हवा छोडने को कहा जाता हैं। और प्रिन्ट बंटन से यंत्र की स्क्रीन पर आई एल्कोहॉल मात्रा को प्रिन्ट कर देता है।

(ii) बैग नुमा :–यह यंत्र बैग की तरह होता है। इसका कार्य चालक के द्वारा पी गई एल्कोहॉल की मात्रा चैक करना होता है।

सजा का प्रावधान (1)अगर कोई चालक अधिक गति से वाहन को चलाता हैं तो एम. वी. एक्ट की धारा 184 के तहत चालान कर कोर्ट(न्यायालय) में पेश कर दिया जाता है और वाहन को जब्त कर लिया जाता है।

(2) अगर कोई चालक 30mg से अधिक मात्रा में एल्को हॉल का सेवन कर वाहन चलाता है तो उसे एम. वी एक्ट की धारा 185 के तहत चालान कर कोर्ट(न्यायालय) में पेश किया जाता है।
दुर्घटना स्थल की सुरक्षा–
1.साक्ष्य की सुरक्षा 2.स्किड मार्क्स (उठाना) 3.यातायात का डाईवर्जन

सुगम व सुरक्षित यातायात चुनौतियां–आजकल ट्रैफिक को नियंत्रित करना एवं ट्रैफिक सम्बन्धी अपराधों पर नियंत्रित करना गंभीर चुनौती है।

ट्रैफिक यातायात

ट्रैफिक का सुरक्षित एवं नियमित संचालन हेतु जनता का सहयोग आवश्यक है।
01. जो भी ट्रैफिक के कानून, नियम बने है उसकी जानकारी स्कूलो में बच्चो को दी जाती है। उनके अध्ययन में भी नियमित रुप से इसकी शिक्षा देनी चाहिए।
02. हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट इत्यदि नही लगाया जाता है वाहन चालक का कर्तव्य है कि वह इन बातो का ध्यान रखे।
03. गावों में जुगाड चलते वह नही चलने चाहिए जनता को चाहिए कि उसको बन्द करे इससे गम्भीर दुर्घटना होती है
04. भारत में प्रति वर्ष वाहन एवं सडक दुर्घटनाओं से लाखों व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होते है एवं इनकी मृत्यु हो जाती है। जो ट्रैफिक नियमों की पालना नही करने से होता जनता को चाहिए कि वो ट्रैफिक के कानून/नियम बने हुऐ है। इसकी पालना करे।
05. ट्रैफिक नियमों कि पालना करने से स्वयं को ही फायदा हेता है स्वयं का जीवन सुरक्षित रहता है यह बात जनता को ध्यान में रखकर ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए।
इस प्रकार ट्रैफिक नियमों का अक्षरशः पालन करके ही घटित होने वाले अपराधो पर नियंत्रण रखकर इस गंभीर चुनौती से निपटा जा सकता है।

(घ) यातायात डयूटी के आचरण

यातायात पुलिस का सडक़ पर चलने वाले यातायात एंव राहगीरों के साथ डयूटी के दौरान किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए तथा क्या–क्या नहीं करना चाहिए उसकी जानकारी देना एंव ट्रैफिक मैनेजमेन्ट–डयूटी के दौरान यातायात पुलिस कर्मी के निम्न बातो एवं व्यवहार को ध्यान में रखने वाली बातें–

1.यातायात पुलिस कर्मी को सदैव सहनशील रहना चाहिये।

2.यातायात पुलिस कर्मी डयूटी के दौरान उत्तेजित नहीं होना चाहिये।

3.यातायात पुलिस यातायात एंव राहगीर की शान्तिपूर्वक बात सुने एवं तुरन्त निस्तारण(समाधान) करें।

4.यातायात पुलिसकर्मी को चाहिये कि आम नागरिक एंव वाहन चालक को 'श्रीमान्' आदि शब्दों से सम्बोधित कर बात करें।

5.यातायात पुलिस कर्मी द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान जो कमियॉ पायी जाये उन पर उत्तेजित न होकर शान्तिपूर्वक निराकरण करें।

6.यातायात पुलिस को चाहिये कि हर मोड पर एवं महत्वपूर्ण स्थानों को चिन्हित कर मार्गदर्शन के बोर्ड लगायें ।

7.वाहनो के रिफ्लेक्टर लगाने की जानकारी एंव रिफ्लेक्टर लगाने के लिए वाहन चालक को प्रेरित करें तथा इसके गुण भी बतायें ।

8. यातायात पुलिस कर्मी को वाहन मालिक एंव चालक वाहन को नम्बर प्लेट नियमानुसार लगाने के सुझाव भी समझाये।

राज्य में पुलिस अपना कर्तव्य पालन नियमपूर्वक एवं जिम्मेदारी से करे इसके लिए ट्रैफिक ड्यूटी में निम्न आचरण नियमों का पालन करना चाहिए।प्रत्येक पुलिस अफसर को अपने कर्तव्य, अधिकारों और शक्तियों का ज्ञान होना चाहिए।

01. पुलिस को अपने कर्तव्य का पालन शान्तिपूर्वक करना चाहिए। जहां कही बल प्रयोग की आवश्यकता हो तो कम से कम बल प्रयोग कर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए।

02. कडे अनुशासन का पालन करना पुलिस की पहली शिक्षा है, जिससे कर्तव्य पालन में निरन्तर समयबद्धता ओर निष्ठा में वृद्वि होती है अनुशासन के द्वारा ही पुलिस विभाग में आज्ञापालन के उच्च स्तर पर कायम रखा जा सकता है। अतः प्रत्येक पुलिस अफसर के अनुशासन में रहकर कर्तव्य पालन करना चाहिए।

03. सभी वाहनों को नियमानुसार चलाए ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न नही हो।

04. यदि कोई भी चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे नियमानुसार वाहन चलाने की हिदायत दे। परन्तु यदि यह करने का आदी हो तो उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करे।

05. ट्रैफिक पुलिस को अपने कर्तव्य का पालन साहस, ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ करना चाहिए।

06. किसी भी व्यक्ति के साथ बहस न करे।

07. प्रत्येक व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करे। यदि कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार करे तो धैर्यपूर्वक कर्तव्य पालन करे।

08. सामाजिक प्रतिष्ठा का खयाल किए बिना ट्रैफिक पुलिस को अपना काम करना चाहिए। कर्तव्य पालन के दौरान पुलिस को विशाल दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, किसी से कोई भेदभाव नही करना चाहिए।

09. प्रत्येक पुलिस बल का सदस्य ईमानदार एवं निष्ठावान होना चाहिए उसे उदाहरण के रुप में जनता के सामने आना चाहिए क्योंकि कर्तव्य के प्रति निष्ठा एवं व्याहारिक ईमानदारी पुलिस प्रतिष्ठा का आधार होता है।

(ड) Regulating Traffic at Intersections /चौराहे पर यातायात का नियमन –यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने में रोड डिवाइडर कट का विशेष महत्व है। यातायात के सुचारू संचालन में रोड कट अवरोध पैदा करते है अतः इन पोइन्ट्स पर जाप्ता तैनात किया जावे, जो हाथ के इशारों से यातायात को नियंत्रित करेंगे। इन रोड कटो पर जहॉ 'U' टर्न प्रतिबंधित हो वहॉ पर आवश्यक रूप से साइन बोर्ड लगाया जावें, और इन कटो पर आवश्यकतानुसार लाल व पीली ब्लींकर बत्ती की व्यवस्था की जावे।

(छ) दुर्घटना में पीड़ित को सहायता, दुर्घटना पीड़ित को प्राथमिक चिकित्सा और वाहन से अस्पताल पहुंचाना

घायलों के प्राथमिक उपचार के सिद्वान्त–प्राथमिक चिकित्सा किसी भी व्यक्ति को तत्काल व अल्पकालीन रक्षा के लिए दी जाने वाली सहायता को कहते है। प्रायः जानकारी के अभाव में हम लोग इस प्रकार की कार्यवाही कर बैठते है, जिससे दुर्घटनाग्रस्त या घायल व्यक्ति की सहायता करने के स्थान पर उसका अहित कर देने है और इस कारण उसकी मृत्यु तक हो जाती है।

प्राथमिक चिकित्सा का महत्व–प्राथमिक चिकित्सा किसी भी व्यक्ति को तत्काल व अल्पकालीक रक्षा के लिए दी जाने वाली सहायता को कहते है। क्योकि डॉक्टर तक पहुंचने के पहले उस व्यक्ति की हालत इतनी खराब हो सकती है कि डॉटक्र किसी भी प्रकार की चिकित्सा करने में सफल न हो पाए । प्राथमिक सहायता का उद्देश्य यह है कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को उचित सहायत पहुंचायी जाए और जब तक डॉक्टर की सहायत उपलब्ध नही हो सके तब तक उसकी स्थिति को और अधिक बिगडने से रोका जा सके।

प्रायः दुर्घटना होने पर लोग घबरा जाते है और अपना धैर्य खो बैठते है। एक पुलिसकर्मी को जिसे प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया गया है, यह बताया जाता है कि उसे दुर्घटना के समय अपना धैर्य नही खोना चाहिए।

प्राथमिक चिकित्सा के सुनहरे नियम

01. परिस्थिति व कार्य की आवश्यकता को देखते हुए कार्य को स्वच्छता, शीघ्रता व शान्ति से किया जाना चाहिए।

02. यदि प्राथमिक चिकित्सा के लिए आवश्यक वस्तुए उपलब्ध न हो तो उन वस्तुओं को तत्काल उपलब्ध कराना चाहिए।

03. दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की उचित रुप से जॉच करके यदि आवश्यक हो तो उसे लिटा देना चाहिए और प्राथमिक चिकित्सा प्रारम्भ करने के साथ ही साथ डॉक्टर को बुलाने का प्रबन्ध भी करना चाहिए।

04. घायल व्यक्ति को दुर्घटनास्थल से शीघ्र हटाने का प्रबंध किया जाना चाहिए।

05. दुर्घटना के प्रभाव को तुरन्त दूर करना चाहिए, उदाहरणार्थ यदि किसी अंग से रक्त बह रहा हो तो तुरन्त रक्त बहने से रोकने का प्रबन्ध करना चाहिए।

06. यदि व्यक्ति मुर्छित हो तो मूर्छा का कारण ज्ञात करके दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

07. यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की हड्डी टूट गयी है तो हड्डी को स्थिर किए बिना दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को वही से नही हटाना चाहिए।

08. यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सांस में रुकावट है तो उसे कृत्रिम सांस देने का प्रबंध करना चाहिए।

09. यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को गहरा घाव हो गया है तो उस पर साफ कपडे की पट्टी बांध देने से घाव में जहरीले कीटाणुओं का प्रवेश रोका जा सकता है।

10. प्रायः दुर्घटना के कारण दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बुरी तरह घबरा जाता है और डर से कांपने लगता है ऐसी दशा में उसे हिम्मत बंधानी चाहिए और यदि ठंड का मौसम हो तो उसके शरीर को गर्म कपडे से ढक देना चाहिए।

11. प्रायः अज्ञानता के कारण लोग बेहोश हुए व्यक्ति को गरम चाय दूध आदि पिलाने की कोशिश करते हैं किन्तु ऐसा करना बिल्कुल गलत होता है, क्योकि ऐसी स्थिति में तरल पदार्थ उसकी श्वास नली में जा सकता है जिसके कारण उसकी मृत्यु तक हो सकती है।

12. प्राथमिक चिकित्सा देते समय चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को अपना व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण रखना चाहिए।

13. यदि चिकित्सा के अलावा आसपास अन्य व्यक्ति भी खडें हो तो उनकी सहायता भी प्राथमिक चिकित्सा के लिए मांगना काम को आसान बनाने में सहायक हो सकता **है।**

14. दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को किसी विशेष स्थिति में आराम मिलता है इस बात को ध्यान में रखा जाकर उसे करवट में लिटाना लाभदायक हो सकता है।

प्राथमिक उपचार

01. सभी खिडकियों और दरवाजे खोल देने चाहिए, यदि चोट लगा व्यक्ति किसी कमरे या बन्द स्थान पर हो । यदि वह स्थान पर हो तो आस–पास एकत्रित भीङ को तत्काल हटा देना चाहिए। ऐसा करने से चोट लगे व्यक्ति को शुद्व व ताजी हवा मिलेगी । हानिकारक गैसों अशुद्व वायुमण्डल आदि से चोट लगे व्यक्ति को बचाना चाहिए।

02. कमर, गर्दन, छाती,आदि स्थान के कसे हुए कपड़े को ढीला कर देना चाहिए।

03. यदि श्वास नहीं चल रहा हो तो कृत्रिम श्वास दिया जाना चाहिए।

04. आवश्यकतानुसार जल्दी ही चोटग्रस्त व्यक्ति को आराम की स्थिति में सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए।

05. जब तक अत्यन्त आवश्यक न हो तब तक रोगी को बिना किसी अन्य जिम्मेदार व्यक्ति को सुपुर्द किए, छोडकर नहीं जाना चाहिए।

06. जब तक व्यक्ति अचेत रहे कोई भी भोजन (ठोस या तरल) उसे मुंह के द्वारा नही देना चाहिए।

07. होश आने पर पीने के लिए पानी दिया जा सकता है। नाडी के कमजोर होने की स्थिति में गर्म चाय व कहवा पीने को दिया जा सकता है।

08. चोटग्रस्त व्यक्ति को पीठ के बल ऐसे लिटाना चाहिए कि जिससे उसका सिर एक तरफ को झुका रहे यदि मुंह पीला पड गया हो तो सिर को नीचा और पैरों को ऊंचा उठा देना चाहिए। यदि मुंह लाल पड़ गया हो तो कंधो और सिर को ऊंचा उठा देना चाहिए।

वाहन से अस्पताल पंहुचाना– दुर्घटना में घायल व्यक्ति को जहां तक हो सके शीघ्रातिशीघ्र गाड़ी द्वारा अस्पताल पंहुचाना चाहिए। तथा गाड़ी में बैठाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति के फ्रैक्चर या टूट फूट हुई है, तो शारीरिक नुकसान अधिक नही हो इसीलिए उनको स्ट्रेचर पर लेटा कर एम्बुलैंस के द्वारा अस्पताल पंहुचाना चाहिए, जिससे घायल व्यक्ति को तुरन्त इलाज मिल सके।

दुर्घटना के होने पर व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी एवं प्राथमिक सहायता–

1.यातायात पुलिस कर्मी डयूटी के दौरान कोई दुर्घटना होने पर 108 दुर्घटना वाहिनी एम्बुलेंस को तुरन्त सुचना करें ।

2.घायल को तुरन्त हॉस्पीटल भिजवाने की व्यवस्था करें ।

3.अगर 108 दुर्घटना वाहनी एम्बुलेंस किसी कारण से नहीं पहुंचती है तो दूसरे वाहन के माध्यम से घायलों को प्राथमिक उपचार कर हॉस्पीटल भिजवायें।

4.घायलो के परिजनों को तुरन्त सूचना करने की व्यवस्था करें ।

5.दुर्घटना स्थल पर तुरन्त यातायात व्यवस्था शुरु करें।

6.यातायात पुलिसकर्मी यह भी ध्यान रखे कि दुर्घटना के दौरान कोई असामाजिक तत्व दुर्घटना स्थल पर किसी प्रकार का व्यवधान ना डाले सकें ।

7.दुर्घटना स्थल पर अत्यधिक भीड़ एकत्रित नहीं होने देना चाहिए।

8.दुर्घटना की सुचना अपने उच्च अधिकारियों को तुरन्त देनी चाहिए।
9.दुर्घटना घटित होने पर आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए।
10. दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की प्राथमिक चिकित्सा करते समय विशेष तौर पर चोट का ध्यान रखना चाहिए। यदि चोट ज्यादा लगी हुई है व खून ज्यादा बह रहा है तो पहले कपड़े से चोट लगी हुई जगह से बाधंना चाहिए, ताकि खून रुक सके।
11. दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के शरीर में टूट फूट हुई है तो जहॉ तक हो सके शरीर को सीधा रखना चाहिए।
12. दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की प्राथमिक चिकित्सा करने के बाद उस वाहन को कब्जे में लेना चाहिए जिससे दुर्घटना घटित हुई है।

(ज)यातायात जाम के समय डयूटी में ध्यान रखने वाली बातें—

जाम के दौरान ट्रैफिक मेंनेजमेंन्ट के लिये निम्न बातो का ध्यान रखना चाहिये—
1.अगर किसी एक्सीडेन्ट के कारण है तो एक्सीडेन्ट हुए वाहन व व्यक्तियों को तुरन्त घटनास्थल से हटा देना चाहियें।
2.अनावश्यक भीड़ जमा नहीं होने दे।
3.जाम के दौरान पर्याप्त पुलिस जाप्ते की व्यवस्था होनी चाहियें।
4.वी.आई.पी. के आगमन के कुछ समय पूर्व ही ट्रैफिक रोकना चाहियें न कि कई घंटो पहले क्योकि इससे जाम की विकट स्थिति पैदा हो सकती है।
5.वी.आई.पी के आगमन के दौरान एक वैकल्पिक मार्ग से वाहनों को निकालना चाहियें ।
6.बडे शहरो में आए दिन जाम की स्थिति पैदा हो जाती है इसके लिये शहरों में निम्न व्यवस्था होनी चाहिये—

ओवर ब्रिजः—बडे शहरो में रेल्वे क्रोसिगं या भीड़ —भाड़ वाले इलाके में जहॉ पर ट्रैफिक का दबाव अधिक रहता है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए रेल्वे लाईन या रोड के ऊपर पुल बना दिया जाता है।जिससे ट्रैफिक बिना रुके आसानी से निकल जाती है और जाम की स्थिति पैदा नही होती तथा ट्रैफिक कंट्रोल रहता है। तथा इस प्रकार के पुल को ऑवर ब्रिज कहते है।

फ्लाई ओवर—जैसा कि नाम से ही प्रतीत है महानगरो में अत्यधिक ट्रैफिक होता है उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसलिए ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए व जाम की स्थिति से बचने के लियें चौराहो या अत्यधिक ट्रैफिक दबाव वाली जगह पर ओवरब्रिज के ऊपर एक और पुल बना दिया जाता है जिसे फ्लाई ओवर ब्रिज कहते है।

हाई—वे यातायात प्रबन्ध— मोटर वाहन कानून में इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन इसका मतलब है कि सभी ऐसी सड़कें जो एक शहर से दूसरे शहर या राज्यों को एक दूसरे से मिलती हो ।

हाईवे— सड़क का वह पक्का हिस्सा जो गाड़ियों के लिए बना हो ।

फुटपाथ— सड़क के दोनों तरफ का वह हिस्सा जिसका इस्तेमाल पैदल चलने वाले करते है। यह हिस्सा सड़क के बराबर या थोड़ा ऊंचा हो सकता है।

शोल्डर— सड़क के दोनो तरफ का कच्चा हिस्सा ।

क्षेत्र — क्षेत्र से इस अधिनियम के किसी प्रावधान(उपबंध)के सम्बन्ध में ऐसा क्षेत्र तात्पर्यित (अभिप्रेत)है जिसके लिए राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर उस प्रावधान की आवश्यकताओं के लिए विनिर्दिष्ट करे।

सर्किलस(गोल चक्कर)— सड़क पर रोटरी(गोल चक्कर) पार करते हुए दुसरी गाड़ियों की और खास ध्यान दें । अपनी दाहिनी तरफ से आने वाली गाड़ियों को रास्ता देना चाहिए। जहां सड़क पर लेन हो वहां अपनी ही लेन में रहे और स्पीड कम रखें ।

सीधा आगे जाना हो तो –बायीं लेन में रहें, बायीं लेन में रहते हुए रोटरी पार करें। रोटरी पार कर लेने के बाद अपनी गाड़ी बायीं और रखते हुए सीधे निकल जायें ।

बायें मुड़ना हो तो –सड़क की एकदम बायीं वाली लेन में रहे। धीरे–धीरे बायें मुड़कर अपनी दिशा में निकल जाए ।

दायीं और मुड़ना हो तो –दायीं तरफ की लेन में गाड़ी चलाएं, गोलचक्कर के ट्रैफिक में सावधानी से मिल जायें अपना मोड़ आने से थोड़ा पहले बायें मुड़ने का संकेत देते हुए अपनी सड़क की तरफ निकल जायें ।

हाईवे तथा सड़क न्यायालय–बढ़ती हुई सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा यातायात के साधनों में असीमित विस्तार के कारण देश में हाईवे की संख्या में दिन–प्रतिदिन विस्तार हो रहा है। हाईवे के रख–रखाव के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया गया हैं। जिसे एन.एच.ए.आई. के नाम से जाना जाता है। जबकि हाईवे पर यातायात कानून को लागू करने के लिए पृथक रुप से पुलिस व सड़क न्यायालयों का गठन किया गया है। ऐसे सड़क न्यायालय मौके पर ही जुर्माना करके मामले का निपटारा कर देते हैं। जबकि अन्य सड़को पर किए गए चालान का निपटारा सम्बन्धित अधिकारी/न्यायालय द्वारा चालान में दी गई तारीख व समय–समय पर किया जाता है। राज्य सरकारें समय–समय पर सड़क यातायात को सुचारु रुप से चलाने लिए अपने अलग से अधिकारीयों की नियुक्ति कर सकती है और उन्हें यातायात का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना करने की शक्तियां व अधिकार सौंप सकती है। वर्तमान में हाईवे सड़क न्यायालय पर्याप्त संख्या में स्थापित किए जा चुके हैं।

हाईवे मोबाईल –जिले से गुजरने वाले हाईवे पर सम्बन्धित जिले की हाईवे मोबाईल पार्टी मय गाड़ी के साथ 24 घन्टे ड्यूटी पर तैनात रहती है। जो हाईवे पर घटने वाली दुर्घटना व घटना की सूचना सम्बन्धित जिले के कन्ट्रोल रूम व उच्चाधिकरियों को देते है, तथा हाईवे पर जाम लगने पर जाम को खुलवाना व यातायात को नियमित रूप से संचालित करना है।

सड़क सुरक्षा शिक्षा–राज्य सरकार के निर्देशानुसार पुलिस व परिवहन विभाग के संयुक्त रुप से सड़क सुरक्षा सप्ताह हर वर्ष मनाया जाता है। जिसमें उक्त विभागों द्वारा स्कूलों एवं चौराहो, सड़कों एवं महाविद्यालयों में दुर्घटनाओं को रोकने व कम करने के लिए जनता को अधिक से अधिक यातायात नियमों की पालना करने व जागरुकता पैदा करने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है। जिसमें निम्न यातायात सम्बन्धी जानकारी होना आवश्यक है–

01. चौराहो व सड़क पर स्थित यातायात संकेतों पर विशेष ध्यान दें व उनकी पालना करें।
02. बिना लाईसेन्स वाहन न चलायें ।
03. यातायात पुलिस निर्देशों की पालना करें ।
04. सड़को पर चिन्हित प्रतिकों, यातायात संकेतों को अपनाने की आदत डालें । यह न सोचें कि आपको पुलिसकर्मी नहीं देख रहा है।
05. गन्तव्य तक पहुँचने में जल्दबाजी से बचने के लिए समय से पूर्व ही प्रस्थान करने की आदत डालें।
06. सार्वजनिक वाहनों में ज्वलनशील सामग्री न लें जाये, धुम्रपान न करें व खाने–पीने की चीजों का प्रयोग करें।
07. चलते वाहन से अपना कोई अंग बाहर न निकालें।
08. रेलवे क्रोसिगं पर जल्दी न करें, बंद रेल फाटक को पार न करें ।
09. वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का प्रयोग न करें ।
10. जहाँ डवलपमेंट कार्य हो रहा हो वहाँ वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करें ।
11. घर के गन्दे पानी को सड़क पर न छोड़े इससे सड़क टूटती है।

पैदल चालक के लिए:

01. फुटपाथ पर ही चलें, जहाँ फुटपाथ न हो वहाँ हमेशा आने वाले यातायात की दिशा में चलें

02. सड़क पार करते समय पहले आधी सड़क दाहिने ओर देखते हुए शेष आधी सड़क बायीं ओर देखते हुए चलें ।

03. चौराहो पर जेब्रा क्रासिंग से हरी बत्ती होने पर ही सड़क पार करें । यदि भूमिगत मार्ग बनें हो तो उनका प्रयोग करें । दौड़कर रास्ता पार न करें ।

04. यातायात में फंसने पर घबराये नही , अपने स्थान पर ही खड़े रहै।

दो पहिया वाहन चालकेां के लिए

01. हैलमेट आपका जीवन–रक्षक है,अतः दो पहिया वाहन चलाते समय सदैव उसका उपयोग करें। जहाँ तक संभव हो , दो पहिया वाहन पर सवारी को भी हैलमेंट पहनायें।

02. साईकिल चालकों को सड़क के बायें किनारे पर ही चलना चाहियें और स्वचालित दो पहिया वाहनों को उनके दाहिनी बगल में चलना चाहिये।

03. वाहन घुमाते समय वाहन के दिशा संकेतों का प्रयोग करें, यदि वाहन में दिशा संकेत न हो तो पीछे देखकर जिस दिशा में जाना हो उस दिशा की ओर हाथ से संकेत दिया जाना उचित है।

04. मोड़ चौराहो, बस स्टेन्ड्स व छविगृह के सामने गति धीमी करना अच्छे चालक की पहचान है।

05. वर्षा के समय तथा उबड़–खाबड़ सड़को पर वाहन की गति धीमी रखें क्योंकि सन्तुलन बिगड़ने की सम्भावना रहती है।

06. रात्रि में वाहन चलाते समय डिपर का प्रयोग करें ।

चौपहिया वाहन चालकों के लिए

सड़क पार कर रहे पैदल चालक का सम्मान करें, उससे खीझे नहीं।

01. आपसे तीव्र गति से आने वाले वाहन को आगे निकलने का रास्ता देने पर न केवल आप ही उसकी प्रशंसा के पात्र बनेंगे अपितु उसे भी आपसे ऐसे करने की प्रेरणा मिलेगी।

02. जब आप अपना वाहन रोकें–सड़क के किनारे बायीं ओर रोकें ।

03. निर्धारित सीमा से अधिक सवारियां न बिठायें।

04. महिलाओं, बच्चों, वृद्व व अपाहिजों को प्राथमिकता दें एवं उन्हें बिठाने में सहयोग करें ।

05. आगे चलने वानले वाहन से निश्चित दूरी बनायें रखें

यातायात पुलिस का संगठन और कार्य

<u>यातायात पुलिस का संगठन</u>

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस /महानिरीक्षक पुलिस (यातायात)

उप महानिरीक्षक पुलिस (यातायात)

पुलिस अधीक्षक (यातायात)

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात)

उप पुलिस अधीक्षक (यातायात)

(जिला–स्तर)–राजस्थान पुलिस में यातायात पुलिस का गठन विभिन्न प्रकार से किया गया है जिसमें यातायात प्रमुख के पद पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस /महानिरीक्षक पुलिस (यातायात) होते है तथा इनकी सहायतार्थ उपमहानिरीक्षक व पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , उप अधीक्षक पुलिस स्तर के अधिकरी होते है।

जयपुर में पुलिस अधीक्षक व जोधपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कोटा, उदयपुर, अजमेंर, अलवर, बीकानेर उप पुलिस अधीक्षक व राजंस्थान के अन्य जिलो में निरीक्षक व उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी यातायात पुलिस के शाखा प्रभारी अधिकारी होते है।

राजस्थान के प्रायः सभी जिलो में यातायात थाने है जिनके प्रभारी अधिकारी निरीक्षक व उप निरीक्षक स्तर के अधिकरी होते है। जिनका प्रमुख कार्य यातायात को नियंत्रण करना व यातायात सम्बंधित अपराधों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना है।

कार्यः—

01. वाहनो के आवागमन को नियत्रित करना यातायात पुलिस का मुख्य कार्य है। जो साथ—साथ यातायात पुलिस का कार्य मोटर गाड़ी अधिनियम का उलघंन करने वाले चालक एवं वाहन को निर्धारित सड़क, स्थान एवं गति से चलने के लिए निर्देश देना व उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना।

02. संदिग्ध अवस्थाओं में वाहनों की चैकिंग करना तथा आपत्तिजनक वस्तुऐं मिलने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना ।

03. निर्धारित स्थान के अतिरिक्त वाहनो को ठहरने के पश्चात सड़क से हटाना व सड़क यातायात में उत्पन्न अवरोध को दूर करना।

04. मोटर गाड़ी अधिनियम के अधीन जारी नियमेां का उल्लंघन करने जैसे बिना रोशनी के गाड़ी ले जाना सिग्नल देने में लापरवाही बरतना, नशे में गाड़ी चलाना, गति सीमा का उल्लंघन करना या गलत ढगं से ओवरटेकिंग करना इत्यादि पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना।

05. पुलिस एक्ट की धारा के अनुसार बताये गये नियमों का पालन करना जिसमें सड़कों व चौराहो पर यातायात का पालन करना एवं यातायात के नियमों का सतक्रता से पालन करवाना।

यातायात नियंत्रण का व्यावहारिक प्रशिक्षण – Traffic

1.कानिस्टेबल सबसे पहले पहुँच कर चौराहे के चारों तरफ 50—50 मीटर तक राउण्ड लेगा।

2.कानिस्टेबल यह देखेगा कि Traffic Light सही कार्य कर रही है या नहीं। यदि सही कार्य नहीं कर रही तो कंट्रोल रूम को सूचना करेगा।

3.सड़क पर रखे कोन डिवाडर को सही तरीके से रखवाएँगा/बाँधेगा।

4.चौराहे के आस—पास Sign board चैक करेगा कि रात्रि में उस पर किसी ने Poster तो नहीं चिपका दिया है।

5.चौराहे पर खड़े रह कर Stop Line पर वाहन खड़े रहने की कार्यवाही करे एवं Zebra Crossing से पैदल चलने वालों से पालना कराएँ।

6.कानिस्टेबल चौराहे पर ऐसे स्थान पर खड़ा रहेगा जहाँ से पूरे चौराहे पर नजर रहे एवं सड़क पर वाहन चालकों को भी कानिस्टेबल नजर आये।

7.नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहन चालक को रोके एवं कार्यवाही के लिए वहाँ मौजूद अधिकारी के पास ले कर जाएँ।

8.कानिस्टेबल आवश्यक रूप से लोगों से शालीनता का बर्ताव करेगें एवं वाहन चालकों को पूर्ण इज्जत देते हुए बात करेगें।

9.कानिस्टेबल जो कि बाजार में तैनात है वे यह सुनिश्चित करेगें कि वाहन निर्धारित स्थान पर पार्क हो

10. कानिस्टेबल यह ध्यान रखेगे कि बाजारों में लोडिंग वाहन निश्चित समय पर ही प्रवेश करे।

11. कानिस्टेबल यह ध्यान रखेगा कि सड़क पर कोई ठेलेवाला रोक कर सामान तो नहीं बेच रहा।

12. सड़क पर अतिक्रमण न होने दे।

13. बसे अपने निर्धारित स्थान पर ही रोक कर सवारियों को चढ़ाएगा एवं उतारेगा।

14. बसे निर्धारित बॉक्स में ही रूके। बसे सड़क पर अन्य वाहनों के लिए रूकावट न करे।

15. कानिस्टेबल यह सुनिश्चित करेगें की सड़क पर किसी भी प्रकार की रूकावट न आये वाहन अपनी गति से चलते रहे।

16. यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो सर्वप्रथम घायलों को उपचार के लिए उपलब्ध साधन से अस्पताल रवाना करेगा।
17. दुर्घटना ग्रस्त वाहनों को मौके से हटवा कर यातायात शरू कराएँ।
18. दुर्घटना की सूचना कंट्रोल रूम को देंगे।
19. मुख्य बाजार में सड़क के मध्य मिडियन में कट पर वाहन क्रोर्स करते समय सड़क पर जाम की स्थिति न होने दे।
20. सड़क पर कोई खड्डा हो गया है तो कट्रोल रूम को सूचना करेगें तथा खड्डे पर क्रोर्स डिवाईडर रखे ताकि कोई वाहन दुर्घटना ग्रस्त न हो जाए।

स–आपदा प्रबंधन

आपदा का अर्थः–आपदा जन धन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली वह घटना है जो व्यापक रूप से विनाशकारी होती है। ''प्राकृतिक आपदा'' प्राकृतिक बदलाव अर्थात प्रकृति के प्राकृतिक वातावरण के बदलाव के फलस्वरूप प्रकृति की सामान्य गतिविधियो में कम या अधिक बदलाव से पैदा होकर मानव जीवन व अन्य जीव–जन्तुओं के जीवन के सामान्य अनुक्रम में असहनीय बदलाव उत्पन्न होकर, जन हानि व सम्पति की हानि होने की स्थिति पैदा होना ही प्राकृतिक आपदा है। जिसका पुर्वानुमान लगाया जाना व नियंत्रित करना मुश्किल ही नहीं नामुमकीन होता है।

आपदा के प्रकार :– (1) प्राकृतिक आपदा
(2) मानवजनित आपदा

(1) प्राकृतिक आपदाः– ऐसी घटना है जो प्राकृतिक प्रकोप के रूप में देखी जा सकती हैं। जिसमें व्यापक रूप से जन–धन का नुकसान होता है। मानव का योगदान नगण्य होता हैं, प्राकृतिक आपदा कहलाती हैं । जैसे –भूकम्प, सुनामी, ज्वालामुखी, बाढ़,चक्रवात,सूखा आदि। जिसके प्राकृतिक प्रकोप मानकर इसे निपटने के लिए कार्य योजना बनाकर मानव को सहायता पंहुचायी जा सकती है तथा बचाव व पुनर्वास के प्रयास किये जाते हैं।
(2) मानवजनित आपदाः– वह आपदा है जो मानव के दैनिक कार्यों के फलस्वरूप उत्पन्न होती हो जैसे– बिजली से करण्ट फैलना, आगजनी, रासायनिक रिसाव, बम विस्फोट आदि।

आपदा प्रबन्धन योजना के निम्न लिखित छः चरण होते हैंः–

1.आपदा रोकथाम
2.आपदा का प्रभाव कम करना (Mitigation)।
3.आपदा से निपटने की तैयारी (Preparednesas)
4.आपदा आने पर कार्यवाही करना।
5.आपदा राहत एवं पुनर्वास।
6.आपदा एवं विकास।

1.**आपदा रोकथामः**– आपदा की रोकथाम के उपायों में वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जो किसी प्राकृतिक प्रकोप को आपदा में परिवर्तित होने से रोकने के लिए किये जा सकत हैं। यह स्पष्ट है कि समुद्री तूफान, बाढ़, हिमस्खलन जैसे प्राकृतिक खतरो को राकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता लेकिन उनके आपदाकारी प्रभावों को रोकने के लिए प्रयास किये जा सकते हैं। रोकथाम के कुछ उपाय राष्ट्रीय विकास के अन्तर्गत आते है जबकि अन्य का सम्बन्ध विशेष आपदा प्रबन्ध कार्यक्रमो के साथ है।

2.आपदा का प्रभाव कम करना (Mitigation):– आपदा का प्रभाव कम करना आपदा प्रबन्धन योजना का प्रमुख हिस्सा है आपदा का प्रभाव कम करने के अन्तर्गत उन सभी उपायों को सम्मिलित किया

जाता है जिनसे किसी क्षेत्र के लोगों को आपदा से यथासंभव बचाने में मदद मिलती है आपदा प्रभाव कम करने की आधारभूत नीतियों में भूमि उपयोग को नियंत्रण करना आपदा प्रतिरोधी आदर्श भवनों का निर्माण करना, सामुदायिक गतिविधियों को नियंत्रित करना एवं भवनों के वास्तुशिल्प सम्बन्धी डिजाइन तैयार करना तथा चट्टानों को गिरने से रोकने के लिए अवरोधक खड़े करना आदि उपाय सम्मिलित हैं। इसमें गैर रचनागत उपायों में आपदाओं से रक्षा के लिए पर्याप्त कानून, नियम, बीमा एवं ऋण योजनाऐं, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूहो को सक्रिय बनाना, उपयुक्त चेतावनी प्रणाली और संस्थाओं की स्थापना जैसे उपाय सम्मिलित हैं।

3.आपदा से निपटने की तैयारी (Preparednesas) :–आपदाओं से निपटने की तैयारी सम्बन्धी उपाय राष्ट्रीय आपदा तैयारी योजना के दायरे में आने चाहिए और साथ ही विशेष आपदा की स्थिति में केन्द्र, राज्य, जिला और खण्ड स्तर पर अल्प एवं दीर्घ अवधि की योजनाऐं बनाई जानी चाहिए। बाढ़, सूखा, तूफान और भूकम्प जैसी आपदाओं के लिए अलग–अलग आपात योजनाऐं, राहत योजनाऐं तथा पुनर्वास योजनाऐं बनाई जानी चाहिए।

4.**आपदा आने पर कार्यवाही करना**:– आपदा आने पर तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए अन्यथा दूसरी अनेक समस्याऐं उत्पन्न हो जाती हैं जैसे 1999 के उड़ीसा तूफान के कारण उपजी महामारी की आशंका जिन पर तुरन्त यथासंभव कार्यवाही की जानी चाहिए

5.आपदा राहत एवं पुनर्वासः– आपदा ग्रस्त क्षेत्र में आपदा के स्वरूप एवं सहने की क्षमता अनुसार राहत एवं पुनर्वास के कार्य चलाये जा सकते है आपदा के उपरान्त सहायता की आवश्यकता, प्रकार, मात्रा तथा अवधि का निर्धारण करने में इसे सहायता मिलती है।

6. आपदा एवं विकासः– आपदाओं का प्रत्यक्ष सम्बन्ध विकास से होता है। जन हानि के अतिरिक्त अनेक ऐसी क्रियाऐं या तो मंद हो जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं जो विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपदा से होने वाली क्षति विकास में बाधा बनती हैं इसके लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है।

(क) आपदा प्रबन्धन एवं पुलिस–आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में प्रारम्भिक कार्यवाही प्रायः स्थानीय प्रशासन एवं आकस्मिक सेवा प्रदाता संस्थओं के द्वारा प्रदान की जाती है, हालांकि इसमें कई संस्थाएं शामिल हो सकती हैं। इसके लिए आकस्मिक सेवा प्रदाता संस्थाओं को निरन्तर तैयारी की अवस्था में रहने की आवश्यकता रहती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी विलम्ब के आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। ऐसी सभी संस्थाओं को ऐसी व्यवस्था करके रखना चाहिए ताकि सूचना मिलने पर अविलम्ब उसे क्रियाशील किया जा सके।

पुलिस को इस प्रकार की घटना की जानकारी प्रायः सबसे पहले प्राप्त होती है। अतः पुलिस को सूचना मिलते ही तुरन्त मौके पर पहुँचकर घटना के विषय में विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करके घटना के संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों एवं संस्थाओं को सूचना को संप्रेषण करना, घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्य को संरक्षित रखना, घायलों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना तथा क्षेत्र में फंसे लोगों को वहाँ से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का कार्य करना पड़ता है। यद्यपि इस कार्य में अग्निशमन सेवा, चिकित्सालय, अन्य सरकारी तथा गैर–सरकारी संस्थाऐं सम्मिलित रहती हैं परन्तु इनके बीच समन्वय स्थापित करने की प्रारंभिक जिम्मेदारी पुलिस की ही होती है। स्थानीय प्रशासन के स्तर पर विभिन्न संस्थाओं के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये जिला एवं राज्य स्तर पर कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिये जिसमें विभिन्न संस्थाओं के ढ़ाचे एवं कार्य तथा उनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख हो ताकि आवश्यकतानुसार सभी एजेन्सियां एवं संस्थायें प्रभावी कार्यवाही कर सकें। इस तरह की कार्ययोजना रहने पर जनहानि तथा सम्पति के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

उपरोक्त कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न करने के लिये जिला पुलिस को अपने पास आपदा पुस्तिका (Disaster Manual) तैयार करके रखना चाहिये जिसमें निम्नलिखित सूचनायें हो–

1.विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदा का विवरण।
2.आपदाओं के बारे में अफवाहें, जिन्हें दूर किया जाना होता है।
3.स्थानीय प्रशासन जैसे– म्यूनिसपल, पंचायत के अधिकारियों के विषय में जानकारी।
4.गांव, वार्ड, सेक्टर आदि का मानत्रित व विवरण।
5.स्थानीय प्रशासन के पदाधिकारियों का उत्तरदायित्व।
6.गैर–सरकारी संगठनों की सूची तथा उनके पदाधिकारियों के नाम।
7.आपदा प्रबंधन के लिये सरकारी धन की व्यवस्था तथा अन्य स्त्रोतों के विषय में जानकारी।
8.स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका।
9.विभिन्न स्तरों पर प्रदान किये जाने वाले प्रशिक्षणों का विवरण।
10. समय–समय पर जागरूकता पैदा करने हेतु किये जाने वाले प्रदर्शन एवं अभ्यासों का विवरण।
11. अभिलेखीकरण।

आकस्मिक कार्ययोजना तैयार किया जाना–आकस्मिक कार्ययोजना में निम्न विवरण विस्तार से अंकित किये जाने चाहिये ताकि समय–2 पर स्थानान्तरण के उपरान्त पुलिस कर्मियों को आपदा प्रबंधन के लिये पर्याप्त मार्गदर्शन प्राप्त हो सके :–

1.क्षेत्र की भौगोलिक जानकारी, क्षेत्र की बनावट (Topography)।
2.जलवायु।
3.जनसंख्या तथा उसकी संरचना, जाति, लिंग व धर्मवार।
4.अद्योग व व्यापार।
5.प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदा।
इसके अंतर्गत क्षेत्र में घटित प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं का इतिहास विस्तार से अंकित किया जाना चाहिये।
6.नेतृत्व।
   1. शासन का ढ़ाचा तथा विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों की शक्ति एवं उनका उत्तरदायित्व।
   2. कमाण्ड।
   3. आवश्यक सेवा प्रदाता संस्था की सेवाओं में भूमिका।
   4. आकस्मिक एवं अन्य सेवा संस्थायें ।
      4.1 चेन ऑफ कमाण्ड।
      4.2 पता एवं टेलीफोन नम्बर। 4.3 अग्नि शमन, जलापूर्ति, चिकित्सा, यातायात, रेल्वे, टेलीफोन, रेडक्रास सोसायटी, सिविल डिफेंस आदि संस्थाओं तथा गैर–सरकारी संगठनों को इस सूची में शामिल किया जाये।

7.सूचना प्राप्त करने तथा उसके संप्रेषण की व्यवस्था।
8.कन्ट्रोल रूम की स्थापना।
9.विभिन्न संस्थाओं से संबंध रखने वाले पदाधिकारियों के नाम एवं टेलीफोन नम्बर।
10.घटनास्थल पर की जाने वाली व्यवस्था।
   10.1 प्रत्येक संस्था/विभाग के उत्तरदायित्व एवं कार्य का अभिलेखीकरण की जाने वाली व्यवस्था।
   10.2मौके पर पहले उपस्थित होने वाले पुलिस अधिकारी के लिये दिशा–निर्देश।
   10.3नियंत्रण कक्ष, स्टाफ, जाँचकर्ता अधिकारी तथा पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारियों के उत्तरदायित्व।
   10.4संबंधित विभाग को सूचना देना।

10.5चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना तथा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों को सूचना देना।

10.6जीवित बचे लोगों के लिये कैम्प की स्थापना।

10.7घटना में मृत व्यक्तियों की पहचान हेतु अस्थाई मोर्चरी की स्थापना।

10.8क्षेत्र को खाली कराना।

10.9यातायात ट्रैफिक की व्यवस्था।

10.10सम्पति की सुरक्षा।

10.11शांति व्यवस्था बनाये रखना।

10.12घटना की सूचना पर आने वाले वी.आई.पी. की सुरक्षा।

10.13घटना स्थल पर मीडिया को सही तथ्यों की जानकारी देने के लिये नोडल अफसर की नियुक्ति।

10.14मीडिया के लिये लाईजन अफसर की नियुक्ति।

10.15संचार व्यवस्था स्थापित करना।

11.जनसाधारण को दी जाने वाली सूचना

11.1लाउड–स्पीकर की व्यवस्था।

11.2सही एवं स्पष्ट सूचना का प्रसारण।

11.3रेडियो एवं टेलीविजन पर प्रसारण हेतु सही तथ्यों का संप्रेषण

12.बचाव कार्य।

13.मलबा हटाने का कार्य।

14.शिक्षा एवं प्रशिक्षण

14.1स्वयंसेवकों तथा स्वैच्छिक संगठनों एवं सरकारी कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था।

14.2 शैक्षिक संगठन–आपदा निवारण में स्वैच्छिक संगठनों की तैयारी, अनुभव एवं योग्यता का लाभ लेना।

15.आकस्मिक कार्ययोजना का पूर्वाभ्यास एवं प्रदर्शन– समय–2 पर विभिन्न ऐजेन्सियों एवं मीडिया को साथ लेकर इस प्रकार के अभ्यास एवं प्रदर्शनी आयोजित करनी चाहिये ताकि कार्ययोजना के बारे में शामिल लोगों, कर्मचारियों एवं सस्थाओं के साथ–2 आमजन में भी जागरूकता आ सके।

16.कार्ययोजना का मूल्यांकन – समय–2 पर आकस्मिक कार्ययोजना का मूल्यांकन किया जाना चाहिये तथा उसमे सूचनाओं को आवधिक किया जाना चाहिये।

आपदा प्रबंधन में पुलिस की भूमिकाः–आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में पुलिस की केन्द्रीय भूमिका है। पुलिस निरन्तर कार्य करने वाली संस्था है जिसका नेटवर्क सदैव क्रियाशील रहता है। जब भी कोई आपदा घटित होती है तो इसकी सूचना प्रायः सबसे पहले पुलिस थाने को प्राप्त होती है और सूचना के संबंधित को सम्प्रेषण, विभिन्न चरणों में राहत एवं बचाव कार्य में लगी विभिन्न संस्थाओं को सहयोग, घटना की विवेचना, अतिविशिष्ट लोगों की भ्रमण के दौरान सुरक्षा तथा घटना में प्रभावित व्यक्तियों की चिकित्सा एवं पुनर्वास तक पुलिस समन्वयक की मुख्य भूमिका निभाती है। इसलिए आपदा प्रबन्धन में पुलिस द्वारा तैयार कार्ययोजना और उसके क्रियान्वयन आपदा के लिए किए गये अभ्यास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपदा प्रबन्धन में पुलिस की परिणामों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है।

आपदा को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है :–

1.प्राकृतिक आपदा 2.मानवजनित आपदा

दोनों ही प्रकार की आपदा में बड़ी संख्या में जनहानि तथा सम्पत्ति को नुकसान पहुँचता है। जहाँ तक प्राकृतिक आपदा का प्रश्न है इसे नियंत्रित करना मुश्किल है क्योंकि प्रकृति पर मानव का कोई नियंत्रण

नहीं है। अतः इस प्रकार की आपदा को ईश्वरीय देन मानकर इससे निपटने के लिए कार्ययोजना तैयार की जाती है। प्राकृतिक आपदा भूकंप, बाढ़, सूखा, तूफान, महामारी आदि के रूप में हो सकती है। इसके बारे में न तो कोई पूर्वानुमान लगाया जा सकता है न ही इसकी विकरालता की जानकारी पूर्व से की जा सकती है। अतः इस प्रकार की आपदा से निपटने के लिए देश में उपलब्ध विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से कार्य किया जाता है। इसके विपरीत मानवजनित आपदा प्रायः मानव भूल या यांत्रिक त्रुटि के कारण होती है जिसमें कभी तो पूर्वानुमान लगाना सम्भव हो पाता है परन्तु कई बार इसका पूर्वानुमान बिल्कुल ही नहीं लगाया जा सकता है। उदाहरणस्वरूप चैरनॉविल आणविक दुर्घटना तथा भोपाल गैस त्रासदी जैसी घटनायें अप्रत्याशित थीं जिन्हें दशकों बाद भी नहीं भुलाया जा सकता है। ये पूर्णतया मानव भूल एवं लापरवाही का परिणाम थीं। मानवजनित आपदा को पर्याप्त सावधानी तथा सतर्कता के द्वारा निश्चित रूप से टाला या कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आज के युग में आंतकवाद एवं आतंकी गतिविधियों के कारण पैदा की गयी आपदायें सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आयी हैं। कुछ मानवजनित आपदाएं निम्नांकित हैं, जैसे–वायु, रेल तथा जलयान दुर्घटना, आग, विस्फोट, भवन गिरने की घटना, औद्योगिक दुर्घटना, आतंक एवं सामूहिक नरसंहार युद्ध आदि।

पुलिस की भूमिका एवं कार्यक्षेत्र

1.भीड़ नियंत्रण – विभिन्न प्रकार की आपदाओं के विगत अनुभव से पाया है कि किसी घटना के होने पर जिज्ञासावश बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल की ओर पहुँचना शुरू कर देते हैं जिससे राहत कार्य में बाधा आती है, साथ ही महत्वपूर्ण साक्ष्यों के नष्ट होने का भी खतरा रहता है। अतः ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण हेतु पुलिस व्यवस्था की जानी चाहिये।

2.यातायात व्यवस्था – घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल तक ले जाने तथा ले आने एवं विभिन्न सेवा प्रदाता ऐजेन्सियों की पहुँच घटनास्थल पर हो सके, इसके लिये आवश्यक है कि सुचारू यातायात व्यवस्था की जाये। घटनास्थल से चिकित्सालय तथा अन्य सेवा प्रदाता संस्थान, जैसे– अग्निशमन सेवादल, रेल्वे स्टेशन, बस अड्डो के बीच समानान्तर यातायात व्यवस्था बनायी जानी चाहिये ताकि ट्रैफिक के कारण कोई रूकावट पैदा न हो सके। ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में लाउडस्पीकर, रेडियो एवं टी.वी. आदि के द्वारा प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिये।

3.क्षेत्र की तलाशी एवं उसे खाली कराया जाना – प्रायः घटनास्थल पर पुलिस ही सबसे पहले पहुँचती है। अतः उस समय घायल व्यक्तियों को तत्काल अस्पताल पहुँचाया जाना चाहिये तथा क्षेत्र को खाली कराये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि अन्य आवश्यक सेवा प्रदाताओं को परेशानी न हो उसे पर्याप्त सावधानी के साथ हटाया जाना चाहिये। क्षेत्र को खाली कराये जाने अथवा आवश्कयतानुसार यदि घर के अंदर लोगों को रहने की अनुमति दी जाती है तो इस तरह की घोषणा पुलिस के द्वारा ही स्थिति के आवश्यक मूल्यांकन के उपरांत लाउडस्पीकर से करनी चाहिये।

4.सम्पत्ति की सुरक्षा– घटना के बाद प्रायः आपराधिक तत्व चोरी, लूट–पाट आदि की घटनाओं में लिप्त हो जाते हैं। अतः पुलिस को चाहिये कि लोगों की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये तत्काल आवश्यक प्रबन्ध करे, तथा आवश्यकतानुसार पुलिस कर्मियों की नामवार डयूटी लगायी जाये ताकि आम जनता की सम्पत्ति की सुरक्षा हो सके।

5.घटना की आपराधिक विवेचना– यदि आपदा के पीछे कोई आपराधिक कारण परिलक्षित हो तो पुलिस को इस विषय में तत्काल प्रथम सूचना अंकित कर विवेचना शुरू करनी चाहिए। इसके लिये खोजी कुते, बम डिस्पोजल स्क्वाड तथा फोरेंसिक विशेषज्ञों को घटनास्थल पर आने की सूचना तत्काल दी जानी चाहिये। घटना की गंभीरता एवं महत्ता को देखते हुए विवेचना के लिए पुलिस अधिकारियों की विभिन्न टीमें तत्काल गठित की जानी चाहिये। इस दौरान उपलब्ध लोगों के साक्ष्य, उन व्यक्तियों की वीडियो रिकार्डिंग, घटनास्थल पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्य आदि को एकत्रित कर लेना चाहिये। यदि गिरफ्तारी

की आवश्कता हो तो आवश्यकतानुसार गिरफ्तारी की जानी चाहिये तथा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

6.नियत्रंण कक्ष की स्थापना – घटना के तत्काल बाद सूचनाओं के आदान–प्रदान, प्रेस एवं मीडिया को तथ्यों की सही जानकारी देने तथा अफवाहो को शांत करने के उददेश्य से एक वृहद नियत्रंण कक्ष की स्थापना की जानी चाहिये। इसमें आवश्कतानुसार आम आदमी, मीडिया तथा बचाव कार्य में लगी विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिये अलग–अलग उप नियत्रंण काउण्टर्स लगाये जाने चाहिये। काउन्टर्स पर जिम्मेदार एवं सहनशील पुलिसकर्मी तैनात किये जाने चाहिये जो विभिन्न भाषाओं की जानकारी रखते हो, संवेदनशील हो तथा अपने कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न करने के लिये पूर्व में परखे जा चुके हो। इनके पास घटना की अद्यतन जानकारी तथा घायल/मृतको के विषय में विस्तृत विवरण निरंतर उपलब्ध कराया जाना चाहिये ताकि सही सूचना का आदान–प्रदान हो सके। इन नियत्रंण उपकेन्द्रों के लिये निर्धारित टेलीफोन नम्बरों को रेडियो, टी.वी. एवं अन्य संचार के माध्यमों से जन–साधारण को उपलब्ध कराने हेतु पुलिसकर्मी तैनात किये जाने चाहिये। नियत्रंण कक्ष में अभिलेखीकरण पर विशेष बल दिया जाना चाहिये और यदि संभव हो तो वहाँ प्राप्त होने वाली एवं दी जाने वाली सूचना को रिकार्ड किया जाना चाहिये। इन घटनाओं के बाद होने वाली विभिन्न प्रकार की न्यायिक एवं अन्य जाँचों में इस तरह के अभिलेखों के उपलब्ध होने पर काफी सुविधा होती है

7.वी.वी.आई.पी./वी.आई.पी. भ्रमण आमतौर पर बड़ी घटनाओं के तत्काल बाद राजनैतिक कारणों से विभिन्न विशिष्ट महानुभावों तथा अन्य राजनैतिक व्यक्तियों का तुरन्त आगमन शुरू हो जाता है, ऐसी स्थिति में न सिर्फ उनकी सुरक्षा बल्कि शांति–व्यवस्था की गंभीर समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि इन महानुभावों की सुरक्षा के लिये अलग से पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी जाये। राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए पुलिसकर्मियों को इस कार्य से अलग रखा जाना चाहिये क्योंकि यदि उन्हें महानुभावों की सुरक्षा तथा राहत कार्य करने की दोहरी जिम्मेंदारी दी जायेगी तो वे किसी भी कार्य को जिम्मेदारी के साथ निभा नहीं पायेंगे। प्रयास यह किया जाना चाहिये कि इस तरह के भ्रमण से राहत एवं बचाव कार्य में बाधा न उत्पन्न होने पाये। इस संबंध में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को महानुभावों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करके उन्हें यथासम्भव जनहित में भ्रमण स्थगित करने हेतु अनुरोध भी करना चाहिये। यदि पर्याप्त पुलिस उनकी सुरक्षा हेतु उपलब्ध नहीं है तो ऐसे महानुभावों को भ्रमण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

8.मृतक एवं घायलों की शिनाख्त– मृतकों एवं घायलों की शिनाख्त हेतु एक अलग पुलिस टीम बनायी जानी चाहिये जो उनकी फोटोग्राफी, विडियोग्राफी तथा उनसे संबंधित सूचनाओं को तरतीबवार संकलित कर उनके चिकित्सा के स्थान, पोस्टमार्टम एवं अंतिम संस्कार आदि का पूरा रिकार्ड रखे। मृतकों की शिनाख्त करने वाले व्यक्तियों का पूरा विवरण, शव को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को फोटोग्राफ तथा उनका विवरण अच्छी तरह तैयार करना चाहिये। क्योंकि कई बार इस तरह की आपदाओं के बाद घोषित होने वाली सहायता राशि को प्राप्त करने के लिये अनधिकृत व्यक्ति, मृतक को अपना रिश्तेदार बताकर धन लेने का प्रयास करते हैं तथा मृतकों के नाम, पते गलत दर्ज करा दिये जाते हैं जिससे बाद में कई कानूनी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती है। अतः घायलों तथा मृतकों की शिनाख्त तथा घटनास्थल से अस्पताल, राहत केन्द्र, मुर्दाघर तथा उनके अंतिम संस्कार स्थल तक स्पष्ट छायांकन तथा अभिलेखीकरण किया जाना चाहिये।

9.स्वागत केन्द्र–आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि बड़ी दुर्घटनाएं या बम विस्फोट आदि के उपरांत बड़ी संख्या में दूर–दराज क्षेत्रों में घायल तथा मृतकों के रिश्तेदार एवं बड़ी संख्या में लोग अपने परिजनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये एकत्रित होते है। जिनको सही जानकारी देने तथा इनके ठहरने के लिये स्वागत केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिये, जैसे– इनके बैठने, खाने–पीने आदि

की व्यवस्था करायी जानी चाहिये। स्वैच्छिक संगठनों के स्वयं सेवकों को इनके सहायतार्थ लगाया जाना चाहिये जो कि किसी पुलिस अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्य करें।

10. विदेशियों के बारे में सूचना –यदि किसी विदेशी नागरिक की घटनास्थल में घायल या मृत्यु होती है तो पुलिस को चाहिये कि उसके संबंध में विस्तृत सूचना वियना कन्वेंशन में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संबंधित देश के दूतावास को यथाशीघ्र अपलब्ध करा दी जाये।

(ख) बचाव एवं राहतः प्राकृतिक आपदा जैसे– बाढ़, भूकम्प, चक्रवात, अन्य आपदाएं जैसे– सूखा, तूफान, आगजनी की घटनाएं एवं गम्भीर दुर्घटनाएं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA)–राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एक राष्ट्रीय संस्था है जिसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री व उपाध्यक्ष केबिनेट मंत्री स्तर का होता है। प्राधिकरण में आठ अन्य सदस्य राज्यमंत्री स्तर के होते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यक्षेत्र विभाजित होता है, जो समस्त राज्यों में फैला होता है। अपने कार्य निष्पादन हेतु प्राधिकरण ने एक सुव्यवस्थित ढ़ांचा तैयार किया है, जो सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक एवं ज्ञान के आधार पर अपने कार्य सम्पन्न करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सचिवालय में एक सचिव होता है जो निरंतरता व समन्वय बनाये रखता है। जिसके अधीन आपदा प्रबन्धन के दो उप विभाग (विंग) हैं।

आपदा प्रबन्धन विंग प्रथम :–जो आपदा न्यूनीकरण, तैयारी पुनःनिर्माण समूह जागरूकता एवं वित्तीय व प्रशासनिक व्यवस्थाऐं देखता है।

आपदा प्रबन्धन विंग द्वितीय :–जो विभिन्न राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन केन्द्रों के बीच समन्वय, प्रशिक्षण कैपेसिटी बिल्डिंग आदि पर कार्य करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA) के कार्य व जिम्मेदारियाँः–राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आपदा प्रबन्ध हेतु कार्ययोजना बनाना, उनको लागू करना व उनका मूल्यांकन करने के लिए एक सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था है। इसके कार्यक्षेत्र निम्नलिखित है :–

1.आपदा प्रबन्धन हेतु कार्य नीति तैयार करना।

2.राष्ट्रीय योजना को स्वीकृति प्रदान करना।

3.विभिन्न मंत्रालयों व विभागों द्वारा तैयार योजनाओं को राष्ट्रीय योजनाओं के अनुरूप स्वीकृत करना।

4.राज्यों के लिए उनकी योजनाओं हेतु दिशा–निर्देश तैयार करना।

5.केन्द्र के विभिन्न विभागों के मंत्रालयों के लिए आपदाओं से निपटने, उनकी रोकथाम आपदाओं का असर कम करने के लिए एवं उनसे जुड़े विकास के कार्य व प्रोजेक्ट के लिए दिशा–निर्देश तैयार करना।

6.आपदा प्रबन्धन की नीतियों का बेहतर समन्वय एवं उन्हें लागू करना।

7.आपदाओं के न्यूनीकरण की योजनाओं के लिए धन प्रबन्धन करना।

8.केन्द्र सरकार के निर्देश पर अन्य देशों को आपदा प्रबन्धन में सहयोग करना।

9.नेशनल इन्सटीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए नीतियां एवं दिशा–निर्देश जारी करना।

राज्य आपदा उत्तरदायी कोष (SDRF):– जिस तरह NDMA किसी राष्ट्रीय स्तर की आपदाओं से निपटने के लिए संस्थागत तरीके से निवारण कार्य करती है उसी तरह SDRF भी प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय आपदाओं से निपटने के लिए कार्य योजना तैयार करती है।

विभिन्न आपदाओं में बचाव व राहत कार्यः–

बाढ़ :–बाढ़ आने का कारण अत्याधिक वर्षा का होना है, जिसमें पानी नदी, नालों व बांधों को तोड़कर बाहर फैल जाता है जिससे काफी जन–धन की हानि होती है। बाढ़ के दौरान पुलिस के कर्तव्य निम्न हैं:–

1.प्राकृतिक विपदाओं से सम्बन्धित सूचनाओं को जनता तक अधिक से अधिक तीव्र पहुंचाए व सुरक्षित स्थनों पर जाने की सलाह दे जैसे किसी बांध से अधिक पानी की निकासी पर नीचे के क्षेत्रों को सूचना तीव्र से तीव्र पहुंचाए जिससे पानी का स्तर बढ़ने तक वो अपने जन व धन को सुरक्षित स्थान पर ले जा सके।

2.बाढ़ आने की सूचना मिलते ही तुरन्त प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस को पहुंचना चाहिए एवं बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए एवं उनकी सम्पति के नुकसान से बचाने के भी उपाय किए जाएं।

3.बाढ़ आने से पूर्व ही पुलिस को बाढ़ निरोधक उपकरण जेसे नावें, लाइफ जैकेट, रस्से, मिट्टी के कट्टे (बोरे) आदि तैयार रखने चाहिए, अच्छे तैराकों से सम्पर्क होना चाहिए।

4.कमजोर वर्ग विशेषकर महिलाएं व बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें प्रेरित कर उनसे सहयोग लेना चाहिए।

5.बाढ़ के दौरान बदमाश व अपराधी तत्व लोगों की सम्पति को हड़पने व लूटमार करने की कोशिश करते हैं अतः ऐसे तत्वों की गतिविधियों पर नजर रख उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।

6.बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जल्द से जल्द आवश्यक सेवाएं जैसे बिजली, पानी, भोजन, चिकित्सा आदि उपलब्ध करवाने हेतु अन्य सम्बन्धित विभागों से बेहतर समन्वय स्थापित करना चाहिए।

ज्वालामुखी–ज्वालामुखी धरातल के उन प्राकृतिक छिद्रों को कहते हैं जिनसे होकर लावा तथा गैसें बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान गर्म लावा, तप्त गैसें, उष्ण जल एवं अन्य पदार्थ एक दरारनुमा गोलाकार छिद्र से बाहर निकलते हैं, जिसे ज्वालामुखी नली (वोलकैनिक पाइप) कहते हैं। इसके ऊपरी आग को ज्वालामुखी कहते हैं।

पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण उत्पन्न आपदाओं में ज्वालामुखी का प्रमुख स्थान है। ज्वालामुखी क्रिया एक प्रमुख प्राकृतिक आपदा के रूप में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरणीय स्वरूपों पर विनाशकारी प्रभाव ड़ालती है। ज्वालामुखी उद्गार से निःसृत ज्वलंत लावा प्रवाह, विभिन्न प्रकार के ठोस रोल टुकडे तथा विषैली गैसें अपना दुष्प्रभाव पर्यावरण पर छोडते हैं। मानव निर्मित भवन, छोटे–बडे बांध, सड़के, जलाशय आदि का नुकसान होता है। ज्वालामुखी की राख काफी दूर दराज तक कई हजार किलोमीटर तक फैल जाती है, जिससे हवाई यात्राऐं कई दिनों तक प्रभावित हो जाती हैं।

भूस्खलन –भूस्खलन एक प्रमुख प्राकृतिक आपदा है। इस घटना में भूमि का एक भाग टूटकर निम्नतर भागों की ओर खिसकता है। यह क्रिया गुरूत्वाकर्षण द्वारा प्राकृतिक रूप से होती है। यह क्रिया अधिकांशतः पर्वतीय उच्च प्रदेशों में होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ तीव्र ढ़ाल पाया जाता है चट्टानों का विशाल भाग खिसककर एक बडी प्राकृतिक आपदा को जन्म देता है। स्विटजरलैण्ड, नार्वे तथा कैनेडियन स्वकीय पर्वत आदि में गाँव को तीव्र ढ़ाल क्षेत्रों के तटीय भागों में बनाते हैं, जहाँ भूस्खलन से कई हजार लोग मारे जाते है, गांव के गांव तवाह हो जाते हैं, रास्ते अवरूद्ध हो जाते हैं। भूस्खलन अधिकतर वर्षा के दिनों में होती है।

सुनामी – सुनामी विशाल सागरीय लहरें हैं जो मूलतः सागरीय तलों में आने वाले भूकम्प एवं भूस्खलन के कारण उत्पन्न होती हैं। यह एक विनाशकारी सागरीय लहर के लिए प्रयुक्त जापानी शब्द है जो दो शब्दों TSU= Harbour (पोताश्रय) Nami= wavesa (लहर) से मिलकर बना है। समुद्र में भूकम्प के कारण कम्पन से समुद्री लहरें काफी ऊँचाई तक उठती है जो भूकम्प की तीव्रता पर निर्भर करती हैं, कई बार इन लहरों की ऊँचाई 30 मीटर तक होती है जो समुद्रतटीय इलाकों से टकराने के बाद भयंकर विनाश मचाती हैं, सुनामी से भारी जन–धन की हानी होती है। 26 दिसम्बर 2004 को इण्डोनेशिया, थाईलैण्ड, म्यांमार, भारत, श्रीलंका तथा मालद्वीव में आयी सुनामी ने भारी तबाही मचायी जिसमें करीब 1 लाख 60 लोग मारे गए। अभी हाल ही में 11 मार्च 2011 में जापान में सुनामी से सेन्दई

शहर पूरी तरह तबाह हो गया जहाँ करीब 15000 व्यक्ति मौत के काल में समां गए एवं फ्यूकोसीमा (न्यूक्लीयर) परमाणु संयन्त्र में भारी तबाही हुई है।

भूकम्प–हमारे देश में कई भागों में भूकम्प आने की घटनाएं होती रहती हैं जिसके कारण जन व धन की काफी हानि होती है। वर्ष 1993 में महाराष्ट्र में लातूर व किल्लारी में व 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आए भूकम्प ने बड़े पैमाने पर जन व धन की हानि पहुंचाई। भूकम्प नापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है इसके अनुसार भूकम्प की तीव्रता 1 से 9 तक होती है तीव्रता की प्रत्येक इकाई वृद्वि के साथ इसकी शक्ति बढ़कर 10 गुना हो जाती है सामान्यतया 5 तक के मान वाले भूकम्प से नुकसान नहीं पहुंचता है।

भूकम्प पीड़ितों के लिए पुलिस के निम्न कार्य हैः–

1.भूकम्प आने की सूचना मिलने पर पुलिस को तुरन्त भूकम्प पीड़ित क्षेत्र में पहुंचकर घायल व्यक्तियों को अस्पताल में भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए।

2.सभी सरकारी ऐजेन्सियों व उच्चाधिकारियों को तुरन्त सूचना देकर निजी व सरकारी संस्थाओं से उचित समन्वय स्थापित कर भूकम्प पीड़ितों की मदद करनी चाहिए।

3.मलवे में दबे व्यक्तियों को निकालने की और उन्हें अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

4.भूकम्प पीड़ित क्षेत्र में पुलिस गार्ड/गस्त लगानी चाहिए ताकि असामाजिक व आपराधिक तत्वों पर रोकथाम लग सके व लोगों की सम्पति सुरक्षित रह सके।

5.भूकम्प पीड़ित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, उनके लिए भोजन, वस्त्र, दवा आदि जुटाने का प्रयास करना चाहिए। स्वयंसेवी संगठनों से सम्पर्क कर रिलीफ कैम्प लगाने चाहिए।

चक्रवाती तूफान/तूफान–यह प्राकृतिक आपदा है जिससे काफी जन–धन की हानि होती है। तूफान अक्सर स्थानीय किस्म के होते हैं परन्तु इसकी गति के कारण इसकी भयावहता काफी अधिक होती है। इसकी अत्यधिक वेग के कारण इसमें अधिक शक्ति होती है जिसके कारण जन–धन को अधिक नुकसान पहुंचता है।

चक्रवाती तूफान विशेषकर तटवर्ती क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, जो अपने समुद्री पानी को तीव्र गति से अंदरूनी इलाकों में ले जाते हैं जिससे काफी जन–धन की हानि होती है, संचार व्यवस्था ठप हो जाती है, सड़क व रेल यातायात प्रभावित हो जाता है।

तूफान ग्रसित क्षेत्रों में पुलिस को निम्न भूमिका निभानी चाहिएः–

1.तूफान आने की पूर्व सूचना इलाके में प्रसारित करें, व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दें।

2.तूफान ग्रस्त क्षेत्रों के बारे में उच्चाधिकारियों को सूचित करें व उनके निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

3.तूफान में फंसे लोगों को बचाने में प्रशासन की पूरी मदद करें व अन्य विभागों से तालमेल करें।

4.तूफान पीड़ित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था करें।

5.तूफान पीड़ित व्यक्तियों की मदद के लिए गैर सरकारी संस्थान व सामाजिक संस्थाओं को प्रेरित करें।

6.यातायात व्यवस्थाओं पर नियंत्रण कर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए व सुऱक्षित आवागमन सुनिश्चित करें।

अकाल–अकाल एक प्राकृतिक विपदा है जो वर्षा न होने के कारण उत्पन्न होती है, यदि लगातार कई वर्षो तक वर्षा न हो तो उस क्षेत्र में फसल नहीं होती है, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध नहीं होता है, पानी की कमी हो जाती है सूखा क्षेत्र में खाद्य सामग्री की कमी हो जाती है तथा लोगों को अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ता है, उनके आय के स्रोत घट जाते हैं एवं कानून व्यवस्था की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है।

राजस्थान प्रदेश जो वर्षा के ऊपर काफी निर्भर है अक्सर अकाल जैसी त्रासदी का सामना करता है फिर भी विगत कुछ वर्षों में नहरी पानी, बेहतर समन्वय व सरकारी प्रयासों से इसके असर को कम करने में मदद मिली है। आज़ादी से पहले और उसके बाद के कुछ दशकों तक राजस्थानवासी अकाल की चपेट में आने मवेशियों को लेकर पैदल ही मालवा, आगरा, मऊ की ओर चले जाते थे। वर्षा होने पर वापस लौट आते थे।

चालीसा का अकाल 1783 ई० (विक्रम संवत 1840) में पड़े अकाल को कहा जाता है।

पंचकाल 1812–13 ई० में पड़े अकाल को कहा गया है।

त्रिकाल 1868–69 ई० में पड़े अकाल को कहा गया है।

छपनिया अकाल 1899–1900 ई० (विक्रम संवत 1956) में पड़े अकाल को कहा गया।

मारवाड़ व बीकानेर संभाग के कुछ लोग आज़ादी से पहले सिंध की ओर भी पलायन करते थे। बता दें कि मालवा/मऊ/महू आदिवासी और किसानों के बाहुल्य वाला पश्चिमी मध्य प्रदेश का हराभरा भूभाग हैं।

अकाल की स्थिति में पुलिस को निम्न कार्य करने चाहिए :–

1.अवैध संग्रहण व काला बाजारी पर प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। जिन व्यक्तियों/व्यापारियों ने अनाज गोदाम में भरकर छिपा रखा है व काला बाजारी कर रखी हो उन पर छापे मारकर उनके खिलाफ सम्बन्धित विभाग से मिलकर कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए।

2.सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सही बनाए रखने के लिए अनाज व आवश्यक वस्तुओं के वितरण पर निगरानी रखें व दुरूपयोग करने वालों के विरूद्व कानूनी कार्यवाही करे।

3.अकाल पीड़ित व्यक्तियों की मदद के लिए स्वयंसेवी संगठनों से सम्पर्क कर उन्हें प्रेरित करे।

4.असामाजिक व गुण्डा तत्वों पर निगरानी रखे व लोगों के जान व माल की रक्षा करे।

5.अकाल की स्थिति में स्थानीय लोग दूर–दराज के क्षेत्र में आते–जाते हैं, ऐसी परिस्थितियों पर नजर रखे।

आगजनी की स्थिति में–आग लगने पर पुलिस को निम्न कार्य करने चाहिए :–

1.आग लगने की स्थिति की सूचना मिलने पर सर्वप्रथम फायर ब्रिगेड को व उच्चाधिकारियों को सूचित करे।

2.घटना स्थल पर पहुंचकर स्थानीय व्यक्तियों की मदद से आग पर नियंत्रण के प्रयास करने चाहिए व पीड़ित व्यक्तियों को सुरक्षित निकालने के प्रयास करने चाहिए तथा इलाज के लिए उन्हें तुरन्त अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

3.घटना स्थल से सम्पति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

4.मौके पर स्थिति को नियंत्रण में रखना चाहिए व पर्याप्त संख्या में पुलिस बल रखना चाहिए एवं जब तक फायर ब्रिगेड न पहुंचे तब तक स्थानीय लोगों को आग पर काबू पाने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

5.फायर ब्रिगेड पहुंचने के लिए उसके आवागमन को घटनास्थल तक सुनिश्चित करना चाहिए।

6.फायर ब्रिगेड में पानी खत्म होने पर उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए।

7.यदि आग तेल डिपो, पैट्रोल पम्प आदि पर लगी हो तो अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करें, प्रभावित आग क्षेत्र को सामान्य क्षेत्र से विभाजित करना चाहिए जिससे आग फैलने से रोकी जा सकती है।

8.स्थानीय संसाधन जैसे रेत के बोरों का प्रयोग करना चाहिए।

बम विस्फोट

बम या बम विस्फोट की सूचना मिलने पर सुरक्षा से सम्बन्धित किये जाने वाले कार्य :–

1.जब भी बम की सूचना मिले तो अपना धैर्य व शांति बनाये रखना चाहिए।

2.किसी भी सूचना या धमकी को अफवाह या झूठा करार न दें उसकी सत्यता की परख करनी चाहिए।

3.सूचना देने वाले से अधिक से अधिक जानकारी हासिल करें।

4.जहाँ बम विस्फोट हो गया है वहां से आमजन को दूर रखें, उस क्षेत्र को सुरक्षित रखें, लोगों की आवाजाही उस स्थान से बंद रखें।

5.घटनास्थल पर दक्ष व प्रदर्शित दस्ते को नियुक्त करे।

6.हताहतों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराएं एवं इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करें।

7.एक बम विस्फोट के तुरन्त बाद उसके आस–पास दूसरा बम विस्फोट भी हो सकता है, इसलिए सक्रिय रहें।

8.घटना की सम्पूर्ण सूचना तुरन्त अपने उच्चाधिकारियों एवं प्रशासन को दें।

9.मलबा हटाने की व्यवस्था करें, अन्य विभागों से इस कार्य में सहयोग प्राप्त करें।

10. मलबे में दबे हताहतों को निकालने के लिए बचाव दल आने तक स्थानीय लोगों की मदद से कार्यवाही करें।

11. आग पर नियंत्रण रखें व फायर ब्रिगेड को सूचना दें।

12. बचाव दलों को घटनास्थल के बारे में सही जानकारी दें जिससे बचाव कार्यवाही अतिशीघ्र की जा सके।

13. सूचना केन्द्र / कन्ट्रोल रूम में विस्फोट में धायल व मृत व्यक्तियों की सूचना भिजवाए।

गम्भीर दुर्घटनाएं (एक्सीडेन्ट)–आज हमारा देश तीव्र गति से विकास कर रहा है इस तकनीकी युग में छोटी सी गड़बड़ी या मानवीय भूल बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे देती है जिससे हमें भारी जन व धन की हानि उठानी पड़ती है तथा मौके पर अफरा–तफरी मच जाती है। चाहे वो ट्रेन एक्सीडेन्ट हो, गम्भीर सड़क दुर्घटना, बम विस्फोट की स्थिति हो तो पुलिस की भूमिका ऐसी परिस्थिति में अतिमहत्वपूर्ण हो जाती है।

पुलिस के कर्तव्य :–

1.घटनास्थल पर बिना विलम्ब के पहुंच कर स्थिति का जायजा लें।

2.सर्वप्रथम घटनास्थल / मौके पर घायल व फंसे हुए व्यक्तियों को निकाल कर उन्हें प्राथमिक उपचार के पश्चात् अस्पताल पहुंचाए।

3.यदि मौके पर वाहनों में या दुर्घटनाग्रस्त रेलगाड़ी में लोग फंसे हुए हैं तो उन्हें निकालने की व्यवस्था की जावे गैस कटर इत्यादि

4.दुर्घटना ग्रस्त वाहनों व रेलगाड़ियों में यात्रियों का सामान सुरक्षित रहे इसके लिए पर्याप्त मात्रा में स्थानीय बल तैनात किया जाए।

5.मौके पर राहत कार्य के लिए स्थानीय लोगों व स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करे।

6.मौके से लगातार उच्चाधिकारियों से सम्पर्क स्थापित रखें व अन्य विभागों से बेहतर तालमेल व समन्वय स्थापित करे।

7.बचाव कार्य में मौके पर डाक्टर, एम्बुलेंस व 108 को बुलाए व उनकी सेवाएं प्राप्त करें।

(घ) प्राथमिक चिकित्सा व्यावहारिक प्रदर्शन

रेड क्रॉस–रेड क्रोस की शुरूआत फ्रांस और आस्ट्रिया के मध्य सन् 1859 के युद्व के दौरान घायल सैनिको की देखभाल से हुई। जिसका श्रेय स्वीडन के व्यवसायी श्री हेनरी डूनेन्ट को जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना मानव जीवन को बचाने उसे सम्मानपूर्वक जीने तथा बिना जाति, धर्म, देश, लिंग एवं धार्मिक भावनाओं के भेदभाव के उनकी पीड़ा दूर करने के उद्देश्य से की गई थी। इन्टरनेशनल कमेंटी ऑफ रेड क्रॉस (ICRC) की स्थापना 1876 में हुई थी। शांति के लिए प्रथम नोबेल पुरूस्कार रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डूनेन्ट व फ्रेडरिक पेसी को संयुक्त रूप से उनके कार्यों के लिए वर्ष 1901 में प्रदान किया गया था। वर्ष 1917 में, 1944 में व 1963 में (ICRC) को नोबेल पुरूस्कार से सम्मानित किया गया। इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था में करीब 9 करोड़ 70 लाख स्वयंसेवी व्यक्ति जुड़े हुए हैं।

आपदा प्रबंधन–बम या बम विस्फोट की सूचना मिलने पर सुरक्षा से संबंधित किये जाने वाले कार्य:–

1.जब भी बम की सूचना मिले तो अपना धैर्य व शांति बनाये रखना चाहिये।

2.किसी भी सूचना या धमकी को अफवाह या झूठा करार न दें, उसकी सत्यता की परख करनी चाहिये।

3.सूचना देने वाले से अधिक से अधिक जानकारी हासिल करें।

4.जहॉं बम विस्फोट हो गया है वहां से आमजन को दूर रखें, उस क्षेत्र को सुरक्षित रखें, लोगों की आवाजाही उस स्थान से बंद रखें।

5.घटनास्थल पर दक्ष व प्रदर्शित दस्ते को नियुक्त करें।

6.हताहतों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराऐ व इलाज के लिये अस्पताल पहुॅंचाने की व्यवस्था करें।

7.एक बम विस्फोट के तुरन्त बाद उसके आस–पास दूसरा बम विस्फोट भी हो सकता है, इसलिये सक्रिय रहें।

8.घटना की संपूर्ण सूचना तुरन्त अपने उच्चाधिकारियों एवं प्रशासन को दें।

9.मलबा हटाने की व्यवस्था करें, अन्य विभागों से इस कार्य में सहयोग प्राप्त करें।

10.मलबे में दबे हताहतों को निकालने के लिये बचाव दल आने तक स्थानीय लोगों की मदद से कार्यवाही करें।

11.आग पर नियंत्रण रखें व फायर ब्रिगेड को सूचना दें।

12.बचाव दलों को घटनास्थल के बारे में सही जानकारी दें जिससे बचाव कार्यवाही अतिशीघ्र की जा सके।

13.सूचना केन्द्र/कन्ट्रोल रूम में विस्फोट में घायल व मृत व्यक्तियों की सूचना भिजवाये।

राजस्थान सरकार द्वारा आपदा प्रबंधंन पर वेबसाईट व विभाग

Disaster Management, Relief & Civil Defence Department Government of Rajasthan

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान सरकार

http://www.dmrelief.rajasthan.gov.in/

1	संपर्क विवरण	+91-9001999970(M), +91-141-2741927(O) ईमेल adgp.sdrf@rajpolice.gov.in, adgpsdrf@gmail.com
2	उत्थापन की तिथि	10/07/2012
3	संगठनात्मक संरचना और संख्या	इसमें 01 बटालियन शामिल है, जिसमें 08 समवाय शामिल हैं, जिनकी कुल संख्या 1120 है
4	तैनाती	जयपुर में बतलियन मुख्यालय है जिसमें 01 समवाय है और बाकी 07 समवाय अलग-अलग स्थानों पर तैनात हैं।

राजस्थान में आपदा प्रबंधन एवं सहायता के संबंध में–राज्य अध्यादेश दिनांक 24.10.2051 के द्वारा सहायता आयुक्त के कार्यालय की स्थापना किये जाने से राज्य में सहायता विभाग अस्तित्व में आया। इससे पूर्व सहायता का कार्य राजस्व विभाग की शाखा के द्वारा किया जाता था। 30.4.1962 को सहायता कार्यों के लिये फेमिन कोड तैयार किया गया एवं तदानुसार कार्य प्रारम्भ किया गया। खाद्य एवं सहायता विभाग 1964 तक संयुक्त रूप से कार्य कर रहे थे तथा 1964 के अंत में दोनों विभाग पृथक कर दिये गये तथा सहायता विभाग पृथक से अस्तित्व में आया। वर्ष 1963–64 तथा 1964–65 में राज्य ने भयंकर सूखे का सामना किया जिसके परिणामस्वरूप विभाग के कार्य में विस्तार हुआ। विगत कुछ वर्षों में गुजरात में आये चक्रवात से हुये नुकसान के परिप्रेक्ष्य में गृह मंत्रालय भारत सरकार ने सभी

राज्यों को सहायता विभाग का नाम परिवर्तन कर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग करने के निर्देश जारी किये। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30.10.2003 से सहायता विभाग का नाम परिवर्तन कर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग कर दिया गया। सहायता विभाग राज्य प्रशासन का स्थाई विभाग है जो कि आयुक्त एवं शासन सचिव, सहायता विभाग के अन्तर्गत कार्य करता है। राज्य स्तर पर इसका मुख्यालय है तथा इसका कोई अधीनस्थ विभाग अथवा शाखा नहीं है। सहायता कार्य एवं गतिविधियां विभिन्न विभागों/संगठनों यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग, भू–संरक्षण विभाग, जन स्वा. अभि. विभाग, पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग, स्थानीय निकाय इत्यादि द्वारा सम्पादित की जाती है। जिला कलेक्टर एवं अन्य संगठनों के जिला स्तरीय अधिकारी प्रशासनिक एवं तकनीकी नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं तथा जिले में समन्वय का कार्य करते है तथा इस प्रक्रिया में जो खर्चा होता है वह विभाग द्वारा वहन किया जाता है।

(ग) प्राथमिक चिकित्सा एवं व्यावहारिक प्रदर्शन

प्राथमिक चिकित्सा का महत्व एवं पुलिस कर्मियों द्वारा फर्स्ट एड

प्राथमिक सहायता (फर्स्ट एड) क्या है–जो तुरन्त सहायता दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति को डॉक्टर के आने से पहले दी जाती है, उसको प्राथमिक उपचार कहते हैं।

प्राथमिक सहायता डॉक्टर के आने से पहले या अस्पताल तक घायल या रोगी को पहुंचने से पहले दी जाने वाली सहायता या उपचार है, चिकित्सा नहीं। हमारा काम उस समय समाप्त हो जाता है जब डॉक्टरी सहायता प्राप्त हो जाती है।

1. प्राथमिक सहायता का उद्देश्यः– हर संभव उपायों से रोगी या घायल व्यक्ति की मदद करना है ताकि उसे आराम मिल सके, उसका जीवन बचाया जा सके और घाव या चोट को गम्भीर स्थिति तक पहुंचने से रोका जा सके।

2. पुलिस कर्मियों द्वारा फर्स्ट एड :– पुलिस विभाग में कार्यरत् अधिकारियों को हर पल दुर्घटना से रूबरू होने की आशंका बनी रहती है। दुर्घटना, रेल दुर्घटना, बाढ़, दंगा एवं अपराधियों के साथ पुलिस मुठभेड़ आदि जैसे अवसरों पर प्राथमिक सहायता की तुरन्त आवश्यकता पड़ती है अतः पुलिस कर्मियों को फर्स्ट एड की जानकारी एवं प्रशिक्षण नितांत आवश्यक है।

घायल लोगों और बीमारों की सहायता देने में निम्नलिखित बातों का समझना आवश्यक है–

1. पहले रोगी की दशा और रोग को भली–भांति पहचानना चाहिए ताकि उसे उचित सहायता दी जा सके।इस बात का विचार करना भी उचित है कि रोगी को कितनी, कैसी और कहां तक सहायता दी जावे।
2. आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर के आने तक रोगी या घायल मनुष्य को उपयुक्त चिकित्सा और सहायता दी जावे।

3. प्राथमिक सहायता के स्वर्ण सूत्र–

1. पहले परमावश्यक कार्य शीघ्रता तथा शांति से तथा बिना किसी भय एवं कोलाहल से कीजिए।
2. यदि श्वांस क्रिया रूक गयी हो, तो तुरन्त कृत्रिम श्वांस दीजिए। प्रत्येक क्षण अमूल्य है जब तक डॉक्टर न आये, घायल को मृतक मत मानिये।
3. प्रत्येक प्रकार के रक्तस्त्राव को तुरन्त बंद कीजिये।
4. रोगी को सदमें से बचाइये, उसका उपचार रोगी को कम से कम हिलाकर तथा कोमलता से हाथ लगाकर कीजिये।
5. रोगी को तुरन्त खतरे के स्थान से दूर हटाइये।
6. जितना हो सके रोगी को किसी चिकित्सक के पास या चिकित्सालय में ले जाने का प्रबन्ध कीजिये या किसी चिकित्सक को वहीं बुलाइये।

2. रक्त स्राव या बहते खून को बन्द करने के तरीके –

1. मुख्य धमनियां एवं दबाव बिन्दु या स्थान –

धमनियां :– लक्ष्य से शरीर के विभिन्न अंगों को रक्त ले जाने वाली नसें हैं।
दबाव स्थान – वह स्थान है जहाँएक धमनी को उसके नीचे की हड्डी के ऊपर दबाया जा सकता है, ताकि उस स्थान से रक्त आगे न जा सके।

2. रक्त स्राव या बहते खून को बंद करना–

रक्त स्त्राव दो प्रकार के होते हैं–

1. **भीतरी रक्त स्राव** – भीतरी रक्त घाव होन पर भीतरी मुख्य रक्त नसें फट जाती हैं तथा रक्त शरीर के अन्दर किसी गुहा में रिस–रिस कर इकट्ठा होने लगता है तथा नाक,मुंह या कान से रक्त आता है। ऐसे समय तुरन्त डॉक्टरी सहायता प्राप्त कीजिए और रक्त स्त्राव के स्थान पर ठण्डे पानी की गद्दी या बर्फ रखिये।

2. **बाहरी रक्त स्त्राव** :– बाहरी रक्त स्राव के अन्तर्गत रक्त शरीर के बाहर निकलता है इसमें शरीर की त्वचा का कटना या फटना आवश्यक है। बाहरी रक्त स्राव तीन प्रकार का हैः–

   1. धमनी से।
   2. शिरा से।
   3. कोशिकाओं से।

रक्त कोशिकाओं को रोकने के दो प्रकार उपचार हैं–

   1. ठण्डक पहुंचाना।
   2. दबाव डालना।

1. **ठण्डक पहुंचाना**:– ठण्डक पहुंचाने के लिए ठण्डे पानी की गद्दी या बर्फ को घाव पर रखिये इससे नसें सिकुड़ेंगी और रक्त बंद हो जायेगा ठण्डा पानी लगाने से न डरिये। खून रूक जाने पर घाव के ऊपर पानी टिंचर ऑफ आयोडिन मत लगाइये, नहीं तो घाव सड़ जायेगा। साफ पानी कभी नुकसान नहीं करता।

2. **दबाव डालना** :– दबाव कई तरीको से डाला जा सकता है– सीधा दबाव– घाव में यदि कोई कांटा, कांच आदि न हो, तो अंगूठा घाव पर रखकर घाव को दबाते हैं। जिधर से रक्त निकल रहा है, उधर के जोड़ में गद्दी रखकर मोड़ने से रक्त बंद हो जाता है। दबाव स्थान या प्रेशर पाइन्ट दबाकर दबाव –स्थल को अंगूठे से दबाया जाता है, रक्त यदि फिर भी न रूके तो टार्निकेट लगाते हैं। टार्निकेट किसी भी मजबूत डोरेनुमा पट्टी से लगाया जा सकता है। 15 मिनट बाद टोर्निकेट ढ़ीला कर देते है। शिरा के रक्त को बंद करने के लिए उसके बहाव की ओर बंध लगाइये तथा दबाव डालिये।

ध्यान रखिये–

1. रक्त निकलते ही तुरन्त बंद कीजिये, नहीं तो सदमा होन का डर है और मृत्यु का भी।
2. रक्त बंद होन पर घाव का इलाज कीजिये।
3. रोगी के रक्त बहने वाले भाग को थोड़ा ऊँचा उठा दीजिये।
4. रोगी का रक्त बंद होने पर सदमें का उपचार कीजिये।
5. रक्त को देखकर घबराइये नहीं, धैये से काम कीजिये।

पट्टी बंधन के प्रकार–

1. आवरण या घावों को ढ़कना– चोट या घाव को लाल दवा या डिटोल के पानी से या साफ पानी से साफ कर साफ रूई या गाज के टुकडे से ढ़क दीजिये। अब इसे गोल पट्टी से स्थिर कर दीजिये या तिकोनी पट्टी से ढक दीजिये।

2. पट्टी बांधना– घाव को ढ़कने के लिए अस्थि टूटने पर उसे खपच्ची से स्थिर करने के लिए किसी अंग को सहारा देने के लिए दो प्रकार की पट्टियों का प्रयोग करते हैं–

(1) **तिकोनी पट्टी का प्रयोग**:– घाव या चोट को ढ़कने, टूटे अंग को स्थिर करने के लिए किसी अंग को सहारा देने के लिए तिकोनी पट्टी का प्रयोग करते हैं। पट्टी तैयार करना– 37 से 40 इंच वर्गाकार कपड़े को तिरछा काटकर दो तिकानी पट्टियां बनाई जाती हैं। गाँठ लगाना– गाँठ दो मोड़ों से बनती है।

तिकोनी पट्टी बांधने के तरीके–

1. छोटा या बड़ा झोला या गोफनः–हाथ या भुजा को सहारा देन के लिये लटकन के रूप मेंबांधे जाते हैं छोटे झोले के लिए चौड़ी पट्टी बनाकर इसी तरह बांधी जाती है।
2. पांव की पट्टी :– पंजा तिकोनी पट्टी के नोक वाले भाग की ओर रखकर नोंक उलट दो। दोनों सिरों को देखने से लपेट कर रीफ नाट आगे बांध दो। अब नोक को तीर की दिशा में वापस मोड़कर सेफटीपिन लगा दीजिये।
3. सिर की पट्टी– आधार को 1.5 मोड़कर, बीच में से माथे पर रखकर नोक पर रखकर नोक के ऊपर लाते हुए फिर माथे पर राफनाट बांध दो। पीछे की नोक को गांठ क ऊपर से लेकर सेफटीपिन लगा दो।
4. घुटने की पट्टी – आधार को दो इंच मोड़ लो। घुटने की पट्टी के बीच में लेते हुए नोक ऊपर रखते हुए तथा दोनों सिरों को घुमाकर घुटने पर रीफनोट लगा दों, फिर नोक के नीचे लगाकर सेफ्टीपिन से टाक दो।

(2) गोल पट्टियों का प्रयोग– गोल पट्टियों का प्रयोग अधिकतर अस्पतालों में किया जाता है जहाँतिकोनी पट्टी न मिले, वहां गोल पट्टी का प्रयोग करना पड़ता है। ये पट्टियां अलग–अलग अंगों के लिए अलग–अलग चौड़ाई की होती हैं पट्टी को गोल समेटने के बाद इसे बांधते समय हाथ में इस प्रकार पकड़ते है कि वह सफलता से खुलती जावे। पट्टी को नीच से ऊपर की और लपेटिये तथा अन्दर से बाहर की ओर अंग के सामने पट्टी की तह को इस प्रकार लपेटिये कि पहले चक्कर का दो तिहाई भाग ढ़कता जावे। यह आवश्यक है कि पट्टी ना तो अधिक कस कर बांधी जावे न अधिक ढ़ीली कि जावे।

1. दुर्घटनास्थल पर प्राथमिक चिकित्सा की विधियां–

साधारण दुर्घटनायें–

1. कपड़ों मे आग लगना– यह एक सामान्य दुर्घटना है जो असावधानी से आये दिन होती रहती हैं स्टोव फट जाने से अधिकतर ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं नंगी आग या गर्म वस्तु से जलना और गर्म तरल पदार्थ से झुलसना कहा जाता है इससे छाले पड़ जाते हैं चेहरा, सीना, पेट व निम्नांग का जलना भयानक होता हैं। गहराई तक जल जाने से मृत्यु का भी भय रहता है।

सावधानियां एवं उपचारः–

1. आघात का भय रहता है। अतः आघात का ध्यान रखना अति आवश्यक है।
2. यदि आपके कपड़ों में आग लग जावे तो दौड़िये नहीं, जमीन पर लुढ़क जायें, आग बुझ जायेगी।
3. यदि किसी दूसरे के कपड़ों में आग लगी हो तो अपने हाथों से लपटों को बुझाने की कोशिश मत कीजिये। आप जल जायेंगे। एक मोटा कपड़ा, दरी लेकर अपने सामने रखकर घायल व्यक्ति को अचानक ढ़ककर उसे जमीन पर लुढ़काइये। यह कठिन है परन्तू अभ्यास करने के बाद यह बहुत लाभदायक सिद्व होता हैं
4. छालों को फोड़िए मत। जले स्थान से कपड़े को मत हटाइये, जरूरी हो तो उसे चारों ओर से काट दीजिए।

5. जले स्थान को साफ कपड़े या रूई– पट्टियों के टुकड़ों को बरनोल मरहम या टैनिक एसिड जैली या सोडियम बाईकार्बोनेट (खाने का सोडा) के गर्म घोल में भिगोकर घाव पर रखिये। चूने के निथारे हुए पानी में बराबर खोपरे का तेल मिलाकर लगाइये। अण्डे की सफेदी भी लगा सकते हैं। घाव व छालों पर चाय की उबली हुई पती पीस कर लगाइये।
6. सदमें की हालत उत्पन्न होने पर सदमे का उपचार कीजिए तथा रोगी को तुरन्त डॉक्टर के पास या अस्पताल में ले जाइये।

2. नकसीर आना या नाक से रक्त बहना–

कारण–

1. नाक या सिर पर चोट लगने से।
2. गर्मी से कभी –कभी कमजोरी की हालत में भी नकसीर फूट पड़ती है।

उपचार–

1. रोगी को आराम से खुली हवा में, सिर को थोड़े पीछे झुकाकर बिठा दें।
2. सीने के कपड़े ढ़ीले कर दें तथा रोगी से मुंह से सांस लेने को कहें।
3. नाक व माथे पर, गर्दन के नीचे ठण्डे पानी का कपड़ा या बर्फ का टुकड़ा या गद्दी लगाओ।
4. नाक के सख्त भाग के नीचे के भाग को दबाइये।
5. रक्त रूकने पर रूई नाक में लगा दो।
6. पीली या ताजी मिट्टी के ढ़ेले को गीला करके सुघांइये।
7. नीम की भीतरी छाल या बेल की पत्ती का लेप माथे पर करें।
8. प्याज को छीलकर सुंघाइये।
9. जिस नाथूने से रक्त बह रहा है, उसके विपरीत ओर के हाथ को ऊँचा उठा देने से श्वांस बदल जाता हे और रक्त बंद हो जाता है।

3 सांप द्वारा काटना– यदि किसी सांप ने काट लिया है तो यह निश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि काटने वाला सांप विषैला है या नहीं। विषैले होने पर तुरन्त प्राथमिक सहायता की कार्यवाही करें।

1. काटे हुए स्थान से ऊपर ह्रदय की ओर कपड़े या रस्सी से बंध लगाइये।
2. लाल दवा से घाव धोएं तथा दांतों से कटे स्थानों पर गुणाकार में चाकू या ब्लेउ से 1/4 इंच गहरा काटकर निकाल उस घाव में लाल दवा के दाने भर कर रगड़ें, फिर पानी से धोयें।
3. रोगी को जगाते रहो। रोगी को नीम की पती तथा गर्म चाय पिलानी चाहिए।
4. कपड़े से ढ़ककर शरीर गर्म रखें।
5. श्वांस रूकने पर कृत्रिम श्वांस दो।
6. घाव पर जलता हुआ कोयला या लोहे की गर्म सलाख रखें।
7. केले के छिलके का रस 20 ग्राम तथा 20 काली मिर्च का चूर्ण पिलाने से लाभ होता है।
8. मरीज को तसल्ली दो तथा डॉक्टर के पास तुरन्त ले जाइये।

4 पागल कुत्ते या बन्दर आदि द्वारा काटनाः– पागल कुत्ते को ''रैबीज'' नामक बीमारी होती है जिसका वायरस उसकी लार में आ जाते हैं तथा काटते समय वायरस से संक्रामित लार व्यक्ति के घाव में जाकर खून में मिल जाती हैं तथा वायरस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। काटने का घाव सिर के जितना नजदीक होगा खतरा उतना ही अधिक होता है। पागल कुत्ते के काटने पर–

1. कास्टिक सोडा या कार्बोलिक एसिड से एक–एक दांत के घाव को अलग–अलग धोयें।
2. कटे हुए भाग को नीचे की और रखें जिससे खून निकल जाये।
3. लाल–मिर्च शहद में मिलाकर घाव पर लेप करें।
4. डॉक्टर को दिखाकर ''रैबीज'' कि टीके लगवायें।

5 विषैले कीट पतंगों द्वारा डंक मारना– बिच्छु, ततैया, भिर, भौंरा, याहद की मक्खी, कानखजूरे के डंक शरीर में पीड़ा पहुंचाते हैं। कभी–कभी इनके विष से बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है।

उपचार–

1. पोली चाबी डंक के चिन्ह पर रखकर दबाव देकर डंक बाहर निकाल दो।
2. डंक लगें स्थान पर आयोडिन या अमोनिया या खाने के सोडे का पानी लगाओ या लाल दवा मलें या नमक मिली मिट्टी का लेप करें। अमृत धारा, पेन बाम या विक्स मलें।
3. बिच्छु के काटने पर आक का दूध, आम की खटाई या चिरचिटे की जड़ का स्पर्श करायें तथा नींबू के रस में नमक मिला कर मलें।
4. धनिया चबाने से, नीम की पती व नमक का लेप करने से, आम का आचार, तम्बाकू मिट्टी का तेल, स्प्रिट, सरसों का तेल, प्याज का रस में से किसी एक के मलने स भी आराम मिलता है।
5. कान खजूरे के चिपकने से उसे पर चीनी/बूरा बुरकने से, उसके पंजे ढ़ीले हो जायेंगे, फिर उसमें बारिक पाउडर या लाल दवा उालकर उस स्थान को साफ करें बद में टिंचर, आयोडिन, स्प्रिट या मरकरी क्रीम लगाकर पट्टी बांध दीजिये।
6. आवश्यकता हो तो डॉक्टरी सहायता प्राप्त कीजिए।

6 धूप, गर्मी या लू लगना– तेज धूप व गर्म हवा के लगने या गर्म जगह पर रहने से यह रोग होता है। **लक्षण** – चेहरा लाल पड़ना, चमड़ी गर्म या रूखी, श्वांस लेने में कठिनाई और वह भी गर्म निकलती है। जी मितलाना, चक्कर आना, ज्यादा प्यास का लगना, बेहोशी सा महसूस होना। बाद में ज्वर भी हो जाता है।

उपचार –

1. रोगी को ठण्डे या छायादार स्थान पर लिटा दें।
2. कमर तक उसके कपड़े उतार कर ठण्डे पानी के छीटे दें या गीली चादर से लपेट दें या छाती व रीढ़ पर ठण्डे पानी की गद्दियां रख दें व ठण्डे कपड़े से शरीर रगड कर पौछें।
3. उत्तेजक पदार्थ न देकर खूब पानी पिलायें।
4. कच्चे व छोटे आम को भूनकर उसका रस निकाजकर शर्बत बनाकर पिलायें।
5. दस्त आएं तो बार–बार खूब गुलाब जल पीने दें।
6. इमली का शर्बत, शिकंजी या पोदीने का पानी पीने दें।
7. रोगी को पूर्ण आराम दें तथा डॉक्टर को बुलायें।

7. बिजली का करंट :–बिजली के उपकरणों को काम में लेते वक्त कई बार शार्ट सर्किट हो जाता है तथा करंट लग जाता है। कभी–कभी बिजली कें नंगे तारों को छूने लेने से भी करंट लग जाता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए–

1. सर्वप्रथम मेन स्विच को बंद कर दें।
2. यदि मेन स्विच न मिले तो लकड़ी के हत्थे वाली किसी वस्तु से तार काट दें।
3. रबड़ की चप्पल पहन कर लकड़ी की छड़ी, कम्बल, चमड़े की बेल्ट या डोरी से पीड़ित को बिजली से छुड़ाने का प्रयास करें।
4. यदि कोई अंग जल गया हो तो उस पर ठंडा पानी डालें व एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर पट्टी बांध दें।
5. यदि पीड़ित व्यक्ति को सदमा हो तो उसे उबारने का प्रयास करें।

8. डूबने पर प्राथमिक उपचार–यदि कभी आपके सामने कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो उसको बचाने के लिए पानी में जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप उसको बचाकर लाने में सक्षम हैं।

1. पानी में डूबने वाले व्यक्ति को उसके कपड़े, पैर अथवा बाल पकड़कर खींच कर बाहर लाने का प्रयास करें।
2. यदि आपको तैरना नहीं आता तो रस्सी अथवा लम्बा कपड़ा डूबने वाले के पास तक फेंक दें तथा जब वह उसे पकड़ ले तो खींच लें।
3. बाहर निकल आने पर उसके पेट से पानी निकालने की कोशिश करें।
4. पानी निकालने के लिए पीड़ित को उल्टा लिटा कर पीठ पर दबाव डालें।
5. पानी निकलने के बाद उसे तुरन्त कृत्रिम सांस दें।
6. गीले कपड़े उतारकर व्यक्ति को सूखे कपड़ों में लपेट दें ताकि उसके शरीर की गर्मी बनी रहे।
7. जब व्यक्ति ठीक महसूस करे तो उसे गर्म दूध, चाय अथवा कॉफी दें।

कृत्रिम श्वांस की विधियां–श्वांस जब रूक जाता है तो उसे कृत्रिम श्वांस देन के प्रयोग से वापिस सामान्य करना होता है इसकी अनेक विधियां हैं–

1. शेफर विधि–

पहली अवस्था– रोगी को पीठ के बल लिटाइए। चेहरा एक ओर कर दीजिए, हाथ बाजू में फैले हुए। रोगी के बाईं और जांघ के पास घुटनों के बल बैठ जाइयें। अपने दोनों हाथों को रोगी की कमर पर रखिये।

दूसरी अवस्था– अब कोहनी को बिना मोड़े आगे की ओर झुककर घुटनों पर खडे हो जाइये। रोगी का श्वांस बाहर निलेगा। इसमें दो सैकेण्ड लगेगे। अब हाथों को बिना हिलाये पहली दशा में आइये, श्वांस अन्दर जावेगा। इसमें तीन सैकेण्ड लगेंगे। इस प्रकार ऐ मिनट में 1 बार श्वांस निकलेगा और भीतर जायेगा। डॉक्टर के आने तक या पुनः श्वांस आन शुरू होन के कुछ देर बाद इस क्रिया को जारी रखिये।

2. नवीन सिलवेस्टर विधि– जब घायल को सिर के बल लिटाना खतरनाक हो, तो यह तरीका काम लाते हैं। घायल को पीठ के बल लिटाकर कपड़े ढ़ीले कर दीजिये। उसकी पीठ के नीचे एक हल्का तकिया लगा दीजिए, जिससे सिर थोड़ा नीचे हो जावे और फेफडे उठ जावे।

पहली अवस्था – रोगी के सिर के पास घटनों के बल बैठकर उसके दोनों हाथों की कलाइयां अपने दोनों हाथों से पकड़ लें और सीने के नीचे के भाग पर ले जाकर ण्क दूसरे के आगे पीछे रखकर दबाइये, इससे श्वांस बाहर निकलनी चाहिए।

दूसरी अवस्था– अब दबाव हटाओ, उसके हाथों को तेजी से ऊपर तथा बाहर की ओर उठाते हुए उसके सिर पर ऊपर से यथा सम्भव पीछे की ओर ले जाइये।इससे श्वांस फेफड़ों में भरेगा। इस प्रक्रिया में एक बार में कुल 5 सेकण्ड लगते हें दो सेकण्ड दबाव के लिए पहली अवस्था और तीन सेकेण्ड हाथों को उठाने में दूसरी अवस्था। इस प्रकार प्रति मिनट 12 बार की गति से लगातार इस क्रिया को दोहराइये।

ध्यान रखिये– यदि आप अकेले है तो घायल का मुंह एक ओर मोड़ दीजिए नहीं तो जीभ पलठकर अन्दर चले जाने का डर रहता है। यदि कोई साथी है तो उसे जीभ पकड़े रहने को कहिये दो साथी हो तो दूसरे साथी द्वारा घायल के पांवों को थोड़ा सहारा दे। इसके लिए आप पांवों के नीचे तकिया भी लगा सकते हैं।

3. होल्कर नेलसन की विधि– वास्तव में यह तरीका शेफर विधि और सिलवेस्टर विधि का मिश्रण है और वर्तमान युग का यह सर्वश्रेष्ठ तरीका माना जाता है।

4. लाबोर्ड की विधि– जब रीढ़ या सीने की हड्डी में चोट होती है तो उपरोक्त तीनों बेकार हो जाते हैं ऐसी स्थिति मे यह तरीका काम में लाते है जिस दिशा में घायल व्यक्ति पड़ा है उस दशा में उसे आराम पहुंचायें। फिर नाक व मुंह साफ कर मोटे रूमाल से घायल की जीभ को मजबूती से पकड़िये और धीर–धीरे भीतर जाने दीजिए, इसमें तीन सैकेण्ड लगाइये। ध्यान रखिये जीभ को छोड़ना नहीं है। इसी प्रकार 12 बार प्रति मिनट दोहराते जाइये।

5. जीवन रक्षा श्वांस– जीवन रक्षा सांस देने का यह सर्वश्रेष्ठ तरीका है। उसमें अपना स्वयं का श्वांस घायल के मुंह में फूंकना पड़ता है। बालक के मामले में नाक व मुंह दोनों में श्वांय देते हैं।

घायल का मुंह और नाक साफ करें। घायल की गर्दन को पीछे मोड़ें, ठोडी पर हाथ रखें। अब गर्दन व सिर को संभाल कर घायल के मुंह पर अपना मुंह रखकर अपना सांस उसें मुंह मे फूकें। इससे उसका सीना उठेगा अब अपना मुंह हटाइये, उसका सांस निकलने दीजिए। आप लम्बी श्वांस लीजिए और उसके मुंह में फूकिये। एक मिनट में 12 बार की गति से श्वांस दीजिए तथा छोटे बच्चे को 20 बार श्वास दीजिए।